



Mohanlal Sukhadia University

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 313001

NAAC-SSR (Assessment Year: 2017-22)

Criterion- 2

Teaching-learning and Evaluation

Public Disclosure

Prospectus



NAAC Accredited 'A' Grade State University

विवरणिका

मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

PROSPECTUS
2017-2018

MOHANLAL SUKHADIA
UNIVERSITY, UDAIPUR
(www.mlsu.ac.in)





राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

*The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Moharlal Sukhadia University
Udaipur, Rajasthan as
Accredited
with GPA of 3.11 on four point scale
at A grade
valid up to May 04, 2019*

Date : May 03, 2014



*Signature
Director -*

दृष्टि एवं लक्ष्य (Vision & Mission)

दृष्टि (Vision)

नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाहित करके तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को ज्ञान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य श्रेष्ठता का इस प्रकार अनुसरण करना है कि जिससे उच्च गुणवत्ता बौद्धिक, पेशेवर और सांस्कृतिक रूप से विकसित ऐसी मानव शक्ति का सृजन हो सके जो राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

लक्ष्य (Mission)

1. समग्र विकास तथा प्रबुद्ध नागरिकों के निर्माण हेतु मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना।
2. अधुनातन, प्रासंगिक एवं आवश्यकतानुरूप ज्ञान प्रदान करना।
3. समस्याओं के हल हेतु प्राप्त ज्ञान को उपयोगी बनाना एवं शोध व विकास के द्वारा नवाचार।
4. शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसी नवीनतम तकनीक को एकीकृत करना।
5. विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण सोच का विकास करना तथा बहुआयामी समूहों में सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता विकसित करना।
6. सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।
7. शिक्षा में महिलाओं की पहुँच में वृद्धि करना तथा लैंगिक न्याय और महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना।
8. स्वावलंबी, साहसी और रोजगारपरक मानव संसाधन विकसित करना।
9. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं प्रबंधन हेतु शोध एवं अभिनवन द्वारा सृजित ज्ञान का उपयोग।
10. सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण।
11. उदार लोकाचार की स्थापना के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान करना।

विश्वविद्यालय का समग्र लक्ष्य उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होना है जिससे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न्यायोचित, बहुल तथा समतामूलक समाज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय

दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1962 में एक अधिनियम द्वारा उदयपुर में मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय (तत्कालीन उदयपुर विश्वविद्यालय) की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई। विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर आदिवासी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अरावली क्षेत्र में स्थित है। उदयपुर शहर, पर्यटन स्थल होने के अतिरिक्त अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और सुंदर परिदृश्य के कारण भी अपनी विशेष पहचान रखता है।

विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से ही शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक सोच पैदा करने, उच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के साथ तालमेल रखने में विश्वविद्यालय विशेष रूप से कटिबद्ध है। उच्च शिक्षा, शिक्षण एवं अनुसंधान आदि क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के कारण विश्वविद्यालय क्षेत्र का सर्वाधिक इच्छित उच्च शिक्षण संस्थान है।

हाल ही में विश्वविद्यालय की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नेक) ने विश्वविद्यालय को 'ए' ग्रेड प्रदान की है। वर्तमान में, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र राज्यीय विश्वविद्यालय है जिसे यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर नेक के द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 25 है। इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय वर्तमान में राष्ट्र के अग्रणी विश्वविद्यालयों में सम्मिलित है।

अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक रहते हुए अपनी विविध विस्तार गतिविधियों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने पिछड़े, कमजोर और गरीब लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय में स्थापित 'यूजीसी महिला अध्ययन केन्द्र' और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र' ने महिलाओं के सशक्तीकरण, लैंगिक समानता एवं बाल विकास के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है।

विश्वविद्यालय इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह अपने अधिकांश कार्यों, जैसे- शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और प्रशासन आदि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रमुखता से कर रहा है। शिक्षकों और छात्रों के शैक्षिक विकास में अभिवृद्धि करने हेतु ई-पुस्तकालय का एक सुदृढ़ ढाँचा तैयार किया गया है।

अधिक कुशल और रोजगार योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्तमान पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता रखने वाले नए पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय की एक प्रमुख गतिविधि है। अंतर-अनुशासनात्मक और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कठोर और प्रभावी बनाया गया है तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बना दिया गया है।



अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवीन ज्ञान का साकार संचार किया है साथ ही अन्य संस्थानों को सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए भी आकर्षित किया है। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक शास्त्र और प्राणि शास्त्र विभाग को विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत चिह्नित किया गया है। विज्ञान संकाय के विभिन्न सदस्यों को एफआईएसटी कार्यक्रम के अन्तर्गत डीएसटी से प्राप्त सहयोग उनके द्वारा की गई वैज्ञानिक उपलब्धियों का साक्षात् प्रमाण है।

विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय की एक विशिष्ट उपलब्धि यह है कि संकाय से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की दोनों प्रमुख परिषदों यथा- 'इंडियन कॉमर्स एसोसियेशन' और 'इंडियन अकाउंटिंग एसोसियेशन' के राष्ट्रीय मुख्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में है। विषय की उच्च एवं व्यापक संस्थापना हेतु संकाय सदस्यों के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिभा खोज परीक्षा 'नेशनल अकाउंटिंग टेलेंट सर्च' आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली यह परीक्षा देशभर के चालीस से अधिक केंद्रों पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों के लिए होती है।

समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय हमेशा प्रयासरत रहा है। विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्तियाँ और योग्यता में छूट प्रदान करके इन वर्गों की उच्च शिक्षा तक पहुँच में अभिवृद्धि की है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बहुवचनात्मक और न्यायसंगत समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

वर्तमान में 249 महाविद्यालय/संस्थान इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं एवं लगभग 2 लाख 50 हजार विद्यार्थी निम्नलिखित संकायों में अध्ययनरत हैं—

विज्ञान संकाय

वाणिज्य संकाय

सामाजिक विज्ञान संकाय

मानविकी संकाय

विधि संकाय

प्रबन्ध अध्ययन संकाय

पृथ्वी विज्ञान संकाय

शिक्षा संकाय





प्रिय विद्यार्थी गण,

ज्ञान-विज्ञान और स्वाभिमान की इस पुण्यभूमि मेवाड़ की शैक्षणिक कीर्ति के ध्वजवाहक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, नवीन सत्रारम्भ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन।

यह विश्वविद्यालय यूजीसी नैक द्वारा प्रतिष्ठापूर्ण 'ए' ग्रेड से गौरवान्वित है। विश्वविद्यालय में सम-सामयिक अद्यतन पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ अनुसंधान, प्रभावी प्रबन्धन, व्यवस्थित परीक्षा-प्रणाली तथा अपेक्षित परामर्श आदि अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। श्रेष्ठ शिक्षा एवं सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों के द्वारा समग्र व्यक्तित्व विकास के अवसर आपको यहाँ प्राप्त होंगे।

विगत सत्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय-विभागों के द्वारा अनेक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक आयोजन सम्पन्न किये गए। शिक्षणेतर प्रवृत्तियों एवं खेलकूद में प्रदर्शन उत्साहपूर्ण रहा। मैं आशा करता हूँ कि राज्य सरकार के सकारात्मक सहयोग, रूस के अन्तर्गत प्राप्त प्रोत्साहन से इस सत्र में भी अकादमिक उपलब्धियों से विश्वविद्यालय की गरिमा में वृद्धि होगी साथ ही शिक्षा के साथ-साथ सहगामी प्रवृत्तियों तथा खेलकूद में भी हमारा प्रदर्शन निरन्तर श्रेष्ठ रहेगा। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे उपलब्ध अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठायेंगे।

आप विद्यार्थीगण ही भावी राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्रीय समृद्धि एक लोककल्याण के सशक्त माध्यम के रूप में आपके व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। हमारा प्रयत्न है कि विश्वविद्यालय सनातन भारतीय जीवन मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण कर चिन्तन, सर्जन तथा नये विचारों का केन्द्र बने। शिक्षा ही जीवन में व्याप्त बन्धनों और वर्जनाओं से मुक्ति का प्रभावी साधन है- "सा विद्या या विमुक्तये"। यही हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने में सक्षम है। हमारे विश्वविद्यालय ध्येयवाक्य भी यही है- विद्यया विन्दतेमृतम्। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रवेश के उपरान्त आप निरन्तर कक्षाओं में उपस्थित रह कर विश्वविद्यालय के योग्य एवं निष्णात शिक्षकों से निरन्तर विद्यार्जन करेंगे तथा अखण्ड संकल्प, अनुशासन, अदम्य उत्साह, आत्मविश्वास के साथ कठोर परिश्रम के द्वारा न केवल स्वयं-अपने परिवार अपितु प्रदेश-देश एवं मानवता के कल्याण के लिए योग्यता अर्जित करेंगे और इस ज्ञान भूमि का मान बढ़ायेंगे।

पुनः आप सभी विद्यार्थीगण, विद्वान् सच्चरित्र, शिक्षकगण, कर्मठ शिक्षणेतर अधिकारी-कर्मचारीगण का अभिनन्दन।

प्रो. जे. पी शर्मा
कुलपति



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम	
	- विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय	04-25
	- विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय	26-35
	- विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय	36-59
	- विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय	60-63
2.	पीएच. डी. कार्यक्रम	64-67
3.	प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया	68-85
4.	उपस्थिति नियम	86
5.	शुल्क	87-94
6.	सामान्य अनुशासन नियम	95-97
7.	रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान	98-99
8.	परीक्षा संबंधी नियम	100-105
9.	छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता	106-108
10.	पुस्तकालय सुविधाएँ	109-110
11.	छात्रावास	111
12.	यात्रा रियायतें	112
13.	छात्रसंघ और इसकी चुनाव प्रक्रिया	113-114
14.	विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ	115-118
15.	विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र	119
16.	विश्वविद्यालय इन्टरनेट केन्द्र	120-122
17.	राष्ट्रीय सेवा योजना	123-124
18.	खेलकूद	125
19.	शैक्षणिक सत्र	126
20.	महत्त्वपूर्ण दूरभाष	127-131
21.	विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय	132-139
22.	परीक्षा केलेण्डर	140-149



मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

Tel. 0294-2470166, 2470707, Fax : 0294-2471150
E-mail : registrar@mlsu.ac.in Website : www.mlsu.ac.in



H. E. Kalyan Singh
Chancellor



Prof. J. P. Sharma
Vice Chancellor

Dean & Chairman

Dean, Post-Graduate Studies	Prof. Seema Malik
Dean, Student Welfare	Prof. M.S. Rathore
Dean, University College of Science	Prof. B.L. Ahuja
Chairman, Faculty of Science	Prof. B.L. Ahuja
Dean, University College of Commerce & Management Studies & Chairman, Faculty of Commerce	Prof. G. Soral
Dean, University College of Social Sciences & Humanities	Prof. Sadhna Kothari
Dean, University College of Law & Chairman, Faculty of Law	Prof. Anand Paliwal
Chairman, Faculty of Management Studies	Prof. Anil Kothari
Chairperson, Faculty of Social Sciences	Prof. Monika Nagori
Chairperson, Faculty of Humanities	Prof. Seema Malik
Chairperson, Faculty of Education	Prof. Sadhna Kothari
Chairman, Faculty of Earth Sciences	Prof. Harsh Bhu

Officer Incharge of Co-Curricular Activities

Chairman, University Central Placement Cell	Prof. Karunesh Saxena
Chairman, University Sports Board	Prof. C.R. Suthar
Chief Proctor	Prof. I. M. Kayamkhani
Director, Internal Quality Assurance Cell	Prof. G. Soral
Chairman University Industry Interface Cell/Smart Village	Prof. P.R. Vyas
Chief Warden, Hostels	Prof. Anil Kothari
Officer Incharge, Central Library	Prof. Hanuman Prasad
Co-ordinator, N.S.S.	Prof. C.R. Suthar
Director, College Development Council	Prof. Madan Nagori

Director, Skill Development Centre	Prof. Harsh Bhu
Director, Population Research Centre	Prof. P.M. Yadav
Director, University Computer Center	Prof. B. M. Vyas
Convener, University Central Anti Ragging Committee	Prof. M.L. Nagori
Director, University Employment & Advisory Bureau	Prof. Hadeesh Ansari
Co-ordinator, SC/ST Cell	Prof. Hanuman Prasad
Co-ordinator, Internet Centre & Web Portal	Shree Sanjeev Agrawal
Co-ordinator, Centre for Human Rights Studies	Prof. Sanjay Lodha
Convener, Internal Complaints Committee	Prof. Sadhna Kothari
Director, Centre for Nehru Studies & Director, Research & Development Cell	Prof. Sanjay Lodha
Co-ordinator, Competitive Exam, Coaching Centre	Prof. Pradeep Trikha
Advisor, International Students	Prof. Pradeep Trikha
Convener, University Media Cell	Dr. Kunjan Acharya
Co-ordinator, Centre for Entrepreneurship & Small Business Management Cell	Prof. Hanuman Prasad
Co-ordinator, Centre for Soft Skills	Prof. Seema Malik
Convener, University Research & Development Cell	Prof. Sanjay Lodha
Convener, Equal Opportunity Cell	Prof. Sudha Choudhary
Director, Centre of Initiative for Innovation & Development Action	Prof. Sanjay Lodha
Convener, Minority Cell	Prof. Mohd. Farooq Bakshi
Incharge, University Guest House	Prof. Ashok Singh

Administrative & Academic Officers



Shri H.S. Bhati
Registrar



Shri Girish Kachhara
Comptroller



Dr. R.C. Kumawat
Controller of Exams



Dr. Ramkesh Meena
Deputy Librarian
Central Library



Shri Harkesh Meena
Dy. Registrar (Exam.)



Dr. G.L. Vasita
Sr. Accounts Officer &
Dy. Comptroller



Shri A.S. Khan
University Engineer



Shri Mukesh Barber
Asstt. Registrar

N.C.C. Officers

Army Wing

Lt. (Prof.) G.S. Rathore University College of Science,
Company Commander, No. 10 BN. N.C.C., Udaipur

Naval Wing

Sub/Lt (Dr.) Ajit Kumar Bhabor University College of Science, Troop
Commander, I Raj. Naval Unit, NCC, Udaipur

Air Wing

Flg. Offr. (Dr.) Devendra Singh Rathore, University College of Science
Flying Officer, ANO, 6 Raj. Air Sqn NCC, Udaipur

विभिन्न संकाय एवं पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय University College of Science

Tel	0294-2413955
Fax	0294-2413955
E-mail	ucs@mlsu.ac.in
Web	www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता

प्रो. बी. एल. आहूजा

सह अधिष्ठाता

प्रो. बी. आर. बामणिया

सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण

डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़

प्रॉक्टर

डॉ. हरीश

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

डॉ. पी. एस. राजपूत

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. विजय कोली

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. अनुया वर्मा

Faculty of Science **विज्ञान संकाय**

संकायाध्यक्ष

प्रो. बी. एल. आहूजा

वनस्पति विज्ञान विभाग (Department of Botany)



डॉ. कनिका शर्मा
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. रोहिणी त्रिवेदी
सहायक आचार्य



डॉ. जया अरोड़ा
सहायक आचार्य



डॉ. विनीत सोनी
सहायक आचार्य



डॉ. हरीश
सहायक आचार्य

रसायन शास्त्र विभाग (Department of Chemistry)



डॉ. पंकी बाला पंजाबी
आचार्य



डॉ. रेखा दशोरा
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. शिखा अग्रवाल
सहायक आचार्य



डॉ. पूनम खण्डेलवाल
सहायक आचार्य



डॉ. चेतना अमेटा
सहायक आचार्य



डॉ. दिनेश पाण्डे
सहायक आचार्य



डॉ. नीतू कुमारी
सहायक आचार्य



डॉ. दिनेश कुमार यादव
सहायक आचार्य



श्री नितिन कुमार
सहायक आचार्य



डॉ. प्रभात कुमार बारोलिया
सहायक आचार्य

कम्प्यूटर साइंस (Computer Science)



डॉ एम. के. जैन
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

गणित एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Mathematics and Statistics)



डॉ. घनश्याम सिंह राठौड़
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. अतुल त्यागी
आचार्य



डॉ. राकेश्वर पुरोहित
सहायक आचार्य



डॉ. सुशील कुमार गांधी
सहायक आचार्य



डॉ. अपराजिता कृष्णा
सहायक आचार्य



डॉ. अजित कुमार भाबोर
सहायक आचार्य

फार्मसी विभाग (Department of Pharmacy)



डॉ. पी.के. चौधुरी
आचार्य



डॉ. सी.पी.जैन
आचार्य



डॉ. ललित सिंह चौहान
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. जूही प्रधान
सहायक आचार्य



डॉ. सुनीता पांचावत
सहायक आचार्य



डॉ. माँगीलाल चौहान
सहायक आचार्य



डॉ. गरीमा जोशी
सहायक आचार्य



डॉ. सौरभ कुमार सिन्हा
सहायक आचार्य



डॉ. दीपक चौधरी
सहायक आचार्य



डॉ. वीनू बाला
सहायक आचार्य



श्री मुकेश कुमार मीना
सहायक आचार्य

भौतिक विज्ञान विभाग (Department of Physics)



डॉ. बी. एल. आहूजा
आचार्य



डॉ. एन. लक्ष्मी
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. एम. राय
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. बी. एम. व्यास
आचार्य



डॉ. के. बी. जोशी
आचार्य



डॉ. सुधीश कुमार
आचार्य



डॉ. एम. एस. ढाका
आचार्य

प्राणी विज्ञान विभाग (Department of Zoology)



डॉ. आरती प्रसाद
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. छाया भटनागर
सहायक आचार्य



डॉ. रागिनी शर्मा
सहायक आचार्य



डॉ. प्रीति सिंह
सहायक आचार्य



डॉ. विजय कुमार कोली
सहायक आचार्य



श्री दीपक रावल
सहायक आचार्य



श्री आशाराम मीणा
सहायक आचार्य



डॉ. पी. एस. राजपूत

Courses पाठ्यक्रम

जैव तकनीकी (Bio-Technology)

पाठ्यक्रम निदेशक
प्रभारी



डॉ. हर्षदा जोशी
सहायक आचार्य

प्रो. कनिका शर्मा
डॉ. हर्षदा जोशी

सूक्ष्म जैविकी (Microbiology)

पाठ्यक्रम निदेशक (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)

प्रो. कनिका शर्मा

पॉलीमर विज्ञान (Polymer Science)

पाठ्यक्रम निदेशक (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)
प्रभारी

प्रो. रेखा दशोरा
डॉ. ज्योति चौधरी



डॉ. ज्योति चौधरी
सहायक आचार्य

सूचना प्रौद्योगिकी (Informatics and Computational Sciences)

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. एन. लक्ष्मी

Master of Computer Science

पाठ्यक्रम निदेशक

प्रो. एम. के. जैन

औद्योगिक रसायन शास्त्र (Industrial Chemistry)

पाठ्यक्रम निदेशक
प्रभारी

प्रो. रेखा दशोरा
डा. प्रभात बारोलिया

Centre केन्द्र

विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र (University Computer Centre)

निदेशक

प्रो. बी.एम. व्यास



श्री संजीव अग्रवाल
सिस्टम मैनेजर



डॉ. एन. के. पारीख
प्रोग्रामर

महाविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र
College Computer Centre

प्रभारी

प्रो. बी. आर. बामणिया

विश्वविद्यालय वर्कशाप (University Workshop)

तकनीकी सहायक

श्री हेमन्त भण्डारी

Placement Cell

प्रभारी

डॉ. जया अरोडा

University EPABX

प्रभारी

श्री हेमन्त भण्डारी

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन) तालिका 1

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक*	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
विज्ञान स्नातक (बी. एससी.)						
1.	भौतिकी-गणित वर्ग I. भौतिकी, रसायन, गणित ii. भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान iii. भौतिकी, गणित, भू-विज्ञान iv. भौतिकी, गणित, सांख्यिकी	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	120	सामान्य शुल्क
2.	गणित के साथ निम्न में से दो विषय रसायन, भू-विज्ञान, सांख्यिकी	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	60	सामान्य शुल्क
3.	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान (अतिरिक्त सीट)	10+2 (विज्ञान) गणित के साथ	48%	3 वर्ष	20 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 6,875 प्र. वर्ष + सामान्य शुल्क
4.	लाइफ साइंस ग्रुप रसायन विज्ञान के साथ निम्न में से दो विषय : वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भू-विज्ञान	10+2 (विज्ञान) बायोलॉजी के साथ	48%	3 वर्ष	180	सामान्य शुल्क
5.	लाइफ साइंस ग्रुप (अतिरिक्त सीट) रसायन विज्ञान सहित के साथ निम्न में से दो विषय: वनस्पति, विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान, भू-विज्ञान	10+2 (विज्ञान) बायोलॉजी के साथ	48%	3 वर्ष	30 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 6,875 प्र. वर्ष + सामान्य शुल्क
6.	बी.एससी. (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)	10+2 (विज्ञान) बायोलॉजी/ गणित)	48%	3 वर्ष	120 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 25,000 प्र. वर्ष + सामान्य शुल्क
बी.एससी. (सी.बी.सी.एस) सेमेस्टर पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित)#						
7.	विज्ञान स्नातक अतिरिक्त विषय भू-विज्ञान के साथ	विज्ञान स्नातक	48%	1 वर्ष	20	सामान्य शुल्क
8.	भैषजिक विज्ञान स्नातक (बी. फार्मा)	10+2 (विज्ञान)	48%	4 वर्ष	40	₹ 35,000 प्र. वर्ष + रु. 5000 अवधान शुल्क
9.	बी. एससी. बायोटेक्नोलॉजी के साथ (इन विषय समूह के साथ: जैव तकनीकी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10+2 (विज्ञान) बायोलॉजी के साथ	48%	3 वर्ष	60 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 38,500 प्र. वर्ष + स्थानीय शुल्क
10.	बी. सी. ए. (सीबीसीएस) सेमेस्टर स्कीम स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	10+2 (विज्ञान)	48%	3 वर्ष	120 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	₹ 29,500 प्र. वर्ष + स्थानीय शुल्क

सामान्य शुल्क :- शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालय, स्थानीय कोष शुल्क, इत्यादि।
टिप्पणी :-

- भौतिक विज्ञान, भू-विज्ञान, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर विज्ञान के तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या क्रमशः भौतिक विज्ञान: 120, भू-विज्ञान: 40, सांख्यिकी: 40 एवं कम्प्यूटर विज्ञान: 20 से अधिक नहीं होंगी।
- यदि किसी विषय समूह में 10 से कम विद्यार्थी के आवेदन मिलने की स्थिति में मेरिट सूची के अनुसार दूसरे विषय समूह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

MAIN COURSES (FULL TIME)

TABLE : 1

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks	Duration	Total Seats	Fee
Bachelor of Science (B.Sc.)						
1.	Physics-Mathematics Group (PCM, PM Comp., PMG, PM Stat.)	10+2 (Science) with Maths	48%	Three Years	120	Normal fee
2.	Mathematics with any two following subjects Chemistry, Geology, Statistics	10+2 (Science) with Maths	48%	Three Years	60	Normal fee
3.	Physics, Mathematics & Comp. Sc. (Additional Seats)	10+2 (Science) with Maths	48%	Three Years	SFS: 20	₹ 6875/- +Normal Fee
4.	Life Science Group Chemistry with any two of the following Subjects Botany, Zoology, Env. Sc., Geology	10+2 (Science) with Biology	48%	Three Years	180	Normal fee
5.	Life Science Group (Additional seats) Chemistry with any two of the following Subjects' Botany, Zoology, Env.Sc.,	10+2 (Science) with Biology	48%	Three Years	SFS: 30	₹ 6875/- +Normal Fee
6.	B. Sc. (SFS) Course	10+2 (Science) Biology/ Mathematics)	48%	Three Years	SFS: 120	₹ 25000/- +Normal Fee
B.Sc. (CBCS) Semester Courses						
7.	B.Sc. with Additional Subject Geology	B.Sc.	48%	One Year	20	Normal Fee
8.	B. Pharma.	10+2 (Science)	48%	Four Years	40	₹ 35,000/- per year + 5,000/- Caution fee
9.	B.Sc. with Biotechnology following subject combinations :Biotechnology + Botany + Chemistry SFS Course	10+2 (Science) with Biology	48%	Three Years	SFS: 60	₹ 38,500/- per year+ College Local Fund Fee
10.	B.C.A. (CBCS) Semester SFS Course	10+2 (Science)	48%	Three Years	SFS: 120	₹ 29,500/- per year + College Local Fund Fee

Normal Fee: Tuition Fee, College Local Fund Fee, etc.

NOTE:

- Total number of seats for the three year degree courses in Physics, Geology, statistics and computer Science shall not exceed Physics :120, Geology: 40, Statistics:40 and Computer Science:40.
- If number of students admitted in a subject combination is less than 10, admitted students will be transferred to other subject combinations as per merit due to minimum number of students required to offer a subject combination.

विज्ञान स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) सेमेस्टर पाठ्यक्रम

शैक्षणिक सत्र 2015 से विज्ञान संकाय एवं भू-विज्ञान संकाय में प्रभावी

तालिका 2

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता प्राप्तांक	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	कुल प्रवेश क्षमता सामान्य+ स्ववित्त पोषित शुल्क सीट	स्ववित्त पोषित सीट शुल्क
स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) सेमेस्टर पाठ्यक्रम						
1.	जैव तकनीकी	विज्ञान स्नातक*	48%	2 वर्ष	सामान्य=08 स्ववित्त पोषित=22	₹ 27,780 प्रति सेमेस्टर+ सामान्य शुल्क
2.	वनस्पति विज्ञान	विज्ञान # स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25 स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,280 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
3.	रसायन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 30 स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
4.	पर्यावरण विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=10 स्ववित्त पोषित=15	₹ 27,780 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
5.	भू-विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=15 स्ववित्त पोषित=15	₹ 25,000 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
6.	सूचना तकनीकी विज्ञान	विज्ञान स्नातक/ बीसीए	48%	2 वर्ष	25 स्ववित्त पोषित	₹ 27,786 प्रति सेमेस्टर+ स्थानीय शुल्क
7.	औद्योगिक रसायन विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	25 स्ववित्त पोषित	₹ 27,780 प्रति सेमेस्टर+ स्थानाय शुल्क
8.	गणित	विज्ञान/कला /स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य=50 स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
9.	सूक्ष्म जैव विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	20 स्ववित्त पोषित	₹ 35,480 प्रति सेमेस्टर+ स्थानीय शुल्क
10.	भौतिक विज्ञान	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25 स्ववित्त पोषित=10	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
11.	पॉलिमर विज्ञान	विज्ञान स्नातक**	48%	2 वर्ष	सामान्य=10 स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क

12.	सांख्यिकी	विज्ञान स्नातक	48%	2 वर्ष	25 स्ववित्त पोषित	₹ 22,250 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
13.	प्राणी विज्ञान	विज्ञान @ स्नातक	48%	2 वर्ष	सामान्य= 25 स्ववित्त पोषित=15	₹ 22,280 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क
14.	एम.सी.ए. (सीबीसीएस)	विज्ञान स्नातक /बी.सी.ए. गणित के साथ	48%	3 वर्ष	सामान्य= 30 स्ववित्त पोषित=30	राज्य सरकार के नियमानुसार
15.	एम. एससी. टेक. एपलाइड जियोलोजी	एम. एससी. भू-विज्ञान	48%	1 वर्ष	सामान्य= 10 स्ववित्त पोषित=05	₹ 24,480 प्रति वर्ष+ सामान्य शुल्क

सामान्य शुल्क :- शैक्षणिक शुल्क, महाविद्यालय स्थानीय कोष शुल्क आदि कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुल्क रुपये 500/- प्रति कौशल पाठ्यक्रम अतिरिक्त #स्नातक स्तर में गणित ऐच्छिक विषय के रूप में होना अनिवार्य है।

टिप्पणियाँ :-

- * स्नातकोत्तर जैव तकनीकी में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से कोई दो विषय विज्ञान स्नातक में होने आवश्यक हैं-रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण तकनीकी, सूक्ष्म जैव विज्ञान, आनुवांशिकी, जैव तकनीकी,सूक्ष्म जैव आनुवांशिकी। अभ्यर्थी के पास स्नातक में जैव तकनीकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, जैव चिकित्सा तकनीकी, आनुवांशिकी अभियान्त्रिकी, कृषि विज्ञान, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, खाद्य विज्ञान, खादय तकनीकी विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, बी. फार्मा और अन्य प्रासंगिक विषय भी प्रवेश के लिए पात्र है।
- ** स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास विज्ञान स्नातक में ऐच्छिक विषयों में रसायन विज्ञान का होना अनिवार्य है।
- # स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक की डिग्री तथा वनस्पती शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा होना आवश्यक है। स्पष्टीकरण हेतु उम्मीदवार कृपया नोट करे कि बी.एससी. बायोटेक, बी.एससी कृषि विज्ञान, बी. फार्मा तथा अन्य इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र स्नातकोत्तर वनस्पती शास्त्र में प्रवेश ले सकते है। यदि उन्होंने उपर्युक्त पाठ्यक्रम में वनस्पति शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।
- @ स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक की डिग्री तथा प्राणी शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ा होना आवश्यक है। स्पष्टीकरण हेतु उम्मीदवार कृपया नोट करे कि बी.एससी. बायोटेक, बी.एससी कृषि विज्ञान, बी फार्मा तथा अन्य इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र में प्रवेश ले सकते है यदि उन्होंने उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्राणी शास्त्र एक मुख्य विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।
- 1. स्ववित्त पोषित सीटों पर प्रवेश हेतु अतिरिक्त शुल्क (सामान्य सीटों के शुल्क के अतिरिक्त) तालिका 2 के अनुसार देना होगा।
- 2. सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को सामान्य कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुल्क ₹ 500/- प्रति पाठ्यक्रम महाविद्यालय शुल्क के साथ भुगतान करने होंगे, जो विद्यार्थी स्ववित्त पोषित विभागीय विशेष कौशल पाठ्यक्रम को चुनेगा उसे विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क अतिरिक्त जमा करवाना पड़ेगा।
- 3. सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान स्नातक तथा स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अलग-अलग विषयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर सेमेस्टर के अन्त में होने वाली लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अलग-अलग विषयों में उपस्थिति होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का मेडिकल तथा अन्य किसी कारण से उपस्थिति में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। उपस्थिति के मिलान करने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व उपस्थिति के बारे में अच्छी तरह नियमों को पढ ले।

Master of Science (CBCS) Semester Course

Table : 2

S. No.	Discipline (Subject)	Eligibility	Minimum Required Marks	Duration	Total Seats Normal fee+ payment seats	Fees for SFS seats
1.	Biotechnology	B.Sc.*	48%	Two Years	08+22	₹ 27,780/- per semester + Normal fee
2.	Botany	B.Sc.#	48%	Two Years	25+10	₹ 22,280/- per year + Normal fee
3.	Chemistry	B.Sc.	48%	Two Years	30+15	₹ 22,250/- per year + Normal fee
4.	Environmental Sciences	B.Sc.	48%	Two Years	10+15	₹ 27,780/- per year + Normal fee
5.	Geology	B.Sc.	48%	Two Years	15+15	₹ 25,000/- per Year + Normal fee
6.	M.Sc (IT)	B.Sc./ B.C.A	48%	Two Years	25 (SFS)	₹ 27,786/- per Semester + Local Fund fee
7.	Industrial Chemistry	B.Sc./ B. Pharma**	48%	Two Years	25 (SFS)	₹ 27,780/- per Semester + Local Fund fee
8.	Mathematics	B.Sc./B.A.	48%	Two Years	50+10	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
9.	Microbiology	B. Sc.*	48%	Two Years	20 (SFS)	₹ 35,480/- per Semester + Local Fund fee
10.	Physics	B.Sc.	48%	Two Years	25+10	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
11.	Polymer Science	B.Sc.**	48%	Two Years	10+15	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
12.	Statistics	B.Sc.	48%	Two Years	25 (SFS)	₹ 22,250/- per Year + Normal fee
13.	Zoology	B.Sc.@	48%	Two Years	25+15	₹ 22,280/- per Year + Normal fee
14.	M.C.A (CBCS)	B.Sc./B.C.A with Mathematics Paper	48%	Three Years	30+30	As per state government rule
15.	M. Sc. Tech (Applied Geology)	M.Sc. Geology	48%	One Year	10 + 5	₹ 24480/- per Year + Normal fee

Normal Fee: Tuition Fee + College Local Fund Fee etc.

Additional Skill course Fee: Rs 500/- per skill course

Note:

- * For admission to M.Sc. Biotechnology, Candidates must have any of the following two subjects at B.Sc. Chemistry, Botany, Zoology, Environmental Sc., Environmental Technology, Microbiology, Genetics, Biotechnology/Microbial Genetics. Candidate with Bsc. in Biotechnology, genetics, microbiology, Biochemistry, Biomedical Science, Biomedical technology, genetic engineering, agriculture, life science, biosciences, food science, food technology, forensic science, B.Pharma and other relevant subjects are also eligible for admission.
 - ** For Admission to M.Sc., the student must have compulsorily studied Chemistry as one of the optional subject.
 - # For Admission to M.Sc. candidate must be UG and must have compulsorily studied botany as part of their core course during graduation. For clarification it may be noted that students with B.Sc. Biotech, B.Sc. Agriculture, BPharma or such other professional courses they can take admission in M.Sc. Botany if they have studied botany as part of graduation course.
 - @ For Admission to M.Sc. candidate must be UG and must have compulsorily studied zoology as part of their core course during graduation. For clarification it may be noted that students with B.Sc. Biotech, B.Sc. Agriculture, BPharma or such other professional courses they can take admission in M.Sc. zoology if they have studied zoology as part of graduation course.
1. For SFS seats additional fee (other than College normal fee) will be charged as per table
 2. In M.Sc (CBCS) course, an additional fee of Rs 500/- will be charged by the college for the Skill courses of General category offered by the College. If the students selects any of specialized skill course of General category or Departmental Skill courses under SFS an additional fee will be charged by the department.
 3. According to CBCS scheme a minimum of 75% attendance in each paper of every course is compulsory for students taking admission in B.Sc., M.Sc. and B.C.A (CBCS) programme. If at the end of the semester their attendance is found less than 75%, they shall not be allowed to appear in the end semester theory and practical examinations both. No concession in the attendance shall be given on medical or any other grounds. There is no provision for condoning attendance. Students are advised to read the attendance rules of the college before taking admission.

विज्ञान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू किए गए नियम

1. स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी को विषय परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही विद्यार्थियों का सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग/प्रवेश के दौरान विकल्प पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
2. वह विद्यार्थी जो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे उन्हें नियमित स्ववित्त पोषित शुल्क के अलावा सामान्य शुल्क, स्थानीय शुल्क का भुगतान तालिका के अनुसार करना होगा।
3. विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने के बाद उपस्थिति नियम निम्न प्रकार से होगा।
 - (1) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के बाद सैद्धान्तिक व प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। सीबीसीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक पेपर में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
 - (2) प्रत्येक विद्यार्थी की माहवार उपस्थिति सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा संकलन कर विश्वविद्यालय की वेब साईट एवं विभाग के सूचना पट्ट पर विभागाध्यक्ष साधारणतय अगले माह की 7 तारीख तक दर्शायी जाएगी।
 - (3) स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होती है तो ऐसे विद्यार्थियों को विवविद्यालय स्तर पर होने वाली सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर भी किसी वास्तविक परिस्थिति में कमेटी द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत रेमेडियल कक्षाएँ लगवाने के लिए की गई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रत्येक पेपर पर होने वाले अध्यापन खर्च का वहन विद्यार्थियों को स्वयं उठाना होगा। अधिकतम रेमेडियल कक्षाओं में किसी भी प्रकार की रियायत अथवा छूट का प्रावधान नहीं है
 - (4) कमेटी द्वारा निर्धारित किसी भी गंभीर चिकित्सकीय कारण के लिए विद्यार्थी द्वारा मेडिकल छुट्टी देने के बाद विद्यार्थी से असाइनमेन्ट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य किये जाने के बाद अधिकतम 5 प्रतिशत कक्षाओं की भरपाई की जा सकती है। उपस्थिति का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
 - (5) यदि किसी कारणवश विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करते हुए कम उपस्थिति होने के वाबजूद आन-लाईन परीक्षा फार्म भर दिया तथा प्रवेश पत्र जारी होने के बाद भी उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह मुख्य परीक्षा दे देता है तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
 - (6) विभागाध्यक्ष और अधिष्ठाता, महाविद्यालय को उपस्थिति नियमों में किसी भी प्रकार की रियायत देने का अधिकार नहीं होगा। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शपथ पत्र/ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा।
4. स्ववित्त पोषित सीट/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को स्नातक व स्नातकोत्तर में सामान्य सीटों में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
5. विद्यार्थी ने महाविद्यालय में शुल्क जमा कराया लेकिन महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विद्यार्थी को महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जाएगा तथा महाविद्यालय से मिलने वाली सुविधा से वंचित तथा न ही किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

6. यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने के एक माह के भीतर अपना प्रवेश रद्द कराता है तो उसे ट्यूशन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क नियमों के अन्तर्गत वापस भुगतान कर दिया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया का शुल्क काटकर तभी लौटाया जा सकेगा जब प्रवेश की अन्तिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट भर ली गई हो।

(1) ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश लेने के एक सप्ताह के अन्दर मूल रसीद जो कि उसे अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई थी के साथ अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) शुल्क वापसी प्रार्थना पत्र के साथ महाविद्यालय द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/पेमेन्ट सीट की आर्थिक व्यवहार्यता के कारण विद्यार्थी को शुल्क सभी सीटें भरने के बाद तभी वापस किया जाएगा जब उस सीट पर किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाता है।

(4) विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनः शुल्क प्राप्त प्रार्थना पत्र प्रवेश प्रक्रिया के एक माह के बाद महाविद्यालय तथा विभाग की प्राप्त होता है तो ऐसे प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. विद्यार्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि वे अपना अवदान द्रव्य/बुक-बैंक सिक्यूरिटी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लेने के एक वर्ष के भीतर अथवा का एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् उक्त राशि पुनः प्रदान नहीं की जाएगी।

8. ऐसे विद्यार्थी जो एक माह तक (सरकारी अवकाश को छोड़कर) निरन्तर महाविद्यालय में अनुपस्थित है तो ऐसे विद्यार्थी का नाम उपस्थिति पंजिका से हटा दिया जायेगा वे पुनः प्रवेश के लिए तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के योग्य नहीं होंगे। जबकि यदि विद्यार्थी चिकित्सा कारणों की वजह से अनुपस्थित रहता/रहती है तो ऐसे विद्यार्थियों को चिकित्सा के कारण कमेटी द्वारा निर्धारित किसी भी गंभीर चिकित्सकीय कारण के लिए विद्यार्थी द्वारा मेडिकल छुट्टी देने के बाद विद्यार्थी से असाइनमेन्ट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य किये जाने के बाद अधिकतम 5 प्रतिशत कक्षाओं की भरपाई की जा सकती है।

9. विज्ञान स्नातकोत्तर (सीबीसीएस) पाठ्यक्रम में उपस्थिति हेतु बनाए गये सभी प्रकार के नियम विज्ञान स्नातक (सीबीसीएस) बी. एससी, बी.सी.ए तथा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम पर भी लागू होंगे।

10 स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी को पूर्व उत्तीर्ण किये गये संस्थान द्वारा जारी अपना मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। प्रवेश लेने के पश्चात् तथा पहचान पत्र प्राप्त होने के बाद विद्यार्थी किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तथा उक्त महाविद्यालय से प्रवेश वापस लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे महाविद्यालय द्वारा नया स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उसे मूल स्थानान्तरण प्रवेश पत्र पुनः प्रदान नहीं किया जाएगा।

विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के तहत विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् के निर्देशानुसार शैक्षणिक क्षेत्र 2015 से विज्ञान संकाय एवं भू-विज्ञान संकाय के सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को अपनाने का फैसला किया गया है।

कार्यक्रम की समय सीमा : दो (2) वर्ष

पात्रता : स्नातक अथवा प्रासंगिक विषय में अथवा उसके समकक्ष उपाधि अथवा निर्धारित विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा प्रासंगिक सीबीसीएस आधारित स्नातक डिग्री में प्रासंगिक विषय में न्यूनतम 24 क्रेडिट एवं 'सी' ग्रेड।

प्रवेश : स्नातक स्तर पर प्रासंगिक विषय में बाह्य लिखित परीक्षा में सैद्धान्तिक (theory paper) परीक्षा पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से तीन गुना अधिक होती है तो प्रवेश प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा तथा उसके पश्चात् प्रवेश परीक्षा के 50 प्रतिशत अंकों एवं स्नातक स्तर में सैद्धान्तिक प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़ कर वरीयता बनाई जाएगी।

निर्देश एवं परीक्षा का माध्यम : अंग्रेजी

सीटों की संख्या : तालिका 1 तथा 2 में दी गई सूचना के आधार पर।

क्रेडिट आवश्यकता (Credit requirement) प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 100 क्रेडिट अर्जित करने हैं। 96 क्रेडिट मूल पाठ्यक्रम में से तथा 4 क्रेडिट कौशल पाठ्यक्रम से।

सीबीसीएस कार्यक्रम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु हर कोर्स में से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, अगर किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई जाएगी तो उसे सत्रांत की बाह्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा वे एक भी क्रेडिट अर्जित नहीं कर पाएँगे।

प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के आरंभ में विद्यार्थी को निर्धारित मूल विषय विशिष्ट एवं कौशल कार्यक्रमों में पंजीकरण करना आवश्यक है।

कौशल पाठ्यक्रमों का चुनाव विद्यार्थी किन माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय अपने स्तर पर निम्नलिखित सामान्य कौशल पाठ्यक्रमों को मात्र ₹ 500/- के शुल्क के साथ संचालित करेगा। यह शुल्क वार्षिक शुल्क के साथ लिया जायेगा।

1. विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष कौशल पाठ्यक्रम में से किसी एक पाठ्यक्रम का चुनाव विद्यार्थी को करना होगा।
2. उपर्युक्त कौशल पाठ्यक्रम महाविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

सामान्य कौशल पाठ्यक्रम

1. कम्प्यूटेशन एवं प्रजेन्टेशन कौशल
2. वैज्ञानिक लेखन कौशल

3. आई सी टी कौशल

4. गणितीय एवं विश्लेषणात्मक कौशल (जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए)

प्रत्येक सामान्य कौशल पाठ्यक्रम चलाने हेतु कम से कम बीस विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेना आवश्यक है। विषय विशिष्ट कौशल पाठ्यक्रम चलाने हेतु कम से कम दस विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना आवश्यक है।

प्रत्येक कौशल पाठ्यक्रम के लिए दो क्रेडिट (4 घंटे प्रति सप्ताह) निर्धारित हैं एवं प्रत्येक विद्यार्थी को सामान्य अथवा विशिष्ट योग्यता पाठ्यक्रमों की सूची में से कोई भी दो पाठ्यक्रमों का चयन कर कुल चार (4) क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अगर चाहे तो दो से ज्यादा योग्यता पाठ्यक्रम का चयन कर निर्धारित 100 क्रेडिट से ज्यादा क्रेडिट प्राप्त कर अपनी डिग्री में गुण/मूल्य संवर्धन (Value addition) कर सकते हैं। यह अतिरिक्त श्रेय (extra credit) विद्यार्थी की अंक तालिका पर अतिरिक्त के रूप में अंकित किए जाएंगे।

सामान्य कौशल एवं विषय विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए आनलाईन पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ आधार पर क्रेडिट विकल्प आधारित प्रणाली (CBCS) के पंजीकरण के साथ प्रथम दिवस से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

CBCS पाठ्यक्रम का प्रबंधन (संचालन) वेब आधारित एप्लीकेशन के द्वारा किया जाएगा। अतः विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे इन वेब आधारित एप्लीकेशन का नियमित रूप से उपयोग करें एवं विश्वविद्यालय की वेब साईट पर सभी विवरणों की जानकारी प्राप्त करें।

सीबीसीएस स्नातकोत्तर 2016-17

RULES APPLICABLE TO STUDENTS ADMITTED UNDER FACULTY OF SCIENCE

1. Students admitted to Under Graduate and Post-graduate Courses shall not be allowed to change their subjects. So students are advised to choose their option carefully during counseling/admission.

2. Students admitted against SFS seats(Payment seats) shall be required to pay an additional Payment seat Fee in addition to the college fee annually.

3. Following attendance rules will apply for all the students admitted.

(a) All the students admitted as regular students of UG,PG and other courses in the faculty of science shall be required to attend 75% of the classes held in each subject in both practical and theory separately. In CBCS courses, 75% attendance will be required separately in each paper as per course rules.

(b) Attendance will be prepared by the teacher concerned and will be notified every month on the notice board and on the University website normally up to 7th of every month by the Head of the Department.

(c) Candidates whose attendance is less than 75% shall not be allowed to appear in the University external examinations based on the attendance computed at the end of session/semester. However, for genuine cases decided by a committee, maximum 10% of the total classes held, can be conducted as remedial classes in each paper provided that the expenditure for conducting such classes will be borne by the participating students on sharing basis. No exception and relaxation in the maximum remedial classes to be held is permissible as it dilutes the attendance requirement.

(d) In case of serious medical reasons (to be decided by a committee) maximum 5% of classes lost may be allowed to be compensated by assigning written or any academic work by recording attendance as and when student returns back from medical leave.

(e) In case a student submits his online application form for examination without fulfilling attendance requirements or even if he has been issued online admit card, if the candidate has not satisfied attendance requirement, he/she shall not be eligible to appear in the external examination. Even if the candidate takes the admission, his/her result shall not be declared.

(f) Neither Head of the Department nor Dean of the College shall relax the above attendance rules to allow the candidates in appearing in the examination. No affidavit/certificates etc shall be valid for appearing in the University examination.

4. Once the candidate gets admission on the SFS seats/SFS courses he/she shall not be allowed to convert into Normal fee seats.

5. If any candidate deposited the fees but not attended the college, shall not be treated as student of the college and shall not be eligible for appearing in any examinations or availing facilities for the students.

6. If a student admitted against the Normal fee seats leaves the course within a period of one month from start of the course, tuition fee and Laboratory fee will be refunded as per University rules, provided that the seat allotted to the candidate is filled by last date of admission.

(i) Such candidates shall be required to apply within a week from taking admission in the outside institution along with fee receipt issued by both the institutions

(ii) Required to submit Transfer certificate issued by the College along with fee refund applications.

(iii) In case of a candidate is admitted against the SFS Course/Payment seat, the fee may be refunded if the seat vacated by the candidate is filled up by another candidate, due to economical viability of the course.

(iv) Students shall not be eligible for fee refund if their application is received for fee refund after a period of one month from the date of admission in the College/Department of the University.

7. Students are advised to apply for the refund of their Caution Deposit/Book Bank Security etc. within a period of one year from taking their Transfer Certificate or completion of their course. After a lapse of one year, refund shall not be made.

8. Name of all students who fails to attend the college continuously for a period of one month (excluding vacation period) after taking admission shall be removed from the Students Register and shall not be eligible for re-admission or appearing in the classes held or in the University Examinations. However, if a candidate is absent due to medical reason, and informed in writing, he/she will be required to take re-admission by submitting a valid medical certificate as per Government rules with fitness to continue his/her studies provided the candidate satisfies the minimum 75% attendance requirement.

9. The Attendance rules and other rules and regulations for M.Sc. (CBCS) programme will also be applicable for B.Sc.(CBCS), B.C.A(CBCS) and MCA(CBCS) programme.

10. All the students admitted to B.Sc. and M.Sc. courses shall be required to deposit the original Transfer Certificate issued by the last institution attended. If the student leaves the institution after beginning of regular classes or after the issue of Identity card he/she shall be required to get his transfer certificate from the college to leave the college to take admission in another college. The original TC deposited shall not be returned.

Master of Science Programme under Choice Based Credit System M.Sc. (CBCS)

As per directions of University Grants Commission, New Delhi and as per decision of the Academic Council of the University, the Faculty of Science and Faculty of Earth Sciences have decided to adopt CBCS system in all Masters Programmes offered by the University Departments and affiliated Colleges from academic session 2015-16.

Duration of the Programme: Four Semesters

Eligibility: Bachelor or equivalent degree in the relevant subject on the basis of marks obtained in prescribed subjects with minimum 48% or B.Sc. under CBCS with minimum 24 credits in the discipline concerned and minimum C Grade.

Admission: Admission will be made on the basis of merit determined on the basis of marks obtained in written external examination in theory papers at the graduation level in relevant subject. If the number of applications received are more than three times the sanctioned strength, admission will be given through entrance examination. Merit list will be based on adding 50 percent marks attained in the entrance exam and 50 percent marks attained in theory papers of the qualifying exam.

Medium of Instruction and Examination: English

No. of seats: According to information given in the table no. 1 & 2

Attendance requirement : A candidate taking admission in the Masters programme under CBCS shall be required to have minimum 75% attendance. No candidate having attendance less than 75% in each semester in each course shall be eligible to appear in the external semester End examination in the respective course.

Credit requirement: Each student will have to earn total 100 credits per semester, 96 from core & discipline specific electives + 4 credits from skill courses.

At the beginning of each semester, students shall be required to register for prescribed number of core courses, discipline Specific Electives and Skill courses.

Students shall be required to contact respective departments for selecting Core courses, Subject specific Electives and Skill Courses.

Each University Department will also offer elective skill courses under SFS programme related to their subject apart from the core and elective courses. In addition to this, four skill courses of general nature will also be offered by the College and a nominal fee of ₹ 500/- per course will be deposited along with regular fee. The following general skill courses will be run by the College:

General Skill Courses

- (i) Communication and Presentation Skills
- (ii) Scientific Writing Skills
- (iii) ICT Skills
- (iv) Mathematical and Analytical Skills (For Students of Biological Sciences)

Minimum 20 students will be required to offer each course under General Skill courses where as a minimum 10 students will be required to offer Subject Specific Skill Courses. Each Skill course shall be of 2 credits (4 hrs/week) and students will have to earn at least 4 credits by offering any two skill courses from the General list or Subject Specific Skill courses. Students can also earn extra credits above 100 credits for value addition of their degree by taking more skill courses which will be listed under extra on the mark sheet. Registration for the Skill Courses and general courses will be offered on first cum first serve basis through registration from the beginning of registration for CBCS courses.

Since the course management of Choice Based Credit System will be done through a Web based Application, students are expected to use web applications on daily basis as well as visit university web site for more details regularly.

**डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स
(पूर्णकालीन कार्यक्रम)**

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	जन स्वास्थ्य कीट विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	लाईफ साईन्स में स्नातकोत्तर, प्राणी विज्ञान के साथ (प्राथमिकता कीट विज्ञान), कृषि कीट विज्ञान, सूक्ष्मविज्ञान, जैवप्रौद्योगिकी, एमबीबीएस या जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर	20 (स्ववित्त पोषित)	रु. 25000/- प्रति सेमेस्टर + सामान्य शिक्षण संस्थान शुल्क
2	नैदानिक प्रयोगशाला में तकनीकी डिप्लोमा	10+2 (विज्ञान) बायोलॉजी के साथ	20 (स्ववित्त पोषित)	रु. 25000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क

*अंशकालीन डिप्लोमा : व्यासायिक कौशल पाठ्यक्रम (अल्प समय)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट	स्नातक	8+22 (स्ववित्त पोषित)	रु. 8000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क
2	कम्प्यूटर नेटवर्क की स्थापना और अनुरक्षण	10+2	25+10 (स्ववित्त पोषित)	रु. 10,0000/- प्रति वर्ष (स्ववित्त पोषित) शुल्क

सर्टिफिकेट प्रोग्राम : कौशल पाठ्यक्रम (अंश कालिक)

क्रम.स	पाठ्यक्रम (विषय)	प्रवेश पात्रता	कुल प्रवेश क्षमता	शुल्क
1	बेसिक बिजली और इलैक्ट्रॉनिक्स	10+2	40	रु. 2000/-
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण और स्थापना	10+2	40	रु. 2000/-
3	कम्प्यूटर नेटवर्क के अनुरक्षण	10+2	40	रु. 2500/-
4	आप्टिकल फाइबर अनुरक्षण	10+2	40	रु. 2500/-
5	व्यापार और लेखा अनुप्रयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	10+2	40	रु. 2500/-
6	व्यापार और लेखा अनुप्रयोग के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी	10+2	40	रु. 3000/-
7	वीडियो सम्पादन और उत्पादन	10+2	40	रु. 2500/-

8	एस पी एस एस का प्रयोग कर डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण	10+2	40	रु. 2500/-
9	बडा डाटा विश्लेषण	10+2	40	रु. 2500/-
10	जावा जे2ईई	10+2	40	रु. 2000/-
11	विजुअल स्टूडिओ डॉट नेट	10+2	40	रु. 2000/-
12	आफिस ऑटोमेशन और ई-गवर्नेंस	10+2	40	रु. 1500/-
13	क्लाउड कम्प्यूटिंग	10+2	40	रु. 2500/-
14	मशरूम की खेती	10+2	40	रु. 2500/-
15	वर्मिटेक्नालाजी	10+2	40	रु. 2500/-

Diploma & Certificate Courses (Full Time Diploma Programme)

Sr no	Discipline (Subject)	Eligibility	Total Seats Normal fee+SFS	Fees for SFS seats
1	Post Graduate Diploma in Public Health Entomology	M. Sc. in Life Science (Preferably M.Sc. zoology specialization in Entomology) or Agriculture sciences Entomology, Microbiology, Biotechnology, MBBS & Master in Public Health	20	Rs. 25,000/- per semester + Normal Institutional Fees
2	Diploma in Clinical Lab Technology	10+2 or above in Science Biology stream	20	Rs. 25,000/- per annum

Sort Term Diploma: Vocational Skill Courses (Part Time)

Sr no	Discipline (Subject)	Eligibility	Total Seats SFS	Fees for Payment/SFS seats
1	Software Development	Graduate	40	Rs. 8,000/-
2	Computer Network Installation and Maintenance	10+12	40	Rs. 10,000/-

Certificate Programme: Skill Enhancement Courses (part-time)

Sr no	Discipline (Subject)	Eligibility	Total Seats	Fees
1	Basic Electricity and Electronics	10+12	40	Rs. 2,000/-
2	Computer Hardware Maintenance and Installation	10+12	40	Rs. 2,000/-
3	Computer Network Maintenance	10+12	40	Rs. 2,500/-
4	Optical Fiber Maintenance	10+12	40	Rs. 2,500/-
5	Information Technology for Business and Accounting Applications	10+12	40	Rs. 2,500/-
6	Advanced Information Technology for Business and Accounting Applications	10+12	40	Rs. 3,000/-
7	Video Editing and Production	10+12	40	Rs. 2,500/-
8	Statistical Analysis of Data using SPSS	Graduate	40	Rs. 2,500/-
9	Big Data Analytics	Graduate	40	Rs. 2,500/-
10	Java J2EE	10+12	40	Rs. 2,000/-
11	Visual Studio dot Net	10+12	40	Rs. 2,000/-
12	Office Automation and E-governance	10+12	40	Rs. 1,500/-
13	Cloud Computing	10+12	40	Rs. 2,500/-
14	Mushroom culture	10+12	20	Rs. 2,500/-
15	Vermitechnology	10+12	20	Rs. 2,500/-

ADD - ON COURSES

Students admitted to various UG and PG courses of the courses of the University can offer one add-on Diploma/Certificate courses in a session to acquire additional professional competency in specified areas of their interest. Courses content of Add-on Diploma will be approximately equivalent to that of one paper in UG/PG (80 hrs – 120 hrs). Depending upon the basic qualifications and courses to which they have been admitted, students can choose from following courses.

Course	*Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee
OFFERED BY : INFORMATION TECHNOLOGY & COMPUTER APPLICATIONS				
DEIPLOMA COURSES (Part Time)				
Visual Basic Net	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Microsoft Net Framework	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Web Data Base Development	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Web Design	10+2	1 Year	30	₹ 2500/-
Business Data Analysis	Graduate	1 Year	30	₹ 3000/-
Computational Methods in Bioinformatics	Regular students of Life Sciences, Biotechnology	1 Year	30	₹ 2500/-
Modern Education Technologies	Graduate with B.Ed or Post Graduate with 50%	1 Year	30	₹ 2500/-
Network Design and Installation Courses in Computer/ Engineering	Graduate in Science with 50% or students of UG or PG	1 Year	30	₹ 3500/-
Course	*Eligibility	Duration	Seats	Normal Fee
Linux Operating Computer Network Administration and Management	Graduate in Science with 50% or students of UG or PG Courses in Computer/Engineering	1 Year	30	₹ 3500/-
CERTIFICATE COURSES (OPEN TO ALL) (PART TIME)				
Office Automation & E-Governance	10+2	1 Year	30	₹ 3000/-
ICT & Research Methodologies (for Ph.D. Students)	Post graduate with 55%	1 Year	30	₹ 3000/-
OFFERED BY: DEPARTMENT OF PHYSICS				
Diploma in Nanotechnology	B. Sc. in any stream	1 Year	30	₹ 2500/-
Diploma in Biophysical Instrumentation & Measurement Techniques	B. Sc. in Physical Sciences	1 Year	30	₹ 2500/-
Diploma in Astronomy	B. Sc. in Physical Sciences	1 Year	30	₹ 2500/-

भू-विज्ञान विभाग (Department of Geology)



डॉ. हर्ष भू
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष




डॉ. एम. एल. नागौरी
आचार्य

पर्यावरण विज्ञान विभाग (Department of Environmental Science)



डॉ. बी. आर. बामनिया
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. निधि राय
आचार्य



डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़
सहायक आचार्य



डॉ. अनुया वर्मा
सहायक आचार्य

भूगोल विभाग (Department of Geography)



डॉ. साधना कोठारी
आचार्य



डॉ. इशाक मोहम्मद कायमखानी
आचार्य



डॉ. पी. आर. व्यास
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. सीमा जालान
आचार्य



विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं
प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय
**University College of Commerce &
Management Studies**

Tel	0294-2411408, 2423020
Fax	0294-2411408, 2423020
E-mail	uccms@mlsu.ac.in
Web	www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता

प्रो. जी. सोरल

सह-अधिष्ठाता

प्रो. रेणू जटाना

सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रो. सी. एम. जैन

प्रॉक्टर

प्रो. मुकेश माथुर

कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. शिल्पा वर्डिया

Faculty of Commerce **वाणिज्य संकाय**

संकायाध्यक्ष

प्रो. जी. सोरल

लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग (Department of Accountancy and Statistics)



डॉ. जी. सोरल
आचार्य



डॉ. सी.एम. जैन
आचार्य



डॉ. शूरवीर सिंह भाणावत
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. शिल्पा वर्डिया
सहायक आचार्य



डॉ. विजय श्रीमाली
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. राजेश्वरी नरेन्द्रन
आचार्य



डॉ. मंजू बाघमार (अवकाश पर)
आचार्य



डॉ. बाबूलाल वर्मा
आचार्य



डॉ. रेणू जटाना
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. पी.के. सिंह
आचार्य



डॉ. मुकेश माथुर
आचार्य



डॉ. अशोक नागर
आचार्य

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक*	अवधि	प्रवेश क्षमता
वाणिज्य स्नातक					
1.	बी.कॉम.	(10+2 वाणिज्य/ कला / विज्ञान)	48%	3 वर्ष	160

वाणिज्य निष्णात (एम.कॉम.) सेमेस्टर प्रणाली					
1.	लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी	बी.कॉम./बी.बी.ए.	48%	4 सेमेस्टर	50
2.	व्यवसाय प्रशासन	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50
3.	बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	4 सेमेस्टर	50
मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.)					
1.	लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी	एम.कॉम.(लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
2.	व्यवसाय प्रशासन	एम.कॉम. (व्यवसाय प्रशासन)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2
3.	बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	एम.कॉम. (बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	5+2

* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** अजा व जजा हेतु 50 प्रतिशत अंक पर।

Core Courses (Full Time)

S.No.	Courses	Eligibility	Minimum* Required Marks % (in qualifying examination)	Duration	Seats
Bachelor of Commerce (B.Com.)					
1-	B.Com.	10+2 (Commerce / Arts / Science)	48%	3 Years	160
Master of Commerce (M.Com.) Semester Scheme					
1-	Accountancy & Statistics	B.Com/B.B.A.	48%	4 Semester	50
2.	Business Administration	Graduate in any Discipline	48%	4 Semester	50
3.	Banking & Business Economics	Graduate in any Discipline	48%	4 Semester	50
Master of Philosophy (M. Phil.)					
1.	Accountancy & Statistics	M.Com. (Accountancy & Statistics)	55%**	3 Semester	5+2
2.	Business Administration	M.Com. (Business Administration)	55%**	3 Semester	5+2
3.	Banking & Business Economics	M.Com. (Banking & Business Economics)	55%**	3 Semester	5+2

* Admission on merit basis on minimum pass marks for SC/ST and OBC (Except creamy layer).

** For SC and ST minimum 50% marks.

Self-Finance Courses (Full Time)

S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks % (in qualifying examination)	Duration	Seats	Fees
Under Graduate Courses						
1.	B.Com.	10+2 in any Discipline	48%	3 Years	1040	₹ 15,000
2.	B.Com.(Hons.)	10+2 in any Discipline	48%	6 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
3.	B.B.A.	10+2 in any Discipline (Entrance Test)	48%	6 Semesters	Normal 60+ Pay. Seat 15 NRI Seat 05	₹ 20,000 ₹ 40,000 ₹ 60,000
4.	B.T.T.M.	10+2 in any Discipline (Entrance Test)	48%	8 Semesters	Normal 40+ Pay. Seat 5 NRI Seat 5	₹ 20,000 ₹ 40,000 ₹ 60,000
5.	B.Voc. (Accounting Taxation and Auditing)	10+2 in any Discipline	48%	6 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
Note : NRI Candidates are exempted from entrance Test.						
Post Graduate Courses						
1.	M.Com. (Human Resource Development)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
2.	M.Com. (Finance & Control)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000
3.	M.Com. (International Business)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 10	₹ 20,000 ₹ 40,000
4.	M.Com. (Banking & Insurance)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000
5.	M.Com. (Marketing Management)	Graduate in any discipline	48%	4 Semesters	Normal 30 Payment 5	₹ 20,000 ₹ 40,000

Note : Admission in above P.G. (self finance) courses will be given through entrance test / on merit basis.

Self Finance Courses (Part Time)

S.No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Part Time Post Graduate Diploma						
1.	Cost & Management Accounting	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15,000
2.	Taxation	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15,000
3.	Entrepreneurship Development	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 15000
4.	E-Banking	Graduate in any discipline	48%	1 Year	Normal 30 Payment 5	₹ 12,000 ₹ 16000
Add-on Course						
1.	Practical Accounting	Optional (As additional paper for Regular Students)				₹ 1250

पाठ्यक्रम निदेशक : स्ववित्त पोषित

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	निदेशक
1.	बी. कॉम.	अधिष्ठाता
2.	बी. कॉम. (ऑनर्स)	अधिष्ठाता
3.	बी.बी.ए.	अधिष्ठाता
4.	बी.टी.टी.एम.	अधिष्ठाता
5.	बी. वोक. (अकाउन्टिंग, टेक्सेशन एण्ड ऑडिटिंग)	अधिष्ठाता
6.	एम. कॉम. (ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट) M.Com.(HRD)	प्रो. विजय श्रीमाली
7.	एम. कॉम. (फाइनेन्स एण्ड कंट्रोल) M.Com.(F. & C.)	प्रो. जी. सोरल
8.	एम. कॉम. (इन्टरनेशनल बिजनेस) M.Com.(IB)	प्रो. रेणू जटाना
9.	एम. कॉम. (बैंकिंग एण्ड इश्योरेन्स) M.Com.(B & I)	प्रो. पी.के. सिंह
10.	एम. कॉम. (मार्केटिंग मेनेजमेंट) M.Com.(MM)	प्रो. विजय श्रीमाली
11.	पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सेशन (P.G.D.T.)	प्रो. सी.एम. जैन

नोट :- इन पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक से सम्पर्क करें।

Faculty of Management Studies प्रबन्ध अध्ययन संकाय

निदेशक एवं संकायाध्यक्ष

प्रो. अनिल कुमार कोठारी

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रो. हनुमान प्रसाद

संकाय सदस्य (Faculty Members)



डॉ. पी. के. जैन
आचार्य



डॉ. करुणेश सक्सेना (प्रतिनियुक्ति पर)
आचार्य (अवकाश पर)



डॉ. अनिल कुमार कोठारी
आचार्य



डॉ. अशोक सिंह राठौड़
आचार्य (होटल प्रबन्ध)



डॉ. हनुमान प्रसाद
आचार्य



डॉ. मीरा माथुर
आचार्य

Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Post Graduate Courses						
1.	M.B.A.	Graduate in any discipline	50%	4 Semester	30 30	₹ 38,915 (GAD)* per year ₹ 66,415 (SFS) per year

* Fee decided by State Fee Committee

मुख्य पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम						
1.	एम.बी.ए.	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	50%**	4 सेमेस्टर	30 (GAD) 30 (SFS)	₹ 39,115* ₹ 72,115*

Self-Finance Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum Required Marks %	Duration	Seats	Fees
1.	M.B.A. (Specialization : Financial Services Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester (2 years)	51 9	₹ 75,000 per Year ₹ 1,75,000 (INR) U.S. \$ 4500 (NRI)
2.	M.B.A. (Specialization- Major Minor : Rural Management, E-Business, Mass Communication, Social Works)	Graduate in any discipline (10+2+3)	50%**	4 Semester (2 years)	51 9	₹ 75000 per Year ₹ 1,75,000 (INR) U.S. \$ 4500 (NRI)
3.	M.T.T.M. (Master in Travel & Tourism Management)	Graduate in any discipline (10+2+3)	48%**	4 Semester (2 years)	30 3	₹ 20000/- per Year U.S. \$ 1000 (NRI)
4.	Bachelor of Hotel Management	10+2	45%**	4 Years (8 Semesters)	30	₹ 50000 per Year

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम						
1.	एम.बी.ए. (विशेषज्ञता: वित्तीय सेवा प्रबन्धन)	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	50%**	4 सेमेस्टर	51 09 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 75,000/- ₹ 1,75,000/- भारतीय विद्यार्थी \$4500 (एन. आर.आई.)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
2.	एम.बी.ए. (विशेषज्ञता-मुख्य एवं सहायक: ई कॉमर्स ग्रामीण प्रबंध, सोशियल वर्क, मास कम्यूनिकेशन)	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	50%**	4 सेमेस्टर	51 09 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 75,000/- ₹ 1,75,000/- भारतीय विद्यार्थी \$4500 (एन. आर.आई.)
3.	एम.टी.एम.	किसी भी संकाय में स्नातक (10+2+3)	48%**	4 सेमेस्टर	30 03 (व्यवसाय प्रायोजित)	₹ 20,000/- \$1000 (एन. आर.आई.)
4.	बी.एच.एम.	10+2	45%**	4 वर्ष		₹ 50,000/- प्रति वर्ष

पाठ्यक्रम निदेशक

एम.बी.ए. (फाइनेन्सियल सर्विसेज मैनेजमेन्ट)

प्रो. अनिल कुमार कोठारी

बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एवं एम.टी.एम.

प्रो. अशोक सिंह राठौड़

एम. बी. ए. (रुरल मैनेजमेंट, मास कम्यूनिकेसन्स, ई. बिजनेस, सोसियल वर्क)

प्रो. हनुमान प्रसाद

* ए.आई.सी.टी.ई. भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण नीति के अनुसार।





विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं
मानविकी महाविद्यालय

University College of Social Sciences and Humanities

Tel	0294-2470958
Fax	0294-2470209
E-mail	ucssh@mlsu.ac.in
Web	www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता

प्रो. साधना कोठारी

सह-अधिष्ठाता

प्रो. इशाक मोहम्मद कायमखानी

सहायक अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

डॉ. आशीष सिसोदिया

प्रॉक्टर

डॉ. पीयूष भादविया

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. सुरेश सालवी

कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. डोली मोगरा

Faculty of Humanities मानविकी संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. सीमा मलिक

अंग्रेजी विभाग (Department of English)



डॉ. शरद श्रीवास्तव
आचार्य



डॉ. सीमा मलिक
आचार्य



डॉ. प्रदीप त्रिखा
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. मीनाक्षी जैन
सह आचार्य



श्री खुशपाल गर्ग
सहायक आचार्य

हिन्दी विभाग (Department of Hindi)



डॉ. माधव सिंह हाडा
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. नीतू परिहार
सहायक आचार्य



डॉ. नवीन नन्दवाना
सहायक आचार्य



डॉ. आशीष सिसोदिया
सहायक आचार्य



डॉ. राजकुमार व्यास
सहायक आचार्य



डॉ. नीता त्रिवेदी
सहायक आचार्य

इतिहास विभाग (Department of History)



डॉ. दिग्विजय भटनागर
आचार्य



डॉ. प्रतिभा
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. पीयूष भादविया
सहायक आचार्य

दर्शनशास्त्र विभाग (Department of Philosophy)



डॉ. सुधा चौधरी
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग (Department of Jainology & Prakrit)



डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. ज्योति बाबू जैन
सहायक आचार्य

राजस्थानी विभाग (Department of Rajasthani)



डॉ. सुरेश सालवी
सहायक आचार्य एवं प्रभारी

संस्कृत विभाग (Department of Sanskrit)



डॉ. नीरज शर्मा
आचार्य



डॉ. अंजना पालीवाल
आचार्य



डॉ. गट्टूलाल पाटीदार
सहायक आचार्य

उर्दू विभाग (Department of Urdu)



डॉ. हदीस अंसारी
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. रईस अहमद
सहायक आचार्य



डॉ. हेमन्त द्विवेदी
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. मदन सिंह राठौड़
आचार्य



डॉ. डी. वी. वशिष्ठ
सह आचार्य



श्री शाहिद परवेज
सहायक आचार्य

Faculty of Social Sciences

सामाजिक विज्ञान संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. मोनिका नागौरी



डॉ. अरुण प्रभा चौधरी
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. नेहा पालीवाल
सहायक आचार्य



डॉ. दीपा सोनी
सहायक आचार्य



डॉ. श्रीराम पाण्डेय
सहायक आचार्य एवं प्रभारी



डॉ. संजय लोढ़ा
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. कल्पना जैन
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. तरुण कुमार शर्मा
सहायक आचार्य

लोक प्रशासन विभाग (Department of Public Administration)



डॉ. सी. आर. सुथार
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. सुरेन्द्र कुमार कटारिया
आचार्य



डॉ. गिरिराज सिंह चौहान
सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग (Department of Sociology)



डॉ. मोनिका नागौरी
आचार्य



डॉ. पूरण मल यादव
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. राजू सिंह
सहायक आचार्य



डॉ. सुमित्रा शर्मा
सहायक आचार्य (शैक्षणिक अवकाश पर)



श्रीमती संगीता अठवाल
सहायक आचार्य


अन्य पाठ्यक्रम एवं केन्द्र

एम ए (पत्रकारिता) एवं स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम
MA (Journalism) & (P.G. Diploma in Journalism)

Department of Readymade Garments



डॉ. कुंजन आचार्य
सहायक आचार्य एवं प्रभारी



डॉ.डोली मोगरा
सहायक आचार्य एवं प्रभारी

भाषा प्रयोगशाला (Language Laboratory)

मानद निदेशक

प्रो. सीमा मलिक

जनसंख्या अध्ययन में डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम योग के

निदेशक

प्रो. पूरणमल यादव

अहिंसा व बौद्ध अध्ययन केन्द्र

निदेशक

प्रो. जिनेन्द्र कुमार जैन

कम्प्यूटर एप्लिकेशन केन्द्र

समन्वयक

प्रो. इशाक मोहम्मद कायमखानी

मानवाधिकार अध्ययन

समन्वयक

प्रो. संजय लोढ़ा

योग केन्द्र शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर

निदेशक

प्रो. सी. आर. सुथार

समन्वयक

डॉ दीपेन्द्र सिंह चौहान

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता
कला स्नातक (B.A.)					
1.	कला स्नातक	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	48%	3 वर्ष	400
2.	कला स्नातक ऑनर्स	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20
	संस्कृत	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20
	राजनीति विज्ञान	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20
	अर्थशास्त्र	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20
	अंग्रेजी	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20
	इतिहास	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20
	समाजशास्त्र	10+2 (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	50%	3 वर्ष	20
3.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक (कला / विज्ञान / वाणिज्य)	45%	1 वर्ष	50 सामान्य सीट ₹ 6000 5 स्ववित्त पोषित सीट ₹ 12,000 प्र.व.+ स्थानीय शुल्क
कला निष्णात (M.A.) (सी.बी.सी.एस.) सेमेस्टर पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2017 से प्रभावी					
1.	चित्रकला	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	12
2.	अर्थशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता
3.	अंग्रेजी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
4.	भूगोल	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
5.	हिन्दी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
6.	इतिहास	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
7.	दर्शनशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
8.	राजनीति विज्ञान	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
9.	प्राकृत साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
10.	मनोविज्ञान	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	20
11.	लोक प्रशासन	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
12.	राजस्थानी साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
13.	संस्कृत साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
14.	समाजशास्त्र	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
15.	उर्दू साहित्य	स्नातक उपाधि	48%	4 सेमेस्टर	40
एम. फिल. (M.Phil.)					
1.	अर्थशास्त्र	कला निष्णात (अर्थशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
2.	अंग्रेजी साहित्य	कला निष्णात (अंग्रेजी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
3.	भूगोल	कला निष्णात (भूगोल)	55%**	3 सेमेस्टर	***
4.	हिन्दी साहित्य	कला निष्णात (हिन्दी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
5.	इतिहास	कला निष्णात (इतिहास)	55%**	3 सेमेस्टर	***
6.	दर्शनशास्त्र	कला निष्णात (दर्शनशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
7.	राजनीति विज्ञान	कला निष्णात (राज. विज्ञान)	55%**	3 सेमेस्टर	***

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	प्रवेश क्षमता
8.	प्राकृत साहित्य	कला निष्णात (प्राकृत)	55%**	3 सेमेस्टर	***
9.	मनोविज्ञान	कला निष्णात (मनोविज्ञान)	55%**	3 सेमेस्टर	***
10.	राजस्थानी	कला निष्णात (राजस्थानी)	55%**	3 सेमेस्टर	***
11.	संस्कृत साहित्य	कला निष्णात (संस्कृत)	55%**	3 सेमेस्टर	***
12.	समाजशास्त्र	कला निष्णात (समाजशास्त्र)	55%**	3 सेमेस्टर	***
13.	उर्दू साहित्य	कला निष्णात (उर्दू)	55%**	3 सेमेस्टर	***

* अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** एम.फिल. व विद्यावाचस्पति में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शारीरिक विकलांग हेतु निर्धारित अर्हता 50% अंक।

*** प्रति संकाय सदस्य तीन विद्यार्थी।

Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
Bachelor of Arts (B.A.)					
1.	B.A.	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	48%	3 Years	400
2.	B.A. Honours	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	
	Political Sc.	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	Sanskrit	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	Economics	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	English	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	History	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
	Sociology	Former Graduate/10+2 /Arts/Science/Commerce	50%	3 Years	20
3.	B.Lib. & Inf. Sc.	Graduate	45%	1 Year	50 General Seat Rs. 6000 05 Self Finance Seat Rs. 12000 Per Year + Local Fund
Master of Arts (M.A.) Semester Scheme					
1.	Drawing	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	12
2.	Economics	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
3.	English Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
4.	Geography	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
5.	Hindi Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
6.	History	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40

S . No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
7.	Philosophy	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
8.	Political Science	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
9.	Prakrit Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
10.	Psychology	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	20
11.	Public Adm.	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
12.	Rajasthani Lit.	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
13.	Sanskrit Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
14.	Sociology	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40
15.	Urdu Literature	Graduate (10+2+3)	48%	4 Semester	40

M. Phil (Semester Scheme)

1.	Economics	M.A. (Economics)	55%**	3 Semester	***
2.	English Literature	M.A. (English)	55%**	3 Semester	***
3.	Geography	M.A. (Geography)	55%**	3 Semester	***
4.	Hindi Literature	M.A. (Hindi)	55%**	3 Semester	***
5.	History	M.A. (History)	55%**	3 Semester	***
6.	Philosophy	M.A. (Philosophy)	55%**	3 Semester	***
7.	Political Science	M.A. (Political Sci.)	55%**	3 Semester	***
8.	Prakrit Literature	M.A. (Prakrit)	55%**	3 Semester	***
9.	Psychology	M.A. (Psychology)	55%**	3 Semester	***
10.	Rajasthani	M.A. (Rajasthani)	55%**	3 Semester	***
11.	Sanskrit Literature	M.A. (Sanskrit)	55%**	3 Semester	***
12.	Sociology	M.A. (Sociology)	55%**	3 Semester	***
13.	Urdu Literature	M.A. (Urdu)	55%**	3 Semester	***

* Admission on merit basis on minimum pass marks for SC,ST and OBC, (Except Creamy Layer).

** For SC and ST, minimum 50% marks.

*** Three students with each member of faculty.

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
1.	डिप्लोमा इन फैशन मरकेन्डाइजिंग एण्ड रेडिमेड गारमेन्ट्स	10+2	45%	1 वर्ष	20
2.	डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग	10+2	45%	1 वर्ष	20
3.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	स्नातक	45%	1 वर्ष	30
4.	पालि, बौद्ध एवं अहिंसा	स्नातक	45%	1 वर्ष	30

Diploma Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
1.	Dip. in Fashion Merchandising & Readymade Garments	10+2	45%	1 Year	20
2.	Dip. in Textile Designing	10+2	45%	1 Year	20
3.	P.G. Dip. in Journalism	Graduate	45%	1 Year	30
4.	Pali, Buddhism and Non-violence	Graduate	45%	1 Year	30

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
1.	श्रमण परम्परा और समसामयिक मूल्य	10+2	45%	1 वर्ष	60

Diploma Course (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
1.	Shramana Tradition & Contemporary Values	10+2	45%	1 Year	60

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता	शुल्क
कला स्नातक उपाधि						
1.	स्नातक	10+2	48%	3 वर्ष	160	₹15000 प्रति वर्ष प्रायोगिक कक्षाओं के लिए ₹5000 अतिरिक्त
2.	दृश्य कला	10+2	48%	4 वर्ष	20	₹ 10000 प्रति वर्ष

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर (पूर्णकालिक)

कला निष्णात उपाधि						
1.	कंठ संगीत	स्नातक	48%	2 वर्ष	20	₹ 5000 प्रति वर्ष
2.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	स्नातक एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि	45%	1 वर्ष	25	सामान्यसीट ₹ 20000+ स्थानीय शुल्क 5 स्ववित्त पोषित सीट ₹ 30000 + स्थानीय शुल्क
3.	शारीरिक शिक्षा (एम. पी. एड)	स्नातक या शा.शि में पी.जी. डिप्लोमा	45%	2 वर्ष	50	₹ 60,000 प्रति वर्ष दो किस्तों में
4.	एम. ए. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)	किसी भी संकाय में स्नातक	50%	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	30	₹ 11000/- प्रति सेमेस्टर+स्थानीय शुल्क (वार्षिक)
5.	एम. ए. (कठसंगीत)	किसी भी संकाय में स्नातक	50%	2 वर्ष / 4 सेमेस्टर	30	₹ 10000/- प्रति सेमेस्टर+स्थानीय शुल्क (वार्षिक)
6.	एम. ए./ एम. एस. सी. (भूगोल)	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	2 वर्ष	40	₹ 10000/- प्रति सेमेस्टर+स्थानीय शुल्क (वार्षिक)

स्नातकोत्तर डिप्लोमा

1.	जनसंख्या अध्ययन	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	1 वर्ष	30	₹ 5000 प्रति वर्ष
2.	योग शिक्षा	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	45%	1 वर्ष	40	₹ 12000 प्रति वर्ष

स्नातकोत्तर डिप्लोमा

3.	रिमोट सेंसिंग एवं ज्योग्राफिकल सूचना तंत्र	स्नातक कला/ विज्ञान/वाणिज्य	50%	1 वर्ष	20	₹ 15000 प्रति वर्ष + रु.10000 लेब फीस
----	--	-----------------------------	-----	--------	----	---------------------------------------

Self-Finance Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Bachelor of Visual Arts (B.V.A.)						
1.	B.A. TDC	10+2	48%	3 Years	160	₹15000/- Per year ₹5000/- Extra for practical subjects.
2.	Visual Arts	10+2	48%	4 Years	20	₹ 10000 per Year
Master of Arts (M.A.)						
1.	Vocal Music	Graduate	48%	2 Years	20	₹ 5,000 per Year
2.	M. Lib. & Inf. Sc.	Graduate & B.Lib. I. Sc.	45%	1 Year	20 Gen. 5 Pay Seat	₹ 20,000 + L.F Payment Seat ₹ 30,000 + L.F
3.	M.P.Ed.	Graduate or P.G. Diploma in Phy. Ed.	45%	2 Years	50	₹ 60,000
4.	MA (Journalism and Mass Communication)	Graduate in any Discipline	50%	2 years / 4 semester	30	₹ 11,000 per semester + annual local fees
5.	MA (Music)	Graduate in any Discipline	50%	2 years / 4 semester	30	₹ 10,000 per semester + annual local fees
6.	MA (Geography)	Graduate in any Discipline	48%	2 years	40	₹ 10,000 per semester + annual local fees
Post Graduate Diploma						
1.	Population Studies	Graduate Arts/Sci./Commerce	45%	1 Year	30	₹ 5,000 per Year
2.	Yoga Education	Graduate Arts/Sci./Commerce	45%	1 Year	40	₹ 20,000/-
3.	Remote Sensing & Geographical Information Sys.	Graduate Arts/Sci./Commerce	50%	1 Year	20	₹ 15,000 Per Year + ₹ 10,000 Lab Fee

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम (अंशकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
स्नातकोत्तर डिप्लोमा						
1.	सुशासन एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	20	₹ 5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2.	विरासत, पर्यटन एवं संग्रहालय विज्ञान	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	20	₹ 8000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
3.	जवाहरलाल नेहरू के विचार तथा योगदान	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	20	केवल स्था. शुल्क
4.	परामर्श एवं मनोचिकित्सा	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी. एस./बी.एच.एम. एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15 5 स्ववित्त पोषित सीट	₹ 15000/- ₹ 25000/-
5.	मनोवैज्ञानिक परीक्षण	स्नाकोत्तर विषय के साथ मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, सोशल वर्क, एम.बी.बी. एस./बी.एच.एम. एस./बी.ए.एम.एस.	48%	6 माह	15 5 स्ववित्त पोषित सीट	₹ 15000/- ₹ 25000/-
6.	मानवाधिकार एवं कर्तव्य	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	48%	1 वर्ष	20	केवल स्था. शुल्क
डिप्लोमा						
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य अर्थशास्त्र	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	30	₹ 5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
2.	पर्यावरण अर्थशास्त्र	स्नातक कला / विज्ञान / वाणिज्य	45%	1 वर्ष	30	₹ 5000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
3.	वित्तीय बाजार	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	1 वर्ष	30	₹ 7000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क
4.	पूँजी विपणन	किसी भी संकाय में स्नातक	48%	1 वर्ष	30	₹ 7000/- प्रति वर्ष + स्था. शुल्क

Self Finance Courses (Part Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Post Graduate Diploma						
1.	Good Governance and Democratic Decentralization	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	₹ 5000/- + Local Fund
2.	Heritage, Tourism and Museology	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	₹ 8000/- + Local Fund
3.	Thought & Contribution of Jawahar Lal Nehru	Graduate in Arts/ Commerce	45%	1 Year	20	Only Local Fund
4.	Counseling & Psychotherapy	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	45%	6 Months	15 5 (S.F. Seats)	₹ 15000/- ₹ 25000/-
5.	Psychological Testing	Post Graduate in Psychology, Home Sci./ S W / MBBS/BHMS/BAMS	48%	6 Months	15 5 (S.F. Seats)	₹ 15000/- ₹ 25000/-
6.	Human Rights & Duties	Graduate in Arts/ Commerce	48%	1 Year	20	Only Local Fund
Diploma Courses						
1.	Community Health Economics	Graduate in Arts/ Commerce/ Science	45%	1 Year	30	₹ 5000/- + Local Fund
2.	Environment Economics	Graduate in Arts/ Commerce/ Science	45%	1 Year	30	₹ 5000/- + Local Fund
3.	Financial Market	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	₹ 7000/- + Local Fund
4.	Capital Marketing	Graduate in any Discipline	48%	1 Year	30	₹ 7000/- + Local Fund

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	अर्हक* परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	पाठ्यक्रम की अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क**
1.	अंग्रेजी भाषा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	10+2	45%	1 वर्ष	60	प्रथम वर्ष कला के समान
2.	जनसंख्या एवं परिवार कल्याण प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	छः माह	60	₹ 5000/-
3.	वेब पत्रकारिता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	1 वर्ष		₹ 3000/-
4.	नेहरू विचार धारा योगदान व प्रासंगिकता में प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	स्नातक	45%	1 वर्ष	2	स्थानीय शुल्क

* अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उत्तीर्ण अंक पर वरीयता क्रम से प्रवेश।

** *In addition to local fund fee.*

*** विदेशी छात्रों के लिए।

सूचना : पूर्णकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

Certificate Courses

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
1.	English Language	10+2	45%	1 Year	60	At Par with First Year Arts
2.	Population & Family Welfare Studies	Graduate	45%	6 Months	60	₹ 5000/-
3.	Web Journalism	10+2+3	45%	1 Year		₹ 3000/-
4.	Nehru's Thought Contribution & Relevance	10+2+3	45%	1 Year	20	Local Fund

टिप्पणी :

- 1.(I) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जाएँगे।
 - (ii) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
2. ऑनर्स पाठ्यक्रम में कम से कम पाँच विद्यार्थियों का प्रवेश होना आवश्यक है।
- 3. विशेष आरक्षण** :**
- (I) पुस्तकालय विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु आठ स्थान सुरक्षित हैं। इनमें प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। इस श्रेणी में केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिए जाएँगे कि अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करेंगे। एक स्थान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके लिए प्रार्थना पत्र किसी साधिकार अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
 - (ii) पुस्तकालय विज्ञान स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए राजस्थान राज्य के पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु पाँच स्थान आरक्षित है। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। इस श्रेणी में उन्हीं कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्णकालिक एवं सवैतनिक पूरा किया है। पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से आने पर ही मान्य होंगे। प्रवेश इस स्पष्ट शर्त पर दिये जाएँगे कि कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अध्ययन अवकाश लेकर पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करना होगा।
 - (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा में 42% प्राप्तांक रखी गई है।
4. ओपन स्कूल की 10+2+3 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु योग्य माने जाएँगे, यदि वे उक्त परीक्षा में पाँच विषयों में उत्तीर्ण होंगे एवं न्यूनतम अर्हक योग्यता रखते हों।
 5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (10+2) के उत्तीर्ण विद्यार्थी केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के योग्य होंगे। प्रवेश के समय उनके कुल प्राप्तांकों में से सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक सत्रांक का योग करते हुए उन्हें वरीयता में सम्मिलित किया जाएगा।

(क) प्रथम वर्ष कला 2018 परीक्षा के लिए

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य अंग्रेजी 2. पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय : निम्नलिखित विषयों में से केवल तीन विषयों का चयन करना होगा। एक वर्ग में से एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकता। कोष्ठक में विषयवार उपलब्ध स्थान अंकित है।

वर्ग :

1. अर्थशास्त्र (120)/संस्कृत साहित्य (60)/संगीत (20)/सिंधी (20) गृह विज्ञान
2. भूगोल (120)/राजस्थानी साहित्य (30)/दर्शनशास्त्र (30)/महिला अध्ययन (30)
3. राजनीति विज्ञान (120)/उर्दू साहित्य (30)/चित्रकला (20)/सांख्यिकी/जनसंख्या अध्ययन (20)
4. मनोविज्ञान (25)/प्राकृत साहित्य (30)/इतिहास (120)/वन संसाधन एवं उनके उपयोग
5. लोक प्रशासन (60)/हिन्दी साहित्य (120) ग्रामीण विकास एवं विस्तार/प्रयोजनमूलक हिन्दी (फंक्शनल हिन्दी)/शारीरिक शिक्षा
6. समाजशास्त्र (120)/अंग्रेजी साहित्य (60)/गणित/मानवाधिकार (20)

टिप्पणियाँ :

- (i) विद्यार्थी द्वारा कुल 3 विषयों का चयन किया जाना है। उपर्युक्त वर्गों में से एक वर्ग में एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।
- (ii) (क) नियमित विद्यार्थी दो से अधिक प्रयोगशाला के विषय नहीं ले सकेगा।
(ख) प्रयोगशाला के संचालित विषय हैं - संगीत, भूगोल, चित्रकला एवं मनोविज्ञान।
- (iii) दो साहित्य से अधिक साहित्य विषय नहीं चुने जा सकते हैं।
- (iv) सांख्यिकी, वन संसाधन एवं उनके उपयोग, ग्रामीण विकास एवं विस्तार, गृह विज्ञान, गणित, सिंधी, प्रयोजनमूलक हिन्दी, शारीरिक शिक्षा, जनसंख्या अध्ययन और महिला अध्ययन विषय के शिक्षण की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। अतः विद्यार्थी इन विषयों को छोड़कर अपने विषय चुनें।
- (v) चुने गए तीन विषयों में भी प्रवेश योग्यता क्रम एवं विषय के निर्धारित स्थानों के अनुसार देय होगा। अन्तिम प्रवेश सूची में उल्लिखित विषय ही स्वीकृत माने जाएँगे। इन विषयों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- (vi) स्नातक प्रथम वर्ष कला सामान्य पाठ्यक्रम/आनर्स में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन पत्र भरना होगा तथा काउंसिलिंग के समय आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। स्नातक प्रथम वर्ष कला सामान्य पाठ्यक्रम/आनर्स (B.A. Pass Course/B.A.Hons) में निर्धारित प्रवेश सीटें रिक्त रहने पर उपर्युक्त में किसी भी एक पाठ्यक्रम में रिक्तता के अनुसार सीटें स्थानान्तरित कर प्राप्त आवेदन पत्रों में से प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ख) द्वितीय वर्ष कला 2018 के लिए

अनिवार्य विषय : (i) सामान्य हिन्दी (ii) एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन

ऐच्छिक विषय : प्रथम वर्ष कला 2017 में लिए गए विषय

- (i) द्वितीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के समय नियमित विद्यार्थी चाहे तो एक वैकल्पिक विषय का परिवर्तन कर सकता है, यदि वह प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण है तथा उसके द्वारा चुने गए वर्ग का विषय उस महाविद्यालय में नियमित अध्यापन किया जा रहा है। नया चुना हुआ विषय इस वर्ष के लिए निर्धारित ग्रुप/समूह के अनुसार होगा, किन्तु वह प्रायोगिक न हो।
- (ii) द्वितीय वर्ष में परिवर्तित विषय के अध्ययन, नियमानुसार परीक्षा आदि की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

(ग) तृतीय वर्ष कला 2018 परीक्षा के लिए

ऐच्छिक विषय : द्वितीय वर्ष कला 2017 में लिए गए विषय

(घ) बी.ए. ऑनर्स (B.A. Hons.) त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम - 2018 परीक्षा के लिए

बी.ए. ऑनर्स (विषय)	स्थान
1. संस्कृत	20
2. अर्थशास्त्र	20
3. राजनीति विज्ञान	20
4. अंग्रेजी साहित्य	20
5. इतिहास	20
6. समाजशास्त्र	60

यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है। इसमें मुख्य विषय (Main Subjects) के साथ किसी अन्य वर्ग में से एक विषय गौण विषय (Subsidiary Subject) के रूप में लिया जाना है।

**(ङ) स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (B.Lib & Information Sc.)
एक वर्षीय पाठ्यक्रम**

(च) स्नातकोत्तर (M.A.) द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर (M.A.) शिक्षण निम्नांकित विषयों में होता है -

- (I) सामाजिक विज्ञान विषय : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
- (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी, चित्रकला, इतिहास एवं दर्शनशास्त्र।
- (iii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर (M.Lib.) (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

(छ) एम.फिल. (M.Phil.) - तीन सेमेस्टर्स पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषयों में संचालित हो रहे हैं -

- (i) सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान।
- (ii) मानविकी विषय : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं राजस्थानी।

(ज) विद्यावाचस्पति (Ph.D.)

विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु निम्नांकित विषयों में शोध कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है - अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, जैनविद्या एवं प्राकृत, राजस्थानी, इतिहास, चित्रकला, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, पत्रकारिता एवं जनसंचार।



विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय University College of Law

Tel	0294-2470958
Fax	0294-2470209
E-mail	uclaw@mlsu.ac.in
Web	www.mlsu.ac.in



अधिष्ठाता

प्रो. आनन्द पालीवाल

सहायक अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

डॉ. राजश्री चौधरी

प्रॉक्टर एवं कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ. शिल्पा सेठ

Faculty of Law विधि संकाय

संकायाध्यक्ष

प्रो. आनन्द पालीवाल



डॉ. आनन्द पालीवाल
आचार्य



डॉ. राजश्री चौधरी
सहायक आचार्य



डॉ. शिल्पा सेठ
सहायक आचार्य

मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	पात्रता	अर्हक परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक	अवधि	निर्धारित प्रवेश क्षमता
स्नातक पाठ्यक्रम					
1.	विधि स्नातक (LL.B.)	स्नातक	45%*	3 वर्ष	120+300 (SFS)
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम					
1.	विधि निष्णात (LL.M.)	विधि स्नातक	55%**	2 वर्ष	40+80 (SFS)
स्नातकोत्तर डिप्लोमा					
1.	श्रम विधि, श्रम कल्याण एवं कार्मिक प्रबन्ध में डिप्लोमा (D.LL)	विधि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि/निम्न विषयों के साथ स्नातक [#]	48%***	1 वर्ष	60

*समाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/लोक प्रशासन/बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ

एम.कॉम./एम.बी.ए./एम.एच.आर.एम./कंपनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा

Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats
Under Graduate Course					
1.	Bachelor of Laws (LL.B.)	Graduate	45%*	3 Years	120 + 300 (SFS)
Post Graduate Course					
1.	Master of Laws (LL.M.)	Law Graduate	55%**	2 Years	40 + 80 (SFS)
Post Graduate Diploma					
1.	Diploma in Labour Law Labour welfare and Personnel Management	Post Graduate or Post Graduate in following Subjects#	48%***	1 Year	60

M.Com./M.B.A./M.H.R.M./Diploma in Company law and Secretarial Practice along with graduate in Sociology/Economics/Social Work/Philosophy/Public Administration/Banking and Financial Economics.

स्ववित्त पोषित मुख्य पाठ्यक्रम (पूर्णकालीन)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश पात्रता	न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक*	अवधि	निर्धारित प्रवेश संख्या	शुल्क
स्नातक पाठ्यक्रम						
1.	कला एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.A. LL.B) Integrated	10+2 कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%*	5 वर्ष	120	₹ 15,000/- प्रति सेमेस्टर + स्था. शुल्क
2.	वाणिज्य एवं विधि स्नातक एकीकृत (B.Com. LL.B)	10+2 कला/विज्ञान/वाणिज्य	45%*	5 वर्ष	120	₹ 15,000/- प्रति सेमेस्टर + स्था. शुल्क
स्नातकोत्तर डिप्लोमा						
1.	कम्पनी विधि एवं सचिवीय पद्धति में डिप्लोमा (D.C.S.)	एम.कॉम या विधि स्नातक	48%***	1 वर्ष	30	₹ 10,000/- + स्था. शुल्क
2.	अपराध विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिक अपराध विषय में डिप्लोमा (D.C.L.)	विधि स्नातक/ सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर/ D.C.S. / D.L.L	48%***	1 वर्ष	30	₹ 10,000/- + स्था. शुल्क
3.	बौद्धिक सम्पदा विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	₹ 10000/- + ₹ 15000/- + स्था. शुल्क
4.	बैंकिंग विधि में डिप्लोमा	विधि स्नातक या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	48%***	1 वर्ष	25+5 पेमेन्ट सीट	₹ 10000/- + ₹ 15000/- + स्था. शुल्क

*40% अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु व अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 42%।

**अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50%।

***अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु उतीर्णांक।

टिप्पणी 1. (1) LL.B. (2) LL.M. (3) B.A. LL.B. Five Years Integrated Course में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा/वरीयता के आधार पर दिया जाएगा।

Self-Finance Core Courses (Full Time)

S. No.	Course	Eligibility	Minimum* Required Marks %	Duration	Seats	Fees
Under Graduate Course						
1.	Bachelor of Arts and Law Integrated (B.A. LL.B.)	10+2	45%*	5 Years	120	₹ 15,000/- Per Semester + Local Fund
2.	Bachelor of Commerce and Law Integrated (B.Com, LL.B.)	10+2	45%*	5 Years	120	₹ 15,000/- Per Semester + Local Fund
Post Graduate Diploma						
1.	P.G. Diploma in Company Law and Secretarial Practice (D.C.S.)	M. Com/LL.B.	48%***	1 Year	30	₹ 10,000/- + Local Fund
2.	P.G. Diploma in Criminology and Socioeconomic Crimes (D.C.L.)	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	30	₹ 10,000/- + Local Fund
3.	Diploma in Intellectual Property Law	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	25+5 SFS	₹ 10,000/- ₹ 15,000/- + Local fund
4.	Diploma in Banking Law	LL.B/ P.G. in any subject	48%***	1 Year	25+5 SFS	₹ 10,000/- ₹ 15,000/- + Local fund

* 40% for SC/ST and 42% for OBC (Non-creamy layer)

** 50% for SC/ST

*** Minimum pass marks for for SC/ST and OBC (Non-creamy layer)

• केन्द्र (Centre)

1. निःशुल्क विधि सहायता क्लिनिक (Free Legal Aid Clinic)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से महाविद्यालय में स्थापित विधि सहायता क्लिनिक द्वारा निर्धनों, अशिक्षितों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनकी दैनिक विधिक कठिनाइयों एवं मुकदमेबाजी के कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी वकीलों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाता है।



2. Ph. D. Programme

1. Introduction: The University conducts Research Entrance Test (RET) as per the UGC Regulations 2009 subject to vacancy in the concerned subjects for the admission of the students in the Ph.D. programme.

2. Eligibility: Eligibility for appearing in this test is 55% marks in post- graduation for the general category and 50% marks for SC/ST and non creamy OBC students. The RET examination has two papers, Paper-I (General Paper) and Paper-II (subject specific) carrying 100 marks each.

Syllabus: The syllabus is the same as per the UGC NET syllabus.

3. Disciplines/Subjects: In the University, there are eight Faculties viz., Faculty of Commerce, Faculty of Science, Faculty of Earth Sciences, Faculty of Humanities, Faculty of Social Sciences, Faculty of Law, Faculty of Management Studies and Faculty of Education. Various subjects are offered in these faculties and a candidate can choose his/her research area in any of the above Faculties under the supervision of an approved Research Supervisor.

I. Faculty of Science:

Physics, Chemistry, Botany, Biotechnology, Zoology, Maths & Stats., Pharmacy and Computer Science.

II. Faculty of Commerce:

Accountancy & Statistics Business Administration and Banking & Business Economics.

III. Faculty of Management Studies:

Management Studies

IV. Faculty of Earth Sciences:

Geology, Environmental Science and Geography

V. Faculty of Law:

Law

VI. Faculty of Social Sciences:

Economics, Political Science, Psychology, Journalism, Sociology, Library & Inf. Sc., Home Science and Public Administration.

VII. Faculty of Humanities:

Hindi, English, Urdu, Sanskrit, Jainology & Prakrit, Visual Arts, History, Philosophy, Rajasthani & Music

VIII. Faculty of Education:

Education and Physical Education.

4. Admission Procedure: Those candidates who qualify RET are required to appear for an interview conducted by the Departmental Committee. As per the merit list prepared by the Departmental Committee, the candidates are admitted to the Ph.D. programme (as per the availability of vacancy).

5. Registration: The letter of registration is issued by the Dean, Post-Graduate Studies to the candidate after he/she joins the programme in the department as per the procedure.

6. Course Work: After joining, the candidate has to complete the faculty-wise course work conducted by the office of the Dean, P.G. Studies. The course work consists of two parts:

I) Regular classes for Research Methodology and ICT in which minimum 75% attendance is compulsory.

ii) Consists of the Review Of Literature in which the candidate has to submit the hard copy which is later evaluated in the Post Graduate Research Board (PGRB) and has also to make a power point presentation of the Review of Literature in the same PGRB. The minimum pass percentage is 55%.

After the completion of the Part-I of course work, the Ph.D. research scholars have to appear for a written test based on the classes conducted during the course work. It is essential for all the candidates to clear the theory as well as practical examination of the course work. The minimum pass percentage is 55%. The research scholar who has acquired minimum 75% of attendance in the course work can submit his/her Synopsis and Review Of Literature through proper channel to the office of the Dean, Post Graduate Studies and face the Post Graduate Research Board. Every research scholar has to submit a six monthly progress report duly forwarded through proper channel. The annual progress report is to be submitted after a power point presentation in the department and duly approved by the Departmental Committee.

7. Submission of Thesis:

The research scholar can submit his/her Doctoral Thesis not before three years from the date of registration and upto four years. However, the period can be extended by two years (1+1) after seeking approval. (4+2 = 6 years) For women candidates and PH candidates, the maximum limit is 8 years as per the UGC norm.

8. Fee Structure:

Research Entrance Examination	₹ 1000/- for General & ₹ 500/- for reserved category
Joining fee	₹ 5000/-
Course Work fee	₹ 3000/-
Course Work Exam fee	₹ 500/-
Submission of Thesis	₹ 15000/-
Extension for fifth year	₹ 3000/-
Extension for sixth year	₹ 5000/-
Extension for seventh year	₹ 6000/-
Extension for eighth year	₹ 8000/-

College fee to be deposited annually in the respective colleges.

9. Evaluation of Thesis:

After submission the thesis is sent to two external examiners duly approved by the Hon'ble Vice Chancellor. After the reports are received, Viva Voce is conducted in the department. On the basis of the recommendation of the Viva Voce Committee, initially a Provisional Certificate is issued after approval of the Hon'ble Vice Chancellor and then the degree is conferred on the candidate as and when the Convocation is held.

10. The Ph.D. regulations are subject to change as per the decision of the Academic Council from time to time. Candidates are advised to visit the website for latest notifications.



2. पीएच. डी. कार्यक्रम

1. परिचय

पीएच. डी. कार्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय संबंधित विषय में रिक्तियाँ होने पर यूजीसी नियम 2009 के अनुसार शोध प्रवेश परीक्षा (RET) आयोजित करेगा।

2. योग्यता

इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति विद्यार्थियों के 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। RET परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा - प्रश्न पत्र प्रथम (सामान्य प्रश्न पत्र) और द्वितीय प्रश्न पत्र (विषय आधारित), पाठ्यक्रम : पाठ्यक्रम यूजीसी नेट परीक्षा के समान होगा।

3. अनुशासन/विषय :

विश्वविद्यालय में आठ संकाय हैं जैसे - वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, पृथ्वी विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, विधि संकाय, प्रबंध अध्ययन संकाय और शिक्षा संकाय। इन संकायों में विविध उपलब्ध हैं और उपर्युक्त संकायों में विद्यार्थी अनुमोदित शोध निर्देशक के शोध निर्देशन में अपना शोध क्षेत्र चुन सकता है।

I. विज्ञान संकाय : भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, प्राणि विज्ञान, गणित और सांख्यिकी, भैशज विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान।

II. वाणिज्य संकाय : लेखा, शास्त्र, सांख्यिकी, व्यवसाय प्रशासन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र।

III. प्रबंध अध्ययन संकाय : प्रबंध अध्ययन।

IV. पृथ्वी विज्ञान संकाय : भू विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और भूगोल।

V. विधि संकाय : विधि

VI. सामाजिक विज्ञान संकाय : अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, पत्रकारिता, समाजशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, गृह विज्ञान और लोक प्रशासन।

VII. मानविकी संकाय : हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जैन विद्या एवं प्राकृत, दृश्य कला, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजस्थानी और संगीत।

VIII. शिक्षा संकाय : शिक्षा और शारीरिक शिक्षा।

4. प्रवेश प्रक्रिया :

जो विद्यार्थी RET परीक्षा की अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें विभागीय समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। विभागीय समिति द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को पीएच. डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। (उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर)

5. पंजीयन :

प्रक्रिया के अनुसार विभाग में अपनी उपस्थिति (Joining) देने पर अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा अभ्यर्थी को पंजीयन पत्र (registration letter) जारी किया जाएगा।

6. कोर्स वर्क :

अपनी उपस्थिति देने के बाद अभ्यर्थी को कार्यालय, अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन द्वारा आयोजित अपने संकायानुसार कोर्स वर्क पूरा करना होगा। कोर्स वर्क के दो भाग होंगे -

- I) शोध क्रियाविधि (Research Methodology) और सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) इनमें न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- ii) साहित्य समीक्षा (Review of Literature) का कार्य पूर्ण कर हार्ड कॉपी में जमा कराना जो कि बाद में स्नातकोत्तर शोध समिति (PGRB) द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा और उसी स्नातकोत्तर शोध समिति (PGRB) के समक्ष उसका पावर प्वाइंट प्रदर्शन करना होगा न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत।
कोर्स वर्क के प्रथम भाग को पूर्ण करने के बाद कोर्स वर्क में पढ़ाई गई कक्षाओं पर आधारित एक परीक्षा में उपस्थित होना होगा। सभी अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क की लिखित परीक्षा की भाँति ही प्रायोगिक परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत।

5. वे शोधार्थी जिन्होंने कोर्स वर्क में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अर्जित की है, वे अपना शोधसार (Synopsis) और साहित्य समीक्षा (Review Of Literature) उचित माध्यम से कार्यालय, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन में जमा करा सकेंगे और स्नातकोत्तर शोध समिति (PGRB) के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे।

6. प्रत्येक शोधार्थी को उचित माध्यम से अपना छः माही प्रगति प्रतिवेदन जमा कराना होगा। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का विभागीय समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रदर्शन करना होगा और उस समिति द्वारा अनुमोदित होने पर जमा होगा।

7. शोध प्रबंध प्रस्तुति :

शोधार्थी अपना पीएच. डी. शोध प्रबंध पंजीयन तिथि से तीन वर्ष से पूर्व जमा नहीं करा पाएगा और इसे वह चार वर्षों तक जमा करा सकेगा। यद्यपि यह अवधि अनुमोदन के आधार पर दो वर्ष (1+1) तक बढ़ाई जा सकती है। (4+2=6) वर्ष यूजीसी के नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगों के लिये अधिकतम सीमा 8 वर्ष रहेगी।

8 शुल्क संरचना :

शोध प्रवेश परीक्षा	₹ 1,000 सामान्य वर्ग एवं ₹ 500 आरक्षित वर्ग हेतु।
जोइनिंग शुल्क	₹ 5000/-
कोर्स वर्क शुल्क	₹ 3000/-
कोर्स वर्क परीक्षा शुल्क	₹ 500/-
शोध प्रबंध प्रस्तुति	₹ 15,000/-
पाँचवे वर्ष के लिए विस्तार	₹ 3,000/-
छठे वर्ष के लिए विस्तार	₹ 5,000/-
सातवें वर्ष के लिए विस्तार	₹ 6,000/-
आठवें वर्ष के लिए विस्तार	₹ 8,000/-

महाविद्यालय शुल्क अपने संबंधित महाविद्यालय में प्रतिवर्ष जमा करानी होगी।

9. शोध प्रबंध का मूल्यांकन :

शोध प्रबंध जमा कराने के बाद माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित किए गए दो बाह्य परीक्षकों के पास मूल्यांकनार्थ प्रेषित किया जाएगा। प्रतिवेदन प्राप्ति पर विभाग में मौखिकी आयोजित की जाएगी। मौखिकी समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित होने पर एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और दीक्षांत समारोह में उसे उपाधि प्रदान की जाएगी।

10. पीएच. डी. नियमों में अकादमिक परिषद के निर्णयों के आधार पर समय-समय पर परिवर्तन संभव है। विद्यार्थियों को सलह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचनाओं के लिए समय-समय पर वेबसाइट देखते रहें।



3. प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया (Admission Rules and Procedures)

(क) सामान्य सूचनाएँ (General Information)

1. ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2017 से प्रारम्भ होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
3. विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सहित संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दिया जाएगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/ महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
4. निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जाएँगे तथा उनका नाम प्रवेश-सूची से हटा दिया जाएगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा।
5. स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।

(ख) सामान्य नियम (General Rules)

1. विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्ध) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी, को छोड़कर विभिन्न कक्षाओं में सभी नए प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिए जाएँगे। विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता/प्रवेश परीक्षा द्वारा दिया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिए जाएँगे। प्रवेश हेतु वरीयता क्रम 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक (प्रायोगिक को छोड़कर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगा। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोड़कर निर्धारित की जाएगी।
2. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि, डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अंशकालीन डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का पठन-पाठन विश्वविद्यालय में सामान्य पठन-पाठन समय से भिन्न समय पर हो तो विद्यार्थी उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक अंशकालीन डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का एक साथ अध्ययन कर सकेगा।
3. एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक विद्यार्थी किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत साक्षात्कार (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश आवेदन को रद्द करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
4. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जाएगा जब अर्हक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60% (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अर्हक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जाएँगे यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो एवं प्रावधान के अनुसार उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 55% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।
6. स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 50% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।

टिप्पणियाँ:

- (i) राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60% से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के अन्तर्गत भू-विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 25% तक स्थानों पर राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देना अपेक्षित है अतः यहाँ यह नियम लागू नहीं होगा।
- (ii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जाएगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।
- (iii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के इस विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय गुप/समूहों के अनुसार ही दिया जाएगा। इन विषय गुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी पड़ेगी।
- (iv) यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जाएगा।
- (v)(a) किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कारण से महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे विश्वविद्यालय के संघटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठा है अथवा उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसी श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपर्युक्त वर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हों।
- (b) स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं ऐसे विद्यार्थी को उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। उसे पुनः उस पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी। जहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ पुनः प्रवेश परीक्षा देकर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।
- (c) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने 2016 में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (vi) स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे इस विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है, उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।
- (vii) जहाँ प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं, वहाँ विद्यार्थी को अपने प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराने होंगे अन्यथा उसका नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं होगा।
- (viii) यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना हो तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा तथापि यदि समस्त योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए./एम.कॉम. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जाएगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। एम.एससी./एल.एल.बी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

- (ix) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जाएंगे।
- (x) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि गणित एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (xi) जिन विभागों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- (xii) एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में दो स्थान राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदकों (T.R.F.) के लिए आरक्षित हैं।
- (xiii) किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) आरक्षण (Reservation)

1. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का निम्नलिखित प्रकार से आरक्षण रहेगा जो किसी भी दशा में 50% से अधिक देय नहीं होगा -
- (I) अनुसूचित जातियाँ 16%
- (ii) अनुसूचित जनजातियाँ 12%
- (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) 21%
- (iv) अपंग एवं शारीरिक रूप से असक्षम वर्ग 3% (आरक्षण नीति के अनुसार)
- (v) महिला वर्ग (केवल स्नातकोत्तर कक्षा में) 5% (आरक्षण नीति के अनुसार)
- (vi) विशेष पिछड़ा वर्ग 1%
- (vii) एम. फिल. कक्षाओं में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षक (TRF) (प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त स्थान) 2 स्थान
- (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवा में तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा -

(a)	एम.एससी. (पूर्वाद्ध)	विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर	1 स्थान
(b)	एम.एससी.-पोलिमर विज्ञान	शैक्षणिक/शैक्षणोत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(c)	तैयार वस्त्र अध्ययन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम	शैक्षणिक/शैक्षणोत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(d)	पुस्तकालय विज्ञान स्नातक	संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत जेटीए के लिए (सक्षम अधिकारी की अनुशांसा पर)	जेटीए के लिए आरक्षित आठ स्थानों में से एक स्थान

- (ix) सुरक्षा सेवा के निम्नांकित वर्ग के कर्मचारियों के विधवा/आश्रित बच्चे - 5%
- (अ) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य (ब) पूर्व सैनिक (स) सामान्य आरक्षित इंजीनियर
- (द) प्रतिरक्षा सेवा के पूर्व कर्मचारी (य) शहीद
- (x) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अतिरिक्त बची हुई सीटों को 50 प्रतिशत सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के लिए होगी। अनु. जाति/जजा. आरक्षित वर्गों

की मेरिट अलग बनेगी। अनु.जाति/जजा के लिए आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जजा छात्रों के लिए रखी जाएगी। उचित संख्या में इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जनजाति वर्ग के छात्र उपलब्ध न होने पर ये सीटें इन्हीं वर्गों के लिए (अनु.जाति/जनजाति) छात्रों को दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर एवं प्रवेश की स्टेपिंग कमेटी की बैठक के बाद यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से भरी जा सकेंगी। आरक्षित वर्ग की एक सीट होने पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

- (xi) (अ) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए ही रहेगा। अन्य किसी प्रकार का आरक्षण इन पाठ्यक्रमों में नहीं रहेगा।
 (ब) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों (स्ववित्त पोषित सहित) में अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) आवेदन पत्र की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- (xii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी/उनके पुत्र या पुत्री -
- | | |
|---------------------------|----|
| (अ) शैक्षणिक कर्मचारी | 3% |
| (ब) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी | 3% |
- (उपर्युक्त आरक्षण का लाभ पाठ्यक्रमों के सभी सामान्य पाठ्यक्रमों में उपलब्ध होगा)।

नोट: इस आरक्षण के अन्तर्गत किसी शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह लाभ शैक्षणेतर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को देय होगा। इसी तरह शैक्षणेतर कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह आरक्षण का लाभ शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को भी मिलेगा।

निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा मनोनीत राज्य सरकार एवं उनसे अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षक (केवल विज्ञान स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय में)

- | | |
|---|---------|
| (xiii) कश्मीरी प्रवासी | 1 स्थान |
| भूटान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यू.जी.सी. अथवा भारत सरकार के प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दस स्थान निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त आरक्षित होंगे। ऐसे प्रवेश विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद ही दिए जाएंगे। | 1% |

टिप्पणियाँ :

- यदि सामान्य रूप से ही किसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा की कुल क्षमता के 5% अथवा उससे अधिक हैं तो महिला वर्ग का आरक्षण वहाँ लागू नहीं होगा।
- आरक्षण के लाभ हेतु कर्मचारियों के केवल पुत्र या पुत्री ही उनके आश्रित समझे जाएंगे।
- यदि जाँच के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदक आरक्षित स्थान में किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लाभ का हकदार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु

- किसी भी कक्षा व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के उत्तीर्णकों (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ऑनर्स व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु XII कक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णकों व स्नातकोत्तर व समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. इत्यादि परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णक अंक) पर इन्हीं वर्गों की मेरिट के क्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संकायों और विभागों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनु.जाति/जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश हेतु स्टेपिंग कमेटी की बैठक के बाद रिक्त आरक्षित स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः नवीन आवेदन पत्र मांगने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को सूचना दी जाएगी। जहाँ प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहाँ नवीन आवेदन पत्र

- प्रवेश परीक्षा के पूर्व मांगे जाएँगे। तथापि प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
- (vi) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से किसी भी एक वर्ग के रिक्त स्थानों को (अनुसूचित जाति व जनजाति) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर भरा जाकर कुल आरक्षित स्थान भरे जा सकेंगे।
- (vii) विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम व डिप्लोमा के लिए जहाँ प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) निर्धारित है वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि स्नातक के लिए 40%) (Pass Marks) के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बचे हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक (Cutoff Point Marks) नहीं रखते हुए इन्हीं की वरीयता क्रम में निम्नगामी क्रम (Descending Order) में आरक्षण कोटे के पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जाएगा।
- (viii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फाइनल) स्तर पर वैकल्पिक विषयों व ग्रुप को उनकी वरीयता के विषय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार दिए जाएँगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय व ग्रुप में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 12% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% नियमानुसार रखा जाएगा।
- (ix) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश में 21% आरक्षण देय होगा।
- (x) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्तपोषित सहित) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- (घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण (Relaxation and Weightage in Determination of Merit)**
- (क) बी.बी.एम., एम.बी.ए., विधि संकाय, पुस्तकालय विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान प्रवेश परीक्षा एवं सभी अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई रियायत एवं भारण देय नहीं है।
- (ख) अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष गुण सम्पन्न विद्यार्थियों, जिनमें खिलाड़ी/एन.सी.सी. कैडेट बी एवं सी सर्टिफिकेट आदि सम्मिलित हैं उन्हें योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण प्रदान किए जा सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो। एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट धारकों के लिए यह अवधि विगत चार वर्ष मानी जाएगी। निम्नांकित तालिकानुसार रियायत/भारण अंक उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रदान किए जाएँगे।

1.1 खेलकूद (Games and Sports)

	उपलब्धि	लाभ
(क)	भारत सरकार के मानव संसाधन एवं समाज द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ग)	विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(घ)	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि
(ङ)	सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि।

	उपलब्धि	लाभ
(च)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता, दल की सदस्यता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
(छ)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा खण्ड/जिलास्तर पर आयोजित खेलकूद में स्कूल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
(ज)	केन्द्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित जोन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
(झ)	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में जोन का प्रतिनिधित्व या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

- (I) उपर्युक्त अंक : लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को नियमानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में उक्त लाभ देय नहीं होगा।

वर्ग जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा -

- (1) क, ख, एवं ग हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद् और राज्य क्रीड़ा परिषद् एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य खेल प्रमाण पत्र।
- (2) घ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्।
- (3) ङ राज्य क्रीड़ा परिषद्।
- (4) च एवं छ उपनिदेशक स्तर अधिकारी/ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्/निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त।
- (5) ज एवं झ आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
- (ii) उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे -
 - (1) एथलेटिक्स, (2) जलीय (स्वीमिंग, डाइविंग एवं वाटर पोलो), (3) बेडमिन्टन (4) बास्केट बॉल, (5) शतरंज, (6) क्रिकेट, (7) साईकिल चलाना, (8) फुटबॉल (9) हॉकी (10) कबड्डी (11) खो-खो (12) टेबिल टेनिस (13) टेनिस (14) बॉलीबाल (15) हैण्डबॉल (16) कुश्ती (17) भारोत्तोलन, (18) जिम्नास्टिक (19) जूडो (20) मुक्केबाजी (21) तीरंदाजी (22) योगासन (23) सॉफ्ट बॉल (24) शूटिंग (25) कयाकिंग व केनोइंग (26) ताईक्वाडों (27) स्केवश
 भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य सभी खेल।

1.2 एन.सी.सी.

	उपलब्धि	लाभ
(क)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।

	उपलब्धि	लाभ
(ग)	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। (i) गणतंत्र दिवस कैम्प (ii) अखिल भारतीय एडवान्स लीडरशिप कैम्प (iii) पैरा जम्पिंग कोर्स (iv) आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20,000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग (v) छात्र/छात्रा विंग में सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति (vi) छात्र/छात्रा विंग में सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के साथ प्राप्ति (vii) स्नोस्कीइंग कोर्स (viii) सीनियर अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्त	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

टिप्पणी :

गणतंत्र दिवस की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित शिविर में किसी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने पर, पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेंचर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स करने वाले को और सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड सहित उत्तीर्ण कैडेट को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् चार प्रतिशत का लाभ देय होगा।

(घ)	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर (i) ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प (ii) छात्र/छात्रा विंग का सर्टिफिकेट (iii) छात्र/छात्रा बी एवं सी ग्रेड के साथ (iv) ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स (v) कम से कम तीन सप्ताह के अटेचमेन्ट कोर्स (vi) वाटर स्कीइंग कोर्स (vii) जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट धारी (viii) अण्डर ऑफिसर रैंक पर नियुक्त (ix) अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वायुसेना कैम्प, नौ सेना कैम्प, थल सेना कैम्प।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
-----	--	---

1.3 पर्वतारोहण

	उपलब्धि	लाभ
(क)	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुँच।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

	उपलब्धि	लाभ
(ग)	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा एडवांस कोर्स।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि
(घ)	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि

1.4 राष्ट्रीय सेवा योजना

	उपलब्धि	लाभ
(क)	प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार से पुरस्कृत स्वयंसेवक।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	प्रवेश के पूर्ववर्ती 2 वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड/राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर में तथा 2 विशेष शिविरों में सम्मिलित एवं 240 घण्टों का सेवा कार्य हो।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 4% की वृद्धि।
(ग)	राज्य स्तर व महाविद्यालय पर आयोजित 2 विशेष शिविरों में 240 घण्टे का सेवा कार्य	2 प्रतिशत की वृद्धि।

1.5 रोवर स्काउट-गाइड

	उपलब्धि	लाभ
(क)	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा अखिल भारत स्काउट गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में गत 5 वर्ष की सेवा अवधि में रोवर के नियमित सदस्य अथवा गत दो वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्त।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	राज्य स्काउट-गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्वकर्ता यदि गत 2 वर्ष की अवधि में रोवर/रेंजर समागम में नियमित सदस्य हो।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।
(ग)	गत दो वर्ष में राज्य कमिश्नर से प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र प्राप्त अथवा गत दो वर्ष में रोवर/रेंजर मीटर में तीन पताकाएँ प्राप्तकर्ता दल में सम्मिलित अथवा पर्वतारोपण का आधारभूत कोर्सकर्ता।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।

1.6 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

	उपलब्धि	लाभ
(क)	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीयता वीरता पुरस्कार से सम्मनित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रवेश।
(ख)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% की वृद्धि।
(ग)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप-विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3% की वृद्धि।

टिप्पणी :

उपर्युक्त (ख) व (ग) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा। (उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।)

(घ)	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता/जिला अथवा सम्भाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2% की वृद्धि।
-----	---	---

टिप्पणी :

- (1) नियम 1.1 से 1.6 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की न्यूनतम पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।
- (2) न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के साथ एक शपथ-पत्र भी लगाना होगा जिसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है। भारण समिति (Weightage Committee) के समक्ष उपस्थिति के समय उनकी पात्रता तय की जाएगी।
- (3) उपर्युक्त लाभ प्राप्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार नहीं किए जाएँगे या ऐसे प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। मूल प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित संस्थान से प्रमाणीकरण के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होगा।

(4) उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.6 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम) का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो।

(5) उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक ही बार लाभ देय होगा।

नोट : सीधे प्रवेश योग्य (Out-Right) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय/ग्रुप में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्थान दिया जा सकता है।

(ड) प्रवेशार्थियों के रियायत/भारण अंक सम्बन्धी मामलों की जाँच के लिए केन्द्रीय समिति

(Central Committee for Verification of Cases for Concessions, Weightage etc.)

(i) कुलपति द्वारा गठित समिति रियायत/बोनस अंक प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के मामलों की जाँच करेगी। रियायत/भारण चाहने वाले सभी विद्यार्थी अपने आवेदन-पत्र सभी प्रपत्रों सहित इस समिति को प्रस्तुत करेंगे और इस समिति की संस्तुति के पश्चात ही प्रवेश समिति द्वारा उनके प्रवेश निश्चित किए जाएँगे।

(2) सीधे प्रवेश योग्य (Outright) प्रत्याशियों की पात्रता, साक्षात्कार, मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ के प्रमाणीकरण के आधार पर तय होगी। ऐसे प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/जिलाधीश से अपना शपथ-पत्र/मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणित करा प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी स्तर पर आयोज्य आमंत्रण प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्र भार अंक हेतु विचार योग्य नहीं माने जाएँगे।

(च) प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होंगी -

1.(अ) प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति (Admission Notification) - प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व कुल सचिव/अधिष्ठाता प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रवेश स्थान, आवश्यक योग्यता, आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियाँ महाविद्यालयों/विभागों के सूचना पट्ट पर भी लगाई जाएगी।

(ब) प्रवेशार्थ आवेदन-पत्रों का वितरण (Distribution of Application Forms) - आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mlsu.ac.in पर ऑनलाइन (online) भरा जाएगा। भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति मय आवेदन फीस रु. 100/- की रसीद के साथ में अंतिम तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएँ। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इसके अभाव में डेटा का सत्यापन संभव नहीं होगा।

2. आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि (Last Date for submitting Application Form) पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से सूचित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। तथापि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. प्रवेश अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission) निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विभागों/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।

(i) वे आवेदक जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक महाविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा शिक्षक अथवा उसके कारण कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।

(ii) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाए गए हों अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए गए हो या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।

(iii) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया हो।

(iv) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा गुप.111/83, दिनांक 3 जुलाई, 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।

- (v) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई-लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

4. आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicants)

1. सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिए। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन-पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।
2. सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्र उसमें बताए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित महाविद्यालय/संकाय/कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुँच जाना चाहिए।
3. नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार होनी चाहिए।
4. रेल तथा बस के किराये की रियायत केवल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश के समय ही, आवेदक के स्थायी पते वाले स्थान, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लिखित है, के लिए दी जाएगी।
5. निवास का पूर्ण पता देना है। यदि पते में परिवर्तन हो तो कार्यालय को तुरन्त सूचित करना है।
6. परिचय पत्र प्रवेश की कार्रवाई पूरी होने पर दिया जाएगा।
7. प्रवेश सूची महाविद्यालय/संकाय/सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। प्रवेश पाए हुए छात्रों को निर्धारित दिनांक तक शुल्क अवश्य जमा कराना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
8. गलत घोषणा एवं प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जाएगा।
9. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में जो आवेदक एक से अधिक विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त विषय में प्रवेश के लिए स्नातक कक्षाओं के तीनों वर्षों की सत्यापित अंकतालिकाओं सहित अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश होने पर विद्यार्थी उसी विषय में प्रवेश शुल्क जमा कराए जिसमें वह अंतिम रूप से प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसका अन्य विषयों में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।

5. आवेदक की घोषणा (Declaration by the Applicant) प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी यह घोषित करेगा कि -

- (i) मुझे किसी फौजदारी मुकदमे में सजा नहीं हुई है अथवा किसी फौजदारी मुकदमे के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।
- (ii) किसी भी न्यायालय में मेरे विरुद्ध फौजदारी का अथवा नैतिक अधमता का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।
- (iii) मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय ने अथवा संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता/आचार्य ने अथवा अन्य सक्षम अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई है और न उसके लिए मुझे कोई दण्ड दिया गया है।
- (iv) गत सत्र में मैंने अनुशासनहीनता व परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है।
- (v) उपर्युक्त सूचनाओं में से यदि कोई झूठी निकलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।
- (vi) प्रवेश के पश्चात् भी यदि मैं (i) से (v) तक किसी प्रवृत्ति में लिप्त पाया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।

6. आवेदन पत्र जमा कराना (Depositing of Application Forms)

उन सभी प्रवेशार्थियों को जो नवीन पाठ्यक्रम में अथवा उसी पाठ्यक्रम में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में प्रवेश चाहते हैं अथवा पूरक परीक्षा में बैठ रहे हैं एवं अगली कक्षा में प्रवेश चाहते हैं तो अपना आवेदन-पत्र सभी दृष्टियों से पूरा कर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करा देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र यदि तिथि न बढ़ाई गई तो रद्द कर दिए जाएंगे।

प्रवेशार्थी दिए गए आवेदन-पत्र एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएंगे। साथ ही प्रवेश के बाद एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएंगे। अलग-अलग आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभागों/महाविद्यालय में देने होंगे।

7. आवेदन-पत्र के साथ लाए जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होगी।

- (1) अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकतालिका/तालिकाएँ। एम.ए./एम.कॉम. पूर्वाद्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगाएँ।
- (2) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- (3) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र।
- (4) उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।
- (5) यदि आवेदक शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (6) यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (7) रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिए गए बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- (8) अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथपत्र देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वह अनुत्तीर्ण छात्र नहीं है।
- (9) यदि आवेदक नौकरी में हो तो सम्बन्धित नियोजक का अनापत्ति एवं अच्छे व्यवहार व चरित्र का प्रमाण पत्र।
- (10) आवेदक एवं उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े।

टिप्पणियाँ :

- (i) यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा। मूल प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं तथा उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है।
- (ii) आवेदन-पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जाएगा।
- (iii) प्रवेश समिति के संयोजक आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेंगे। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता-पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

8. आवेदन-पत्रों का पंजीकरण (Registration of Application Forms)

महाविद्यालय/विभाग के अधिष्ठाता/अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेशार्थ दिए गए आवेदन-पत्रों की सम्बन्धित सहायक लिपिक द्वारा प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् पंजीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात् ये आवेदन-पत्र विभिन्न कक्षाओं/विभागों में प्रवेश हेतु गठित समितियों को अग्रेषित कर दिए जाएँगे।

9. प्रवेश समिति (Admission Committee)

किसी संकाय में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा किए गए आवेदन-पत्र प्रवेश समिति द्वारा एक साथ विचारार्थ लिए जाएँगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन संघटक महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सम्बन्धित संकाय समन्वयक/विभागों के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

10. प्रवेश प्रक्रिया (Procedure of Admission)

- (i) उन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर किए जाएँगे। प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियमानुसार होने वाले भार अंक एवं समय-समय पर सूचित किए गए अन्य प्राप्त नियमों के आधार पर होगा।
- (ii) विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) कक्षा में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित स्थान के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियाँ बनाई जाएँगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों से पहले प्रवेश निश्चित किए जाएँगे एवं बचे हुए आवेदकों के नाम यदि कोई हो तो उन्हें सामान्य योग्यता सूची में योग्यता के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

(iv) प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत गठित किए गए समन्वयकों के कार्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाह्व के प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी -

1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाह्व (कला संकाय के सभी विषय) में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के आवेदन-पत्र स्वीकार करना। इसके लिए केन्द्र पर दो काउन्टर होंगे। एक काउन्टर पर रियायतें एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन-पत्र जमा होंगे तथा दूसरे काउन्टर पर बिना रियायत एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन पत्र जमा होंगे।
2. रियायतें एवं भारण चाहने वाले प्रत्याशी आवेदन पत्र कार्य दिवस में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ सम्बन्धित संकाय की वेटेज कमेटी के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने पर आवेदन-पत्र पर रियायत एवं भारण देय नहीं होगा।
3. वेटेज समिति को मूल प्रमाण-पत्रों में प्रमाणीकरण और प्रत्याशी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरान्त देय रियायतें एवं भारण उसके आवेदन-पत्र पर अंकित कर प्रतिदिन के आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति को भिजवाना है। सीधे उत्तीर्णांक पर प्रवेश लेने वालों के मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिए कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके साथ इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकृत शपथ-पत्र भी जमा कराना होगा।
4. प्रवेश समिति, प्रतिदिन प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अपने कार्यालय में कराएगी एवं प्रिण्ट आउटपुट का मूल आवेदन-पत्र की प्रविष्टियों से जाँच करती रहेगी। डेटा एन्ट्री एवं जाँच का कार्य आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के अगले दो दिन तक पूर्ण कर लेना होगा।
5. आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के दो दिन पूर्व की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षित स्थानों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसकी अन्तिम तिथि पूर्व घोषित सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से तीन दिन बाद की होगी।
6. ऐसे विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री व जाँच कार्य सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के चौथे दिन तक पूरा कर लिया जाएगा।
7. प्रत्येक केन्द्र पर योग्यता वरीयता क्रम के (स्नातक कक्षाओं हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार शतमक-परसेंटाइल आधार पर) अनुसार तथा प्रथम विषय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की समस्त प्रत्याशी सूची आवेदन-पत्र जमा करने की सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से 4 दिन बाद सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।
8. योग्यता वरीयता क्रम की प्रसारित सूची के अनुसार व्यक्तिगत प्रवेश प्रक्रिया का परामर्श कार्यक्रम सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन को बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों का विवरण उल्लिखित होगा। उसी क्रम से प्रत्याशी अपने अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों, स्व सत्यापित प्रतिलिपियों एवं आवश्यक शुल्क आदि लेकर परामर्श के लिए प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित केन्द्र पर निश्चित दिन व समय पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त माना जाएगा।
9. समस्त परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तथा निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि किसी श्रेणी में किसी केन्द्र पर स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें भरने के लिए योग्यता प्रवेश सूची में सम्मिलित किन्तु अवसर से वंचित प्रत्याशियों को परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर एक अन्तिम अवसर और दिया जा सकेगा। यह अवसर केवल उन प्रत्याशियों को दिया जाएगा जिनके पुनर्विचार के लिए लिखित में आवेदन-पत्र उनकी पूर्व में निर्धारित परामर्श तिथि के दो दिन के भीतर केन्द्र में प्राप्त हो चुके होंगे। आवंटित विषय परिवर्तन हेतु भी लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसी पुनः परामर्श प्रक्रिया में विचार किया जाएगा।
10. यह अन्तिम पुनः परामर्श प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में आरम्भ हुई परामर्श प्रक्रिया के दिन के आठ दिन बाद दो दिन में पूरी कर ली जाएगी और अन्तिम प्रवेश सूची का प्रसारण सभी महाविद्यालयों में करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को वह सूची प्रेषित कर दी जाएगी।
11. परामर्श प्रवेश प्रक्रिया के दिन प्रत्याशी को पूर्ण शुल्क का ड्राफ्ट/नकद केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।
12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् किसी कारणवश यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसके लिए आवेदन पत्रों के अभाव में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं। किन्तु यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति द्वारा पूरी कर ली जाएगी।

(v) विधि सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया

1. विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारत विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) के नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन होंगे तथा रियायतों एवं भार (Concession & Weightage) से मुक्त होंगे।

2. विधि स्नातक (एलएल.बी. त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्रवेश परीक्षा/वरीयता के आधार पर कक्षा की क्षमता तक प्रवेश दिए जा सकेंगे। कक्षा की कुल क्षमता 120 (स्ववित्त पोषित 60) विद्यार्थी हैं।
- 3.(i) प्रवेश परीक्षा देने के लिए वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधि, प्रौद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि (10+2+3) पद्धति से अथवा उपर्युक्त किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (10+2+3) पद्धति से स्नातक के बाद) में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हैं।
- (ii) राजस्थान के बाहर के प्रवेशार्थियों पर प्रवेश सामान्य नियम संख्या 4 लागू होगा।
- (iii) इस बुलेटिन के अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी किसी विद्यार्थी को विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि उसने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश की पात्रता अर्जित नहीं की है।
4. यदि किसी अभ्यर्थी का उपर्युक्त विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तब भी वह प्रवेश परीक्षा दे सकेगा किन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र तभी माना जाएगा जबकि वह प्रवेश के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा तथा उसका प्रवेश उपर्युक्त नियम 2 के अधीन होगा।
5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत प्राप्तांक केवल विधि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन करने की योग्यता है, इससे प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।
6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित एवं पुनर्मूल्यांकन कराने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
- 7.(i) किसी विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों से एक भी अंक कम होने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। विधि स्नातक के लिए अजा, जजा, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता पिछली परीक्षा के पास अंक (40%) रहेगी। विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार आरक्षण दिया जाएगा।
- (ii) सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्त पोषित सहित) अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
8. ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विभाग (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) में कार्यरत हो उनको विधि संकाय में प्रवेश तब ही दिया जाएगा जबकि वे अपने नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि वे उदयपुर नगर की सीमा में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर की सीमा के बाहर कार्यरत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उदयपुर नगर में कार्यरत विद्यार्थियों को बिना उपर्युक्त प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र महाविद्यालय से निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित तिथि पर प्राप्त किए जा सकेंगे।
10. भारत की विधि परिषद् की अपेक्षा की पालना के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विवरणिका में कोई बात इसके विपरित होते हुए भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय विधि स्नातक की परीक्षा देने पर विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में असफल घोषित होने पर उनको नियमानुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।
11. विधि स्नातक का पाठ्यक्रम जो तीन वर्ष का है यदि कोई विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होता है और विश्वविद्यालय के प्रोन्नत (Promoted) के नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष विधि में प्रवेश पा लेता है लेकिन विधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में उसे प्रवेश तभी दिया जाएगा जबकि वह पूर्ण रूप से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुका हो।
12. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
13. विधि पाठ्यक्रम बार कौन्सिल के नियमों के अध्याधीन है। अतः 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी। नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vi) एम.ए. के लिए योग्यता निर्धारण
एम.ए. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के निर्धारण हेतु जिस विषय में अभ्यर्थी प्रवेश चाह रहा है उस विषय में उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों को बी.ए. के प्राप्तांकों को जोड़कर योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रवेशार्थी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। प्रवेश हेतु उन्हीं संकाय के स्नातक डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों की योग्यता वरीयता का निर्धारण 5% अतिरिक्त अंक

देकर दिया जाएगा। इसके लिए प्रवेशार्थ न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। एम.कॉम. में प्रवेश बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.बी.एम. में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही देय होगा।

(vii) प्रपत्रों की मूल प्रति जमा कराना (Depositing of Original Documents)

विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने के पश्चात् ही शुल्क/डी.डी. जमा कराके उनके प्रवेश को निश्चित किया जाएगा।

11. वैकल्पिक विषय एवं लघु शोध प्रबन्ध (Optional Subjects & Dissertation)

जिन ऐच्छिक विषय/विषयों को विद्यार्थी लेना चाहता है उसका उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी कक्षा में ऐच्छिक विषयों को योग्यता के आधार पर उन आवेदकों को दिया जाएगा, जो उन विषयों को लेने के इच्छुक हैं। कक्षा में विषय की क्षमता तक ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में ऐच्छिक विषय व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त दिए जाएंगे, जिनमें सामान्यतया परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. पूर्वाह्न परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी ने 55 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं तो उत्तराह्न परीक्षा के लिए सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र के स्थान पर लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) को विभाग द्वारा वांछित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुमति दी जा सकेगी। (अजा/जजा हेतु 50% अंक माने जाएंगे।)

12. विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के जिन विद्यार्थियों का आरक्षण कोटे के भरने के बाद भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थी अगर उदयपुर के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किए जा सकेंगे।

13. प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission)

अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है -

- (i) आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिए गए हों।
- (ii) यदि आवेदन-पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किए गए हों।
- (iii) यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न किए गए हों।
- (iv) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया हो।
- (v) यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।
- (vi) परिस्थितिजन्य अन्य कोई समुचित कारण/आदेश होने पर।

14. पाठ्यक्रम को स्थगित करना (Suspension of Course of Study)

यदि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो पाए तो विद्यार्थियों को प्रवेश दे देने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है। यदि किसी नवीन पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या स्नातक पाठ्यक्रम में 10, ऑनर्स में 5 एवं स्नातकोत्तर में 3 न हो तो उस पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अन्य पाठ्यक्रम के पात्र हो तो उन्हें उसमें जाने की अनुमति अथवा प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

15. उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Re-evaluation of Answer-Books)

किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जाएगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

16. पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Students Qualifying at Supplementary Examination)

पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त हो एवं नियम 7 के अधीन वे योग्यता सूची में आते हों। निर्धारित तिथि वही होगी जो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए है तथा यह सुविधा केवल स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए है।

17. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों का प्रवेश (Admission of Students coming from other Universities of Rajasthan)

राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण यहाँ द्वितीय वर्ष में 30.09.2017 तक प्रवेश दिया जा सकेगा। उन्हें दो वर्ष की उपाधि प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। किन्तु तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा।

18. अतिरिक्त विषय/समूह ग्रुप की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश (Admission of Students Appearing in Additional Subjects Group)

किसी विषय की स्नातकोत्तर पूर्वाब्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी विषय के किसी अतिरिक्त विषय समूह में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी को कक्षा में रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल अतिरिक्त विषय/समूह की अंकतालिका ही दी जाएगी।

19. प्रवेश वर्जित

(i) अन्य महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं हैं।

20. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ

(I) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आधिकारिक रूप से प्रवेश का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होने पर भी किसी विद्यार्थी को बिना कारण बताए प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है।

(ii) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकता है, यदि वह विश्वविद्यालय अधिनियम व उपनियमों की धाराओं का अथवा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन अथवा किसी अपराध के लिए दण्डित हुआ हो अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो अथवा यह पाया जाए कि उसने प्रवेश के लिए गलत जानकारी अथवा प्रपत्र दिए हैं।

(iii) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विधि संकाय के पाठ्यक्रमों, विद्यावाचस्पति (Ph.D.) तथा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, उनको कृपया अलग से देखें।

(iv) अज्ञा, जज्ञा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम इस विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार लागू रहेंगे।

21. प्रवेश अधिकारी

स्नातक स्तर के सभी प्रवेश समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किए जाएँगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समन्वयक/विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएँगे। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रवेश अधिकृत संचालक द्वारा किए जाएँगे। इस संबंध में निर्णय का इन्हें विश्वविद्यालय के नियमों तथा निर्णयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार होगा।

22. Special Rules Regarding Foreign Students

A. ADMISSION

1. Candidates who obtain required qualifications from outside India and are now willing to join any course with the University must first apply to Association of Indian Universities (AIU) Delhi for equivalence certificate, having obtained such certificate, they should apply for eligibility letter for admission to the University. In order to obtain eligibility letter for admission to Ph.D. Programme, the candidate must also submit approved synopsis of Ph.D. by a recognised supervisor, along with the application.
2. In respect of students who produce letter of admission eligibility from this University, the Indian mission abroad will issue Student Visa/ Research Visa.
3. The foreign students seeking admission to any course of the University including Ph.D. should apply through their Embassy/High Commission. Those who have passed their qualifying examination from a University within India (other than MLSU) should also apply under intimation to their embassy/high commission. They also have to submit migration certificate within one month from the date of provisional admission.

4. A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided he/she has obtained minimum 60% marks in the qualifying examination. This rule, however, will not apply in case of those candidates who qualify their graduation from this University.
5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates shall be eligible who had English as a subject in their qualifying examination.
6. For admission to First Year of the Three-Year Degree Course in science faculty, only those candidates shall be eligible who had General Science as a subject in their qualifying examination.
7. The Dean, P.G. Studies will decide the cases for Ph.D. enrollment of foreign students in consultation with the International Students' Advisor.
8. The foreign students are required to submit a Medical Fitness Certificate from the specified authority by the Ministry of Home at the time of their admission. They will also submit an AIDS Test Report from S.M.S. Hospital, Jaipur /R.N.T. Medical College, Udaipur for ICMR AIDS SURVEILLANCE Centre.
9. Residential permit granted for studies and entry-visa for more than six months will be treated at par with student visa.
10. All foreign students seeking admission to this University should be apprised that the medium of instruction in the University is generally Hindi at the Undergraduate level.
11. All foreign students will be admitted, if otherwise found eligible, only as regular students in the college concerned. Foreign students are not eligible to appear as a Non-Collegiate (Private) candidate at any examination of this University.
12. If a student does not pass any exam he/she shall be allowed to take regular admission in the same class only two more times, in the immediate successive sessions. He/she shall not be entitled to become Ex-student in any case. In case he/she does not pass any class within three years, he/she will have to go back to his/her country.
13. The University shall not accept any admission on transfer and/or allow to change his/her admission from other educational institutes/from any other University into this University during packaged programme of study.
14. A foreign student is required to submit a copy of the registration with Criminal Investigation Department, Udaipur after he/she is admitted.
15. Foreign students are required to submit all original documents for verification to the Head of the Institution while seeking admission in the college concerned.
16. Students who fail to furnish the required documents at the time of admission, their admission shall remain provisional for a period not beyond 31 December every year. Thereafter provisional admission shall be cancelled by the University/Institution and the matter shall be reported to the Ministry and Embassy concerned.

B. FEE (Revision under consideration)

1. Tuition Fee

(i) Undergraduate Courses	
First Year	Rs. 340 per month
Second Year and Third Year	Rs. 440 per month
(ii) Post-Graduate Courses	Rs. 540 per month
(iii) M.Phil	Rs. 800 per month
(iv) Ph.D.	Rs. 9600 per year

2. University shall charge Rs. 100 (One Hundred only) as eligibility verification fee on admission.
3. Fees under all other heads charged from local students, shall be payable by foreign students at the same rates.

C. DISCIPLINE

Foreign students are required to maintain good conduct during the course of studies in the University and are to act according to the advice of the Dean Students Welfare, International Students Advisor, Head of the Institution concerned and other University authorities. Otherwise, disciplinary action shall be taken as per provisions in the Information Bulletin of the University/Institute. They shall not participate in local politics and local franchise except Students' Union Election wherein they will be eligible to cast vote only.

2. The student shall make payment of college fee and University dues on the prescribed dates.
3. If a foreign student remains absent from the class for one month continuously, his/her admission will stand cancelled and he/she will be no more a student of the college.

D. MISCELLANEOUS

1. In case, a foreign student desires to leave for abroad during the course of study, he/she should obtain No Objection Certificate from the Head of Institution/Department and immediately on return, he/she should submit a certificate of medical fitness to the concerned Institution/Department.
2. So long as the student is not registered for any course, the University authorities will not issue a bonafide student certificate to him.
3. The Head of the Institution/Dean P.G. Studies will send the details of the foreign students, immediately after their admission, to the Registrar and the International Students' Advisor.
4. All other rules and regulations for local students shall apply for foreign students also.





4. उपस्थिति नियम (Attendance Rules)

1. विश्वविद्यालय के समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिनमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित है) की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय-समय पर किए गए रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं सम्बन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं अपने प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के अनुसार उपस्थिति का विवरण रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।
4. जो छात्र संस्थान/विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अनुमत सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, जैसे खेल-कूद, गणतंत्र दिवस परेड, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे गए उन्हें उपर्युक्त गतिविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय में कक्षा में दिए गए व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जाएगा, इसमें यात्रा के दिन भी सम्मिलित किए जाएंगे परन्तु यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अवधि में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जाएगी। उपस्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त और कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
5. जो विद्यार्थी अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उस विद्यार्थी का नाम सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा छात्रा एवं उसके माता/पिता को सूचित किया जाएगा। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा।
7. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपेक्षित उपस्थिति की कमी के कारण उन पाठ्यक्रमों में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया है, जिनमें स्वयंपाठी (Non-collegiate) परीक्षार्थी के बैठने का विधान है, उन विद्यार्थियों को उसी वर्ष, स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे इसके लिए लिखित आवेदन करें और शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दें।





5. शुल्क (Fees)

शिक्षण शुल्क जुलाई से जून तक बारह महीनों के लिए अग्रिम किश्त में महाविद्यालय अधिष्ठाता को निर्धारित तिथि पर देय होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पाता है तो उसे अधिष्ठाता को विलम्ब के कारणों को बताना होगा। यदि अधिष्ठाता कारणों के औचित्य से संतुष्ट होते हैं तो शुल्क जमा कराने की अनुमति दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे।

1. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)

	कक्षा	आयकर न देने वाले के आश्रित	आयकर देने वाले के आश्रित
1.	स्नातक कक्षाएँ त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम		
	प्रथम वर्ष	₹ 110/- प्रतिमाह	₹ 165/- प्रतिमाह
	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	₹ 145/- प्रतिमाह	₹ 220/- प्रतिमाह
2.	स्नातकोत्तर कक्षाएँ छात्र	₹ 220/- प्रतिमाह	₹ 330/- प्रतिमाह

टिप्पणियाँ

- निम्नलिखित श्रेणी के सभी विद्यार्थियों से उचित प्रमाण-पत्र की उपलब्धि पर कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा-
 - स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय छात्राएँ।
 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी।
 - पूर्व सैनिक जो स्थायी रूप से असमर्थ हो गए हो और राजस्थान में बस गए हों, वे स्वयं अथवा उनके आश्रित छात्र तथा भारतीय सीमाओं पर हुए युद्धों में मृतक सैनिकों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान में बस गए हों (अन्य सैनिकों को कोई शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगा)।
 - सन् 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए अथवा स्थायी रूप से असमर्थ हो गए राजस्थान से सम्बन्धित सेना/सीमा सुरक्षा बल/सशस्त्र पुलिस के सदस्यों के बच्चे अथवा पत्नी। (इस श्रेणी के छात्रों से परिचय-पत्र शुल्क छोड़कर शेष स्थानीय शुल्क भी नहीं लिए जाएँगे)।
 - राज्य सरकार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के आयकर नहीं देने वाले कर्मचारियों के संरक्षित। (कोई भी विद्यार्थी जिसके पिता जीवित है और अपंग नहीं है, के संरक्षक उसके पिता ही होंगे। पिता के अपंग होने अथवा मृत होने पर उसका सगा भाई/अविवाहित बहिन/माता उसके संरक्षक होंगे)।
 - सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमानुसार आगे पढ़ने की अनुमति मिली हुई है एवं आयकर नहीं देते हैं।
 - समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों के बच्चे (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)।
- विद्यार्थी के अनुचित व्यवहार एवं अनुचित आचरण का दोषी पाए जाने पर उपर्युक्त रियायतें तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी।
- विद्यार्थी शुल्क की रसीदों को सुरक्षित रखें। एन.सी.सी. का गणवेश, पुस्तकालय पाठक कार्ड आदि शुल्क की रसीद दिखाने पर ही दिया जाएगा।

4. विद्यार्थी को यह रियायत सेना के अभिलेख कार्यालय अथवा पुलिस अधिकारियों से 'एन्टाइटलमेन्ट पत्र' प्रस्तुत करने पर अनुज्ञेय होगी। रियायत स्थायी रूप से असमर्थ स्वयं सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, को भी उपलब्ध होगी।

ऐसी शुल्क मुक्ति का पुनर्भरण महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 4 (2) शिक्षा जी.आर. 11/72, दिनांक 4.4.73 के अन्तर्गत किया जाएगा।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दृष्टिबाधित विद्यार्थी निम्न शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे -

(क) शिक्षण	(ख) परीक्षा
(ग) पुस्तकालय अवधान द्रव्य	(घ) पुस्तकालय
(च) क्रीड़ा	(छ) विद्यार्थी सहायता

2. अन्य शुल्क (Other Fees)

1. प्रवेश शुल्क	₹ 110/- (केवल नए विद्यार्थियों से)
2. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान एवं कला संकाय में प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए)* स्नातक कक्षा तक	₹ 330/- प्रतिवर्ष
स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	₹ 385/- प्रतिवर्ष
3. नामांकन शुल्क**	₹ 275/- प्रतिवर्ष
4. योग्यता शुल्क	
(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 220/- एक बार
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि. एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	₹ 550/- एक बार
5. एलीमेंट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन (केवल द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों से)	₹ 550/- प्रतिवर्ष
6. एम.ए. (उत्तराब्दी)/एम.लिब. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन ऐच्छिक प्रश्न-पत्र)	₹ 1045/- प्रतिवर्ष

3. स्थानीय शुल्क (Local Fees)

1. क्रीड़ा शुल्क	₹ 200/- प्रतिवर्ष
2. स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹ 150/- प्रतिवर्ष
3. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹ 65/- प्रतिवर्ष
4. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹ 55/- प्रतिवर्ष
5. मनोरंजन शुल्क	₹ 35/- प्रतिवर्ष
6. विकास शुल्क	₹ 185/- प्रतिवर्ष

7. परिचय पत्र शुल्क	₹ 45/- प्रतिवर्ष
8. छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 90/- प्रतिवर्ष
9. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
10. छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 75/- प्रतिवर्ष
11. छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
12. मुक्त प्रणाली (वाचनालय)	₹ 55/- प्रतिवर्ष
13. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹ 45/- प्रतिवर्ष
14. वाहन स्टेण्ड शुल्क	₹ 55/- प्रतिवर्ष
15. वाहन स्टेण्ड शुल्क (स्वयंपाठी छात्रों से परीक्षा के दौरान)	₹ 55/- प्रतिवर्ष
16. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 55/- प्रतिवर्ष
17. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 30/- प्रतिवर्ष
18. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 220/- एक बार
19. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 220/- एक बार
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	₹ 65/- प्रतिवर्ष
21. शैक्षणिक भ्रमण शुल्क (जहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है।)	₹ 330/- प्रतिवर्ष
22. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क (केवल स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से)	₹ 110/- प्रतिवर्ष
23. परिसर स्वच्छता शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
24. नेतृत्व कौशल विकास शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष

* कला संकाय में संगीत, भूगोल, चित्रकला, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला शुल्क लिया जाएगा।

** उन विद्यार्थियों से जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन होना है।

4. एम.फिल. शुल्क (M.Phil. Fees)

1. शिक्षण शुल्क	₹ 440/- प्रतिमाह
2. प्रवेश शुल्क	₹ 330/- प्रतिवर्ष
3. क्रीड़ा शुल्क	₹ 220/- प्रतिवर्ष
4. स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
5. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
6. मनोरंजन शुल्क	₹ 65/- प्रतिवर्ष
7. विकास शुल्क	₹ 660/- प्रतिवर्ष

8. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	₹ 220/- प्रतिवर्ष
9. परिचय-पत्र शुल्क	₹ 65/- प्रतिवर्ष
10. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹ 65/- प्रतिवर्ष
11. वाहन स्टेण्ड शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
12. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
13. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 90/- प्रतिवर्ष
14. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 65/- प्रतिवर्ष
15. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 320/- एक बार
16. छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 130/- प्रतिवर्ष
17. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 65/- प्रतिवर्ष
18. छात्र-संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 130/- प्रतिवर्ष
19. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 65/- प्रतिवर्ष
20. वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	₹ 110/- प्रतिवर्ष
21. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष

5. विद्यावाचस्पति शुल्क

1. पंजीकरण शुल्क (विश्वविद्यालय में)	₹ 5,000/- एक बार
2. शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों से) (महाविद्यालय में)	₹ 4,000/- प्रतिवर्ष
3. परीक्षण शुल्क (थीसिस प्रस्तुत करते समय) (विश्वविद्यालय में)	₹ 15,000/- एक बार

शोध विद्यार्थी को पंजीयन आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय विवरणिका उपलब्ध करवाई जाएगी।

शोध छात्र द्वारा पंजीकृत होने की तिथि से शुल्क देय होगा। प्रवेश के समय निम्नांकित स्थानीय शुल्क भी जमा करना होगा।

स्थानीय शुल्क

1. प्रवेश शुल्क	₹ 330/- एक बार
2. वाचनालय शुल्क	₹ 165/- प्रतिवर्ष
3. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹ 55/- प्रतिवर्ष
4. परिचय-पत्र शुल्क (RFID/Smart Card)	₹ 110/- प्रतिवर्ष
5. साईकिल स्टेण्ड शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
6. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय) (गणित व सांख्यिकी को छोड़कर)	₹ 330/- प्रतिमाह

7. छात्र-संघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 75/- प्रतिवर्ष
8. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
9. छात्र-संघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 75/- प्रतिवर्ष
10. छात्र-संघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
11. पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 65/- प्रतिवर्ष
12. पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 45/- प्रतिवर्ष
13. पुस्तकालय अवधान द्रव्य (वापस देय)	₹ 220/- एक बार
14. प्रयोगशाला अवधान द्रव्य (विज्ञान संकाय में)	₹ 330/- एक बार
15. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	₹ 145/- प्रतिवर्ष
16. विकास शुल्क	₹ 495/- प्रतिवर्ष
17. विषय/संकाय परिषद् शुल्क	₹ 65/- प्रतिवर्ष
18. केन्द्रीय पुस्तकालय शुल्क	₹ 110/- प्रतिवर्ष
19. परिसर स्वच्छता शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष
20. नैतत्व कौशल विकास शुल्क	₹ 100/- प्रतिवर्ष

टिप्पणियाँ :

1. विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी से, जो विद्यावाचस्पति की उपाधि हेतु पंजीकृत होते हैं, शिक्षण तथा प्रयोगशाला शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल प्रवेश एवं पंजीकरण शुल्क देना होगा।
2. आई.सी.पी.आर., यू.जी.सी., आई.सी.एस.एस.आर. इत्यादि की शोध योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे शोध छात्रों को जो विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत हैं और यदि वे अधिष्ठाता की पूर्वानुमति से विभाग के शिक्षण कार्य में आवश्यक कालांश का शिक्षण कार्य करते हैं तो उन्हें शिक्षण शुल्क से मुक्ति दी जाएगी।
3. अध्यापक शोधकर्ता (Teachers Research Fellow) जो संकाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करते हैं, के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
4. छात्राओं के लिए भी शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के शोधकर्ता के लिए शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।
6. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आश्रितों को जो कि विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत है, शिक्षण शुल्क से मुक्ति या पुनर्भरण देय नहीं है।
7. अवधान द्रव्य जो देय है, की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर यदि छात्र द्वारा वापस नहीं ली गई तो अदेय होकर विश्वविद्यालय के लिए व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।
8. विवरणिका में इंगित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस देय नहीं होगा।
9. परिचय पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए ₹ 100/- शुल्क देना होगा। स्मार्ट कार्ड की दूसरी प्रति के लिए शुल्क ₹ 200/- देना होगा।
10. शोधार्थी प्रतिवर्ष सभी प्रकार के अपेक्षित शुल्क रजिस्ट्रेशन तिथि से एक माह के भीतर जमा कराएगा अन्यथा ₹ 500 . प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा अन्यथा अधिकतम प्रतिवर्ष ₹ 1000 विलम्ब शुल्क देय होगा।

- (1.) पीएच.डी कार्यक्रम में जिन छात्रों को प्रवेश मिलता है विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक महीने के अन्दर महाविद्यालय शुल्क जमा कराना होगा।
- (2.) महाविद्यालय शुल्क जमा कराने के लिए उपस्थिति पत्र शोध निर्देशक के हस्ताक्षर और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- (3.) यदि कोई शोधार्थी एक वर्ष से अधिक समय तक महाविद्यालय शुल्क नहीं जमा कराता है तो उसका पंजीयन निरस्त हो जाएगा।
- (4.) पंजीकरण के द्वितीय वर्ष के पश्चात् महाविद्यालय शुल्क उन्हीं शोधार्थियों से प्राप्त की जाएगी जिन्होंने सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से वार्षिक प्रतिवेदन जमा करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

11. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सैनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
12. ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पीएच. डी. सम्पूर्ण कर जमा करना रहे हैं। वार्षिक शिक्षण शुल्क, वे रजिस्ट्रेशन की दिनांक से एक माह की अवधि में यदि अपना शोध ग्रंथ (Thesis) जमा करवाते हैं तो शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

6. शुल्क वापसी (Refund of Fees)

- (क) विद्यार्थी द्वारा जमा कराए गए समस्त शुल्क में से ₹ 1000/- (एक हजार रुपये) प्रवेश प्रक्रिया का काटकर पुनः तभी लौटाया जा सकेगा जब उसने अन्य महाविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो तथा प्रवेश की अंतिम तिथि तक उसको आवंटित की गई सीट किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा भर ली गई हो।
- (ख) जिस विद्यार्थी को किसी प्रलेख के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्थायी प्रवेश दिया गया है और वह निर्धारित अवधि में उस प्रलेख को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रवेश रद्द होने पर उसका अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- (ग) यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा अथवा अन्य किसी भी कारण से अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाता है परन्तु बाद में पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अन्य कारण से अगली कक्षा में प्रवेश के अयोग्य घोषित होने के कारण उसका अगली कक्षा का प्रवेश निरस्त हो जाता है तो उसके द्वारा अगली कक्षा के लिए जमा कराया गया शुल्क 500 रूपये काट कर लौटा दिया जायेगा।
- (घ) शुल्कों की वापसी के लिए सभी कार्रवाई प्रत्येक सत्र में अक्टूबर माह के पश्चात् ही होगी परन्तु विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अंत तक इस राशि की मांग नहीं करने पर वह राशि व्ययगत (Lapse) हो जाएगी।

7. परीक्षा से सम्बन्धित अन्य शुल्क

1. नामांकन	₹ 250/-
2. योग्यता शुल्क	
(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 300/- एक बार
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि. एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	₹ 600/- एक बार
3. माइग्रेसन प्रमाण पत्र	₹ 200/-
4. वरीयता प्रमाण पत्र	₹ 100/-
5. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	₹ 100/-
6. बाह्य विद्यार्थियों के परीक्षा फार्मों का अग्रेषण	₹ 20/-
7. चरित्र प्रमाण पत्र/नियमित छात्र प्रमाण पत्र	₹ 20/-
8. प्रोविजनल प्रमाण पत्र	₹ 100/-

9. पुनर्मूल्यांकन शुल्क - स्नातक स्तर	₹ 350/- प्रति पेपर
10. पुनर्मूल्यांकन शुल्क - स्नातकोत्तर स्तर	₹ 400/- प्रति पेपर
11. आवेदन पत्र शुल्क - ऑनलाइन	₹ 50 /-
12. व्यावसायिक पाठ्यक्रम	₹ 1200/- प्रति पेपर
13. डुप्लिकेट अंकतालिका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा (परीक्षा 2009 से)	₹ 600/-
14. डुप्लिकेट अंकतालिका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर प्रति कक्षा (परीक्षा 2008 व इसके पूर्व की)	₹ 1200/-
15. डुप्लिकेट प्रोविजनल प्रमाण पत्र	₹ 600/-
16. डुप्लिकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र	₹ 400/-
17. डुप्लिकेट डिग्री	₹ 1500/-
18. सत्यापन प्रमाण पत्र (प्रति प्रमाण-पत्र)	₹ 500/-
19. ट्रान्सक्रिप्ट (प्रति पार्ट व प्रति कॉपी)	₹ 600/-
20. अतिरिक्त शुल्क (परीक्षा प्रक्रिया) वार्षिक एवं सेमेस्टर	₹ 250/- प्रति वर्ष/ सेमेस्टर

*परीक्षा शुल्क समय-समय पर बढ़ाई जाएगी व परीक्षा फार्म भरते समय उसका निर्धारण किया जाएगा।

परीक्षा शुल्क का निर्धारण (online) परीक्षा फार्म भरते समय किया जाएगा जिसकी सूचना तत्समय उपलब्ध कराई जाएगी।

9. परीक्षा आवेदन पत्र (Admission Card)

परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क तथा प्रलेखों के साथ प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी जांच की जाएगी तथा उसके समुचित पाए जाने पर परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र खो जाने अथवा नष्ट होने के बारे में परीक्षा नियंत्रक/केन्द्राध्यक्ष के संतुष्ट होने पर ₹ 10 के भुगतान पर दूसरी प्रति दे दी जाएगी।

10. छात्रावास शुल्क (Hostel Fees)

छात्रावास सम्बन्धी शुल्कों के लिए छात्रावास विवरण का अवलोकन करें।

11. विधि महाविद्यालय शुल्क विवरण

(क) शिक्षण शुल्क (जुलाई-जून)

- स्नातक	
आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹ 440 प्रतिमाह
आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹ 330 प्रतिमाह
- डिप्लोमा श्रम विधि	
आयकर देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹ 440 प्रतिमाह
आयकर न देने वाले अथवा उनके वार्ड	₹ 385 प्रतिमाह
- निष्णात	₹ 660 प्रतिमाह

टिप्पणी : विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क आयकर देने वालों की श्रेणी के शुल्क का पाँच गुणा होगा।

(ख) स्थानीय शुल्क

1. वाचनालय पठन कक्ष शुल्क	₹ 65 प्रतिवर्ष
2. छात्र सहायता निधि शुल्क	₹ 45 प्रतिवर्ष
3. पुस्तकालय मुक्त प्रणाली शुल्क	₹ 55 प्रतिवर्ष
4. विकास शुल्क	₹ 185 प्रतिवर्ष
5. साईकिल स्टेण्ड नियमित विद्यार्थी	₹ 55 प्रतिवर्ष
6. परिचय पत्र शुल्क	₹ 45 प्रतिवर्ष
7. मनोरंजन शुल्क	₹ 35 प्रतिवर्ष
8. छात्र न्यायालय (मूटकोर्ट) शुल्क	₹ 165 प्रतिवर्ष

9.	वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुल्क	₹ 65 प्रतिवर्ष
10.	पुस्तकालय निधि (वापस देय)	
	अ- स्नातक	₹ 385 (प्रवेश के समय)
	ब- निष्णात (एलएल.एम./डिप्लोमा इन लेबर लॉ)	₹ 715 एक बार
11.	क्रीड़ा शुल्क	₹ 200 प्रतिवर्ष
12.	स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क	₹ 150 प्रतिवर्ष
13.	छात्रसंघ शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 90 प्रतिवर्ष
14.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 45 प्रतिवर्ष
15.	छात्रसंघ शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 75 प्रतिवर्ष
16.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 45 प्रतिवर्ष
17.	पत्रिका शुल्क (महाविद्यालय)	₹ 55 प्रतिवर्ष
18.	पत्रिका शुल्क (विश्वविद्यालय)	₹ 30 प्रतिवर्ष
19.	प्रेक्टिकल डायरी, टाई एवं लीगल कैम्प	₹ 275 प्रतिवर्ष
20.	तकनीकी जर्नल एवं साफ्टवेयर फीस	₹ 165 प्रतिवर्ष
21.	विस्तार व्याख्यान माला शुल्क	₹ 550 प्रतिवर्ष

(ग) अन्य शुल्क

प्रवेश शुल्क	₹ 110 (केवल नए विद्यार्थियों)
नामांकन शुल्क*	₹ 275 प्रतिवर्ष
योग्यता शुल्क**	
(i) राजस्थान के राज्य स्तर के विश्वविद्यालय	₹ 220/- एक बार
(ii) राजस्थान राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय सभी निजी वि.वि. एवं सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान बोर्ड को छोड़कर)	₹ 550/- एक बार

* केवल उन्हीं से लिया जाएगा जो विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित नहीं हुए हो।

** राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क के अतिरिक्त।

नोट :

1. शुल्क विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार पर समय-समय पर पुनरीक्षित अथवा उपान्तरित किए जा सकते हैं।
2. सभी शुल्क प्रवेश के समय लिए जाएँगे।
3. अवधान द्रव्य (काॅशन मनी पुस्तकालय सहित) की राशि महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर विद्यार्थी द्वारा वापस नहीं ली गई तो विश्वविद्यालय को व्ययगत हो जाएगी और वापस देय नहीं होगी।
4. परिचय-पत्र खो जाने पर दूसरी प्रति के लिए ₹ 100 शुल्क लिया जाएगा।
5. जुर्माना सहित बकाया (एरियर्स) पुनः प्रवेश शुल्क ₹ 5 के भुगतान पर काटे गए नाम को पुनः लिखना अधिष्ठाता के विवेकाधिकार में होगा।
6. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
7. उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - (a) स्नातक भारतीय छात्राएँ राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(25)शिक्षा-1/77, दिनांक 27.12.89, सु.वि.वि. पृ.क्र. 13/(37)/सामान्य/1994-1701, दिनांक 9.1.1990 तथापि पूर्ववत स्ववित्तपोषित व्यावसायिक एवं विस्तारित (Extended) पाठ्यक्रमों में अन्य शुल्कों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क भी लिया जाता रहेगा।
 - (b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमिलेयर को छोड़कर) विद्यार्थियों से।
8. परीक्षा शुल्क के साथ प्रति परीक्षार्थी ई-सुविधा शुल्क ₹ 100/- लिया जाएगा।



6. सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
 2. **परिभाषाएँ :** सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं -
 - (क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।
 - (ख) कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।
 - (ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।
 - (घ) सभी प्रकार की जाँच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।
 - (ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणोत्तर कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।
 - (च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएँ भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग करना।
 - (छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।
 - (ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक पदार्थ/सामग्री का उपयोग करना।
 - (झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।
 - (ञ) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में लिप्त होना। उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।
 - (थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तित्व (Impersonation)
 - (द) उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।
- नोट :** परीक्षाओं तथा छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/ परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिए निर्धारित नियम लागू होंगे।
3. **अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)**

अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जाएगा -

 - (अ) अधिष्ठाता (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक (इ) चीफ प्रोक्टर (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष
 - (उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉक्टर
 - (ऊ) विभागों के अध्यक्ष (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन
 - (ऐ) शारीरिक शिक्षा निदेशक, खेल प्रशिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी।
 4. **प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)**
 - (क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। इसमें विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सम्मिलित हैं।
 - (ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा -
 1. मुख्य प्रॉक्टर (अध्यक्ष)
 2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टर
 3. सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत सदस्य

(ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे -

1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्रवाई करना।
5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना।

5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)

(क) कुलपति एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपति एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।

(ख) अनुशासन समिति का गठन :

(i) विश्वविद्यालय स्तर (University Level) : कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा -

(अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब) छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स) विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो	(सदस्य)
(द) चीफ प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

(ii) संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level) : अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा -

(अ) अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब) सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स) महाविद्यालय के दो संकाय सदस्य	(सदस्य)
(द) प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)

- (1) समिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जाँच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।
- (2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपति/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सहित) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित हो तथा जाँच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।
- (3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमति के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।
- (4) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जाएगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (5) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजी जाएगी।
- (6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जाँच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद जाँच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।

- (7) जाँच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार-विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशांसा करेगी। दण्ड की क्रियान्विति निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी।

7. अपील का अधिकार (Right to Appeal)

- (1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध पाँच दिनों के अन्दर-अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।
- (2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

टिप्पणियाँ :

- (अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला था, पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थायी रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु संप्रेषित करेगा।
- (आ) निष्कासन एवं रेस्ट्रिक्शन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाएँगे।
- (इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो, उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।
- (ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्ट्रिक्शन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।
- (उ) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थित पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

8. अपील का निस्तारण (Disposal of Appeal)

- (1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।
- (2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।
- (3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निस्तारण किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जाँच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुनः निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे जो अन्तिम होगा।





7. रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान (Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में “रैगिंग” लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग का अर्थ :

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुँचाना, निर्दयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षति पहुँचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक-अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षति पहुँचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुँचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाइयाँ बढ़ जाए, संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुशासन के मापदण्डों के विरुद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है।

नोट : परिचय पार्टी में किए जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक “रैगिंग” में सम्मिलित नहीं है।

रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

- (1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन किया गया है एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण किया जाता है।
- (2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नं. आदि का प्रकाशन सूचना पुस्तिका में प्रदत्त है। रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रों द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जाना चाहिए।
- (3) नव प्रविष्ट विद्यार्थी को मित्र-समूह के साथ रहने की सलाह दी जाती है। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लाएँ।
- (4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रों को ध्यान से पढ़ें एवं उनमें दिए गए सुझावों पर अमल करें।
- (5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित वरिष्ठ साथी को नव-प्रविष्ट विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

दण्ड के प्रावधान

रैगिंग की सूचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिए जा सकते हैं :-

- (1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सूचित करना।
- (2) विश्वविद्यालय में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।
- (3) रैगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।
- (4) छात्रावास में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।
- (5) रैगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिए जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।
- (6) “आपराधिक रैगिंग” में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।

- (7) रैगिंग के दोषी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र एवं डिग्री में इस तथ्य का उल्लेख करना कि 'अमुक डिग्रीधारी रैगिंग लेने का दोषी है।'
- (8) रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना।
- (9) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।
- (10) रैगिंग में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।
- (11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी "रैगिंग योग्य केस" मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा "रैगिंग निरोधी दस्ते" को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।
- (12) रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ-साथ दी जा सकती हैं।
- (13) रैगिंग लेना अथवा रैगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।
- (14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो-विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें "रैगिंग समकक्ष व्यवहार" प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।
रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

सुझाव/मार्गदर्शन

- (1) वरिष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कनिष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।
- (2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाएँ। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली बनाएँ।





8. परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन (Discipline During Examination)

1. अनुशासनहीनता (Indiscipline)

परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे -

(क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे -

- (I) बहिष्कार तथा बहिर्गमन।
- (ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना।
- (iii) उत्तर-पुस्तिका अथवा प्रश्न-पत्र फाड़ना, सभी परीक्षार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाएँ अथवा प्रश्न-पत्र छीनना तथा हटाना।
- (iv) परिवीक्षक-वर्ग को अथवा सह-परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना।
- (v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इन्कार करना शक्ति का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा-कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो। उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढ़ावा देना या स्वयं करना।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे -

- (I) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न-पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न-पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।
- (ii) प्रश्न-पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।
- (iii)(अ) परीक्षा के समय प्रश्न-पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।
- (आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।
- (इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न-पत्र पर लिखा हुआ होना।
- (iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे - इशारे करना, हाव-भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।
- (v) उत्तर-पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।
- (vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना।

2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों में व्यवहार-प्रक्रियाएँ निम्नलिखित होंगी -

- (I) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उड़नदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप परीक्षार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- (ii) ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसके अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर-पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जाएगी और प्रश्न-पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत 'अनुचित' आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा दण्डित किए जाने की दशा में नई उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जाएगी। दोनों उत्तर-पुस्तिकाएँ (जिन पर i व ii अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहाँ तक सम्भव हो सके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष-वीक्षक या उड़नदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की दशा में इस तथ्य का प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाएगा।
- (iii) वीक्षक/उड़नदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उड़नदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को दी जाएगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।
- (iv) यदि परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इन्कार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला वीक्षक/उड़नदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जाएगा।
- (v) केन्द्र-अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न-पत्र के परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।
- (vi)(अ) परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच की जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थायी दण्ड निर्धारित करेंगे।
- (आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन-पत्र पर दिए गए पते पर सूचना भेजी जाएगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाए तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाए।
- (इ) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जाएगा। यदि वह निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपति की स्वीकृति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जाएगा।
- (ई) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा सम्पूर्ण मामले की जाँच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए गए अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (उ) जहाँ कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिए जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जाएगा।
- (vii) किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जाँच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

3. दण्ड के प्रतिमान

1. Norms of Punishment

1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it :

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory | Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is of insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled. |
|-----|---|--|

(b)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).
-----	---	--

1.2 Where a candidate is found to have copied from or used the material caught :

(a)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.
(b)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.

(a)	If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.	Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and candidate shall be exonerated by issuing warning for the & future.
(b)	If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.	Candidate mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. & shall be forfeited and only present theory examination shall be cancelled and if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).
(c)	If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.	Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited and present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.

1.4	If the candidate is involved in sacrilegious of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.	Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.
------------	--	---

Note :

- (1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.

- (2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to cancellation of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/viva/voce/field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal assessment work (marks) / practical work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled. However, if unfair means case is reported during practical examination 1.1 (a) would refer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.
- (3) After completion of punishment period, if the candidate is reappearing in the subsequent examination, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of the class/course. In case scheme of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the maximum marks of that paper (theory + sessional).
- 1.5 Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which he/she has been found using unfair means will be cancelled, and he/she shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.
- 1.6 The cases of employee candidates, indulging in unfair means and resorting to violence and misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the University forth with for action by the Centre Superintendent on the prescribed form for departmental action.
- 1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in case of misconduct or misbehaviour as defined above.
- 1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate committee on their merit.

2. Norms related with tempering in University document & etc.

2(अ) परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा -

1. आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।
2. अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/ फोटोस्टेट प्रति में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।

2(ब) कार्रवाई की प्रक्रिया :

1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय विवरणिका में प्रकाशित "अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की प्रक्रिया" के अनुसार होगी।
2. महाविद्यालय स्तर पर पाए जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच करवाई जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।

2(स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किए जाते हैं -

1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।
2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।

3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1, 2 अथवा 3 की कार्रवाई किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हों तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए।
4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तंक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हैं तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाएगा।
5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूठे प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण समिति में रखकर वांछित निर्णय किया जाएगा।
6. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्राप्त हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाएँ निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।
7. उपर्युक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।
8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जाएगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जाएगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्रवाई की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination

In addition to the provisions laid down from Page No. 61 to 68 to deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 1992

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :

1. Short title, extent and commencement :

- (1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force at once.
- 2. Definitions - In the Act -**
- (a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto.
- (b) "public examination" means any examination specified in the schedule.
- (c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone, wireless or electronic or other instrument or gadget; and
- (d) the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to them in that code.
- 3. Prohibition to use of Unfairmeans :** No person shall use unfairmeans at any public examination.
- 4. Unauthorised possession or disclosure of question paper :** No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination.
- (a) procedure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or copy thereof; or
- (b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a bearing upon such question paper.
- 5. Prevention of Leakage by person entrusted with examination work :** No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.
- 6. Penalty :** Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.
- 7. Penalty for offence with preparation to cause hurt :** Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.
- 8. Power to amend Schedule :** The State Government may by notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

The Schedule

(Section 2)

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).
2. Any examination conducted by any University established by law in India.
3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

J.P. Bansal
Secretary to the Government



9. छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता (Scholarships and Financial Assistance)

1. सामान्य नियम (General Rules)

वित्तीय सहायता योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। किसी भी छात्रवृत्ति अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के नियमित उपस्थिति/संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं अच्छे आचरण के अभाव की दशा में निलम्बित अथवा स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। ऐसी निलम्बित छात्रवृत्तियाँ अथवा ऋण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर पूर्व प्रभाव से पुनः दिया जा सकता है।

सामान्यतया सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि तक, जिसके लिए स्वीकृत की गई, नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, अच्छे आचरण तथा महाविद्यालय के अनुशासन का उचित पालन किया जा सकता है।

2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (Need-cum-Merit Scholarship)

- सभी विद्यार्थी जिसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है तथा जिन्होंने 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों, आवेदन के योग्य होंगे। वांछनीय योग्यता वाले विद्यार्थियों में से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जाएगी।
- छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के अन्य नियम वही होंगे जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए लागू हैं।

3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)

भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों। इसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (UGC Junior Research Fellowship)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जे.आर.एफ.) सीमित संख्या में, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा (NET) में सफलता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत कनिष्ठ शोधकर्ता को ₹ 25,000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति तथा नियमानुसार वार्षिक आकस्मिक अनुदान के लिए ₹ 12000 विज्ञान संकाय में तथा ₹ 10000 अन्य संकायों में प्राप्त होते हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजीव गाँधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति - अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृत्ति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं उनको बिन्दु संख्या 4 में दर्शाई गई छात्रवृत्ति राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।

- सी.एस.आई.आर. एवं आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को शोधवृत्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।

8. विभागीय कनिष्ठशोधवृत्ति (Departmental Fellowship)

प्रत्येक विभाग में एक शोधवृत्ति। न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक (अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50% अंक)। प्राप्तकर्ताओं में से छात्रवृत्ति राशि ₹ 600 प्रतिमाह। एक समय एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष। दूसरे वर्ष के लिए ₹ 700 प्रतिमाह।

9. छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के सामान्य नियम (General Rules Regarding Scholarship and Financial Assistance)

- (I) छात्रवृत्ति विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के महीने से अगले वर्ष जून तक प्रदान की जाएगी, यदि उसने सम्बन्धित महीने की 15 तारीख तक प्रवेश प्राप्त किया हो अन्यथा छात्रवृत्ति अगले महीने से प्राप्त की जाएगी।
- (ii) विद्यार्थी द्वारा सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने पर छात्रवृत्ति इसी माह में रद्द कर दी जाएगी, जिसमें वह संस्था छोड़ता है।

10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

- (i) अनुसूचित जाति/जजा तथा विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
- (ii) विकलांग छात्रवृत्ति (विकलांग/बधिर/मूक/नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए)
- (iii) देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम - 2010

11. राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की क्रीड़ा छात्रवृत्ति

12. राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रवृत्ति (NCC Scholarship)

13. अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other Scholarships)

- (I) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति
- (ii) स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
- (iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति
- (iv) अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- (v) भारत-पाक एवं भारत-चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिक के बच्चों एवं विधवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।

14. विद्यार्थी सहायता कोष ((Student's Aid Fund)

विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा ₹ 40 प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क से की जाती है।

- (i) इस कोष का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क अथवा पुस्तकों पर व्यय अथवा अन्य ऐसे किसी व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।
- (ii) कोष का प्रबन्ध इस हेतु गठित समिति के माध्यम से महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा किया जाता है।
- (iii) विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त कोष में से ऐसे विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता मिल रही हो।

- (iv) कोष में से सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अधिष्ठाता द्वारा सूचित तिथि तक आवेदन किए जाने चाहिए।
- (v) कोष में से अति निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति सहायता (Freeship/ Half Freeship) प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के 10% तक विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी।
- (vi) इस सहायता हेतु आवेदन के लिए आय प्रमाण-पत्र - राज्य सरकार के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

15. प्राकृत विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता (Financial Assistance for Prakrit Students)

विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को स्वीकृत नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि की सीमित सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

- 16. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक असक्षम छात्र यू.जी.सी. छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आवेदन करें।

17. स्वर्ण पदक (Gold Medals) एवं अन्य पुरस्कार

- (i) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा कला, वाणिज्य, विधि एवं विज्ञान संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) एवं एम. फिल. परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रथम स्थान पाने पर भी स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जाता है। स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय के तत्कालीन नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- (ii) विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से एम.एससी./एम.ए. भूगोल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 'भैरूलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन' (यू.एस.ए.) द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा।
- (iii) प्रबन्ध अध्ययन संकाय में एम.बी.ए. नियमित दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'मेहता जगन्नाथ सिंह भौमकुमारी चैरीटेबल फाउण्डेशन' की ओर से ₹ 1001/- का नकद पुरस्कार एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।
- (iv) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'प्रो. आर.के. श्रीवास्तव' (₹ 1001/- नकद) पुरस्कार एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।
- (v) एम.एससी. भू-विज्ञान में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'विजयसिंह देवपुरा मेमोरियल' रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवम् ₹ 5000/- नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- (vi) एम.ए. हिन्दी में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'स्व. प्रोफेसर ललित शंकर पुष्पा देवी शर्मा' रजत पदक (गोल्ड प्लेटेड) एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।
- (vii) बी. कॉम. तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'डॉ. सी. बी. मामोरिया' स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा।
- (viii) व्यवसाय प्रशासन विभाग के स्नातकोत्तर (एम.कॉम एवं एम.फिल) के वे सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्राएँ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 'CEWS सिंघवी अवार्ड' छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष अलर्ट संस्थान द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है।



10. पुस्तकालय सुविधाएँ (Library Facilities)

विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में समृद्ध आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय हैं। विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र को भरकर एवं आज्ञा प्राप्त कर संबंधित पुस्तकालयों के सदस्य बन सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पुस्तकालयों से सम्बन्धित संक्षिप्त सूचना दी जा रही है।

(क) केन्द्रीय पुस्तकालय (Central Library)

यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, संदर्भ सामग्री आदि उपलब्ध है। इसमें आदान-प्रदान, शोध प्रतिवेदन, छायाप्रति, लिपिकरण तथा सन्दर्भ एवं शोध पत्रिकाओं के स्वतंत्र विभाग है। पुस्तकालय में 'ई' पुस्तकालय सुविधा भी उपलब्ध है।

जिसके अन्तर्गत INFLIBNET द्वारा निम्नलिखित प्रकाशकों के ई-जर्नल्स एवं डेटाबेस उपलब्ध है:

S. No.	Resource Name	Resource URL
1.	American Chemical Society	http://pubs.acs.org
2.	American Institute of Physics	http://journals.aip.org/
3.	American Physical Society	http://publish.aps.org/browse.php
4.	Annual Reviews	http://arjournals.annualreviews.org/
5.	Cambridge University Press	http://journals.cambridge.org/
6.	Economic & Political Weekly	http://epw.in/
7.	Institute of Physics	http://iopscience.iop.org/journals
8.	ISID	http://isid.org.in
9.	JCCC	http://www.jccc-ugcinfonet.in/
10.	JSTOR	http://www.jstor.org/
11.	Nature	http://www.nature.com/
12.	Oxford University Press	http://oxfordjournals.org
13.	Project Muse	http://muse.jhu.edu/journals
14.	Royal Society of Chemistry	www.rsc.org
15.	Springer Link	http://link.springer.com/
16.	Taylor & Francis	http://tandfonline.com/
17.	Wiley-Blackwell	http://onlinelibrary.wiley.com/

इसके अलावा निम्नलिखित डेटाबेस एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा भी पुस्तकालय के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है:

1. J-gate 2. Prowess 3. SPSS 4. Tally

ई-पुस्तकालय का उपयोग इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं शोध-छात्रों के लिए निर्धारित है। 7000 से अधिक जर्नल्स के फूल टेक्स्ट शैक्षिक लेख ऑन लाईन उपलब्ध है। इनके उपयोग के लिए इन्टरनेट सेन्टर से पासवर्ड लेना होता है। केन्द्रीय पुस्तकालय का लाभ सभी पाठक सदस्य तो ले सकते हैं, परन्तु पुस्तकालय से लेने-देने की सुविधा विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, कर्मचारी, शोध-छात्र, एम.फिल एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही प्राप्त है।

केन्द्रीय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का Online Public Access Catalogue उपलब्ध है जिससे पुस्तक के संग्रहण सम्बन्धी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

(ख) शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क संसाधन सुविधा

(Educational and Research Resources Facility)

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET) एवं विकासमान पुस्तकालय नेटवर्क (DELNET) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने की सुविधा, केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह सुविधा प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं स्नातकोत्तर छात्रों को शैक्षणिक सामग्री की खोज एवं अनुसंधान की दृष्टि से सूचनाएँ एकत्रित करने में अत्यधिक सहायक है।

इस सुविधा के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) सामान्य ज्ञानार्जन हेतु (For Obtaining General Knowledge)

आध्यात्मिक, व्यावहारिक एवं सामान्य उपयोग के लिए मस्ट रीड सेक्शन में पुस्तकों उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन पुस्तकालय में ही बैठकर किया जा सकता है।

महाविद्यालय पुस्तकालय (College Libraries)

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त संघटक महाविद्यालय स्तर पर स्वतंत्र रूप से निर्मांकित समृद्ध पुस्तकालय हैं-

1. विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय
2. विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय पुस्तकालय
3. विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पुस्तकालय
4. विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय पुस्तकालय
5. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भू-विज्ञान पुस्तकालय
6. विश्वविद्यालय प्रबन्ध अध्ययन पुस्तकालय

नोट : पुस्तकालय से पुस्तक आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी हेतु विद्यार्थी सम्बन्धित पुस्तकालय से सम्पर्क करें।

विभागीय पुस्तकालय :

विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विभागों में स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों के उपयोग हेतु विभागीय पुस्तकालय है। कला एवं वाणिज्य संकाय में भी कुछ विभागीय पुस्तकालय है। इन विभागीय पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन-देन बाहर ले जाने के लिए नहीं किया जाता है। इनका उपयोग संदर्भ ग्रंथ के रूप में विभागीय स्तर पर होता है।

पुस्तक बैंक :

विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिए, पुस्तक बैंक सुविधा उपलब्ध है। पुस्तक बैंक एवं उसकी नियमावली सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित महाविद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है।





11. छात्रावास (Hostels)

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आवास की व्यवस्था संकाय के अनुसार की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्न छात्रावास संचालित है। उनमें व्यवस्था निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	संबंधित संकाय	आवास क्षमता	वार्डन	दूरभाष
1.	महाराणा भूपाल छात्रावास विश्वविद्यालय खेल परिसर*	सभी संकाय के लिए	66	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान अतिरिक्त कार्ययार	9414281130
2.	रामानुजन छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर*	MBA, MCA, Pharma MTM, MIB, MHRM	40	डॉ. राजू सिंह अतिरिक्त कार्ययार	9413474727
3.	डॉ. डी.एस. कोठारी शोध छात्रावास, विश्वविद्यालय खेल परिसर	शोध छात्रों के लिए	18	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	9462053818
4.	गार्गी कन्या छात्रावास	केवल छात्राओं के लिए विज्ञान महाविद्यालय परिसर	147	डॉ. संगीता अठवाल	8107220524
5.	कमला नेहरू कन्या छात्रावास * सेक्टर-3 हिरणमगरी	केवल छात्राओं के लिए	79	प्रो. निधि राय, वार्डन अतिरिक्त कार्ययार	9928268985
6.	महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या ** छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर	केवल TSP जनजाति छात्राओं के लिए सामान्य छात्राओं के लिए	48 74	प्रो. निधि राय	9928268985
7.	नेहरू शिक्षक सदन छात्रावास * सेक्टर-3, हिरण मगरी	केवल जनजाति छात्रों के लिए	40	डॉ. प्रभात कुमार बारोलिया	9460813854
8.	राणा पुंजा छात्रावास**	केवल TSP जनजाति छात्रों के लिए	92	डॉ. गिरिराज सिंह	9461384777

नोट :

(1) क्र.सं. 1 से 5 तक प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु 16%, 12%, 21% आरक्षण रहेगा।

(2) छात्रावास में प्रवेश एवं विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित वार्डन अथवा चीफ वार्डन कार्यालय में सम्पर्क करें।

* ये सभी छात्रावास मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य होने के कारण अस्थायी तौर पर छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे ही विश्वविद्यालय के संपदा विभाग द्वारा दुरस्त करके विश्वविद्यालय को संपूर्ण कर देगा तो प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

** अगर जनजाति छात्र/छात्राओं को देने के पश्चात् अगर सीट खाली रहेगी तो सामान्य वर्ग से भरी जायेगी।



12. यात्रा रियायतें (Travel Concession)

भारतीय रेल, नागरिक उड्डयन व राज्य पथ परिवहन निगम सेवाओं द्वारा प्रदत्त रियायती किराये की सुविधाएँ विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को इन संस्थाओं के नियमानुसार दी जाएगी। **यात्रा के लिए विद्यार्थी को स्वयं सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही यात्रा रियायत दी जाएगी।** घर की परिभाषा में वह जगह आएगी जहाँ कि विद्यार्थी के माता-पिता स्थायी रूप से रहते हैं। एक शिक्षण सत्र के लिए प्रवेश आवेदन पत्र में दिया गया घर का पता अपरिवर्तनीय रहेगा। राजकीय सेवारत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर छात्र के अभिभावक का पता महाविद्यालय के अधिष्ठाता/निदेशक के स्वनिर्णय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। **किराये में रियायत के लिए विद्यार्थी को प्रस्थान की तिथि से 8 दिन पूर्व महाविद्यालय के अधिष्ठाता को आवेदन करना चाहिए।** रियायत सुविधा का उपयोग निम्न उद्देश्य से यात्रा के लिए भी किया जा सकता है -

1. शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित या मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए।
2. शिक्षाप्रद कार्यक्रमों, शिविरों व संगोष्ठियों में भाग लेने तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए, साक्षात्कार एवं प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।
3. सामुदायिक योजनाओं में सेवा कार्य में भाग लेने हेतु।
4. शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक महत्व के अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलनों एवं अन्य सम्मेलनों में भाग लेने के लिए।

टिप्पणियाँ

- (I) रियायत के आदेश एक बार प्रसारित किए जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी को यात्रा के दौरान अपना परिचय पत्र साथ रखना अति आवश्यक है क्योंकि परिवहन अधिकारी किसी भी समय उसकी जाँच कर सकते हैं।
- (ii) विद्यार्थी को उसके चयन के अनुसार एक समय में एक ही प्रकार के किराये में रियायत की सुविधा दी जाएगी। यह ध्यान में रहे कि परिवहन अधिकारियों को धोखा देने का प्रयास करने तथा गलत सूचना प्रदान करने की दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।
- (iii) लगातार एक महीने अनुपस्थित रहने वाला विद्यार्थी इस यात्रा रियायत सुविधा के योग्य नहीं होगा।



13. छात्रसंघ और इसकी चुनाव प्रक्रिया

विश्वविद्यालय में एक छात्र प्रतिनिधि निकाय छात्रसंघ है। विश्वविद्यालय की संघटक इकाइयों के भी पृथक छात्रसंघ है।

छात्रसंघ के चुनाव संबंधी सामान्य नियम इस प्रकार हैं -

1. नामांकन आवेदन पत्र, छात्रसंघ संविधान की प्रति के साथ ₹ 100 के भुगतान पर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय तथा समस्त संघटक महाविद्यालयों के चुनाव कार्यालय से अधिसूचित तिथि को प्राप्त कर सकेंगे।
2. विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विवेकानन्द भवन में प्रस्तुत करना होगा।
3. महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के चुनाव कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
4. नामांकन, मतदान एवं चुनाव सम्बन्धी प्रत्येक कार्य हेतु विश्वविद्यालय परिचय पत्र (University Identity Card) अनिवार्य है। परिचय पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय से अधिसूचित तिथि तक प्राप्त करने होंगे।
5. विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु मतगणना प्रबन्ध संकाय भवन (FMS) में तथा महाविद्यालय छात्रसंघ हेतु मतगणना सम्बन्धित महाविद्यालय भवन में होगी।
6. मतदाना केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र हेतु नियुक्त एजेन्ट का भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र होना अनिवार्य है तथा इस कार्यावधि में उसके पास विश्वविद्यालय परिचय पत्र (University Identity Card) होना आवश्यक है।
7. चुनाव के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि विश्वविद्यालय का नियमित छात्र नहीं हैं, उसे चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
8. प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ₹ 5000 है।
9. किसी भी उम्मीदवार द्वारा छपे हुए पोस्टर्स (Poster) या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग निषिद्ध है।
10. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग, कॉलेज परिसर में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कर सकेंगे।
11. किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियाँ, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं है।
12. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों एवं जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।
13. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान, लिंगदोह समिति की सिफारिशों, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध संविधान प्रदत्त कार्रवाई की जाएगी।

14. पूर्णकालीन एवं अंशकालीन प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थी छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याक्षी और मतदाता नहीं होंगे।
15. छात्रसंघ चुनाव में अधिसूचित तिथि को विद्यार्थी का पूर्व कक्षा में उत्तीर्ण घोषित होना अनिवार्य है। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों पर भी यह नियम प्रभावी होगा विद्यार्थी प्रयोजन के लिए पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने का आग्रह नहीं करेगा।
16. विश्वविद्यालय और इसकी संघटक इकाइयों के छात्रसंघ से संबंधित विस्तृत नियम और प्रक्रिया अधिष्ठाता, छात्र कल्याण यथासंभव अधिसूचित करेंगे। अधिष्ठाता द्वारा अधिसूचित नियम और प्रक्रिया ही अधिकृत मानी जाएगी।





14. विश्वविद्यालय स्तरीय सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ (University Level Co-curricular Activities)

1. विश्वविद्यालय स्तर की साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियाँ :

विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं आयोजन हेतु अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया है। इस कार्यालय द्वारा निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित होती हैं -

- (I) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालय के “**युवा समारोह**” में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम का चयन करना।
- (ii) स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया की जन्मतिथि के अवसर पर “**मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान**” का विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजन करना। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विचारक, अर्थशास्त्री अथवा राजनयिक को आमंत्रित करना। विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी के साथ ही उदयपुर शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना।
- (iii) विश्वविद्यालय के सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिए “**कैरियर गाइडेन्स व्याख्यान**” का आयोजन करना एवं इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।
- (iv) दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर “**गांधी जयन्ती व्याख्यान**” का आयोजन करना। राष्ट्रीय स्तर के गांधीवादी चिन्तक अथवा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में गांधी विचार के विश्लेषक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ अथवा दार्शनिक को आमंत्रित करना।
- (v) उदयपुर संभाग में कार्यरत आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का “**सिविल सेवा परीक्षा परिसंवाद**” आयोजित करना।
- (vi) विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों से चयनित विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय स्तरीय युवा समारोह “**गवरी**” आयोजित करना एवं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित करना।
- (vii) देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अथवा अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं के निमंत्रणों के आधार पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने योग्य प्रतिभागी का चयन/मनोनयन करना।
- (viii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की “**पूर्व छात्र परिषद**” (एल्यूमनी एसोसिएशन) का विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार सत्रों का आयोजन एवं संचालन करना।
- (ix) छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की पत्रिका “**शिखर**” का सम्पादन, प्रकाशन एवं वितरण करना।
- (x) राज्य सरकार/राजभवन के आदेशानुसार एवं कुलपति के मार्गदर्शानुसार महाविद्यालय एवं केन्द्रीय स्तर पर छात्रसंघ के चुनाव करवाना एवं पदाधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करना।

2. विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र (University Employment & Guidance Bureau)

इस विश्वविद्यालय में छात्रों एवं बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए एक विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं परामर्श केन्द्र, कला महाविद्यालय नया परिसर में कार्यरत है। यह केन्द्र जरूरतमंद आशार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रवेश सूचनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, स्वरोजगार, भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन की सेवाएँ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्र द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक वार्ताओं एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा स्वनियोजन साहित्य का सृजन, रोजगार के भावी अवसरों/प्रवृत्ति से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अध्ययन केन्द्र के अन्य कार्य किए जाते हैं।

3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ (SC/ST Cell)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ गठित है। प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियमानुसार उनके आरक्षित स्थानों में प्रवेश के लिए सहयोग एवं समुचित कार्रवाई की व्यवस्था की जाती है। यदि उन्हें प्रवेश के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो वे लिखित में सम्पूर्ण विवरण सहित अपनी समस्याएँ उचित माध्यम से इस प्रकोष्ठ को अवगत करा सकते हैं।

4. प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार केन्द्र (Centre for Adult Education & Extension)

यह केन्द्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सन् 1980 से कार्यरत है। वर्तमान में यह सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है। देशव्यापी निरक्षरता उन्मूलन हेतु केन्द्र के द्वारा साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की जनसंख्या नीतियों तथा योजनाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने तथा छोटे परिवार के मानक की आवश्यकता का भाव विकसित करने हेतु जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का संचालन भी किया जाता है।

5. जनसंख्या शोध केन्द्र (Population Research Centre)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यह जनसंख्या शोध केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 1981 से संचालित है। इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य हैं -

1. जनसंख्या विज्ञान में विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करना एवं शोधार्थियों को प्रोत्साहन करना।
2. राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यों का मूल्यांकन करना।
3. विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या सम्बन्धी शोध कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना।

अब तक इस केन्द्र ने 121 शोध परियोजनाएँ (प्रोजेक्ट्स) सम्पन्न की हैं एवं इस सम्बन्ध में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।

6. महिला अध्ययन केन्द्र (Centre for Women Studies)

ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। केन्द्र के महिला उत्थान हेतु बहुआयामी उद्देश्य हैं। केन्द्र का उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक सशक्तिकरण करना तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का श्रम करना है। केन्द्र, विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करता है।

इसी दिशा में केन्द्र द्वारा समय-समय पर विस्तार व्याख्यान, वार्ताएँ, संगोष्ठी प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अध्ययन-अध्यापन हेतु "महिला अध्ययन" सामाजिक संकाय के एक विषय के रूप में संस्थापित है। संदर्भ केन्द्र के रूप में महिला से संबंधित विभिन्न पुस्तक-पुस्तिकाओं, शोध पत्रों और सरकारी योजनाओं का संग्रहण एवं संकलन दिशातीत है। केन्द्र आर्थिक स्वावलम्बन को अग्रसर करने हेतु विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है।

7. मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र (Centre for Human Rights Studies)

राजस्थान राज्य में मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र की स्थापना सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय में हुई है। यह केन्द्र विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में मानवाधिकारों की स्थिति, समस्याओं और उनके समुचित समाधानों के सम्बन्ध में शोध/शिक्षण आदि में संलग्न होगा।

8. बौद्ध अध्ययन एवं अहिंसा केन्द्र (Centre for Buddhist Studies and Non-Violence)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय में राजस्थान राज्य में यह प्रथम केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग के आचार्य के निर्देशन में संचालित है। इस केन्द्र द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अहिंसा का, समता, समानता, अस्पृश्यता और वैचारिक उदारता आदि मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रचार-प्रसार किया जाता है। केन्द्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी संचालित है।

9. प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (Competitive Examination Coaching Centre)

यह केन्द्र सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय के परिसर में संचालित है। केन्द्र द्वारा सुयोग्य अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा RAS, ICS, UGC-NET, SLET आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का शिक्षण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान किया जाता है। कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी संकायों के प्रत्याशी इसका लाभ ले सकते हैं। SC, ST, OBC (Non Creamy layer) एवं अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।

10. अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार (International Students Advisor)

विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा अध्ययन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार की नियुक्ति की गई है।

11. परिषद् समितियाँ, संगोष्ठियाँ एवं स्नातकोत्तर अध्ययन समूह (Council, Committees, Conferences & Post Graduate Study Group)

विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को विभिन्न अध्ययन परिषदों के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि विद्यार्थी संकाय स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होकर अपनी प्रतिभा को एक छोटे समूह में विकसित कर सकें। इन शैक्षणिक इकाइयों द्वारा सदस्यों के ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, अध्ययन-समूह आदि का आयोजन किया जाता है। इनके समुचित संचालन हेतु विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता द्वारा प्राध्यापकों को सलाहकार के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। सभी नियमित विद्यार्थी इन शैक्षणिक इकाइयों के सदस्य होंगे। विभिन्न गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्धारित वार्षिक शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

12. विशिष्ट आयोजन (Special Programme)

(क) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रायोजन (Literacy & Cultural Programmes)

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत यथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय, अंतर-विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)

भारत के सपूत दृष्टा एवं सन्त स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस 12 जनवरी को समस्त देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day)

28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही बहुमुखी प्रगति के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

उपर्युक्त गतिविधियाँ विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व की बहुमुखी समृद्धि कर जीवन के लिए पाथेय संचित करते हुए नागरिकता के प्रशिक्षण का सुअवसर प्रदान करती हैं।

13. विश्वविद्यालय योग केन्द्र (University Yog Center)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के सहयोग से विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल परिसर में विश्वविद्यालय के सभी नियमित छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थिति में उपलब्ध है। केन्द्र द्वारा योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी संचालित किया जा रहा है जिसकी प्रवेश क्षमता 30+10 है तथा इसमें 10 पेमेन्ट सीट है। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह का योग प्रशिक्षण में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम का संचालन भी केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

14. नेहरू अध्ययन केन्द्र (Center for Nehru Studies)

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से भारत के महान आधुनिक विचारकों की योजना के अन्तर्गत नेहरू अध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई थी। केन्द्र का उद्देश्य छात्रों को पंडित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बंधित जानकारी प्रदान करना है। इस हेतु केन्द्र के द्वारा दो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

15. विश्वविद्यालय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (University Research & Development Cell)

विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए और पाठ्यक्रम गुणवत्ता हेतु वर्ष 2010 में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ में सभी संकायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। प्रकोष्ठ की यह भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं के साथ सहयोग कर शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

16. समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ का उद्देश्य वंचित समुदायों जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा, रोजगार और व्यक्तित्व विकास से सम्बंधित जानकारी देना है।

17. सॉफ्ट स्किल केन्द्र (Soft Skill Centre)

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2010 में की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अवगत कराना है, साथ ही साथ केन्द्र के द्वारा विद्यार्थियों के लिए भाषायी दक्षता, सम्प्रेषण और व्यक्तित्व-विकास के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

18. आइडिया सेन्टर (IDEA : Centre for Initiative and Development Action)

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. के सहयोग से वर्ष 2010 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में समाज, राजनीति, संस्कृति एवं अन्य पहलुओं से सम्बंधित मुद्दों का शोध एवं अध्ययन करना तथा उनसे सम्बंधित कार्यशालाएँ, व्याख्यान आदि आयोजित करना है।

19. महिला उत्पीड़न विरोधी समिति (Committee for Action against Women Harassement)

कार्यालयों में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न पर कार्रवाई करने हेतु इस समिति की स्थापना की गई है। समिति का कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालय होंगे।



15. UNIVERSITY COMPUTER CENTRE

The main Computer Centre of the University, located in the University Campus, at Vigyan Bhawan is running MCA Programme. The intake capacity of MCA course is 60. Out of these, 30 seats are on self-financing basis. It also conducts training programme for faculties as well as other staff of the university to make them utilise the facilities available in the computer center. The computer center is well equipped with modern computing facilities consisting of UNIX (RISC based Digital Alpha System), Linux (IBM Xeon Server), Windows NT (Compaq Proliant), and Windows 2003 (Wipro Netpower Itanium based servers). It also has a number of PCs (which can work as clients to all the servers as well as can access Internet), multimedia systems, thin clients, Laser, Line Printers, Network Printer, multifunction printer etc. In addition to standard, thin clients, Laser the Center also has softwares like Oracle Database Server, Web Developer suite, Visual Studio, SPSS, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview (Network Software), MSDN academic alliance etc. University also has an Internet Centre with optical fiber cabling as well as wireless networking, 100 Mbps/ 1Gbps switches to provide fast and reliable access across the campus. MCA students use these facilities freely for unlimited hours for e-mail, web surfing, down loading lecture notes/technical articles etc. Laboratory facilities are also available for computer hardware, microprocessor, networking and communication practicals. Main facilities are listed below :

Hardware : RISC based Digital Alpha 500au workstations, Compaq Proliant work-stations, SGI Octane workstation, IBM Xenon Server (Dual Processor), Sun Netra Server, Compaq workstations, Wipro Netpower, Pentium based PC's with different configurations, 512 Kbps VSAT, cable based internet connection.

Software : Operating Systems - Digital Tru65 Unix, Microsoft Windows NT Server/ Workstation, Windows 2003 Server, Sun Solaris, Novell Netware, Redhat Linux, Microsoft Window Vista/XP/2000/98 MS-DOS, Database Systems : Oracle Web Developer Suite, Sun Java Workshop, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio, WSAD Eclipse. Compilers : C, C++, Cobol, Pascal, Fortran 90, Application Packages : MS Office 2007, SPSS, Adobe Photoshop, Chem Office, Mathematica, Matlab, Rational Rose, Dview etc.

The University Computer Center also offers research programme. Presently, active research programmes going on at University Computer Center are image and analysis, embedded system and computer security. The University Computer Center also organises training programme on IBM Products for its MCA Students. University Computer Center has its own Software Development Center to develop Software for the University and MCA Students are normally encouraged to participate in the programme.



16. UNIVERSITY INTERNET CENTRE

The University has a campus network of computers known as Sukhadia University Network (SUNET) connecting all University Departments, constituent colleges, various units and centres, hostels etc. situated in both the campuses of the university. The University Internet Centre located in the Vigyan Bhavan Block-A is responsible for operation and maintenance of the University network. The campus network is a 1000/100Mbps network with about 600 computers using Optical Fiber Cable back bone connectivity to all main buildings and Wireless connectivity between the campuses. The University has also installed Wi-Fi network connectivities in almost all the main buildings. The campus network of the University is fully protected and secured using “Cyberroam” (firewalls and Intruder detection system). The network is also protected from external computer viruses using on-line subscription to latest network antivirus software. Following facilities are available to the students and staff of the University.

Internet Access

The university has a 1Gbps leased line Internet connectivity at the University Internet Centre with BSNL India under UGC Infonet programme. Internet access is available to all the regular students, research students and faculty members for academic purposes through the campus network from computers installed in the departments, libraries, colleges, offices and hostels.

The undergraduate, post graduate and research students can access Internet for educational and research purpose from following locations :

1. e-library, University Central Library
2. e-library, College of Science
3. e-library, College of Commerce and Management Studies
4. e-library, College of Social Sc. & Humanities

Internet access facilities are also available at college of Law, Vigyan Bhawan Block-A and B, Pharmacy building and hostels for the students.

Internet facilities available in the department can also be used by the post graduate and research students.

E-Journal Access

Access to about 5000 electronic research journals and 3 databases under UGC Infonet programme are available from the computers installed in the campus. The computers installed in all the faculty rooms and research laboratories, e-libraries are provided with unlimited access to e-journals. Free training to access e-journals and to search Internet for research materials are provided by the Internet centre and University Central Library. Interested research students can register their names by sending e-mail to suic@mlsu.ac.in with subject: Training.

University Website

The University official web site www.mlsu.ac.in provides information about the University. Admission notices, University examination time table, examination results and important announcements are available on the University web site. For information related to web site updating and publication of new information Internet centre may be contacted on 0294- 2471310 or e-mail to suic@mlsu.ac.in

Intranet Facilities

1. **University Information system** : Student and staff databases, details of the courses, syllabus, Performa and formats for various purposes. are available on the University intranet.
2. **Educational Resources**: Tutorials, Power point presentations, digital herbarium, articles etc.
3. **Student feedback System**: Students can submit their feed back about courses, classes, teachers etc. using the feed back management system. Students are free to express their views using the system without identifying their name.
4. **Student Grievance Submission System**: Students can submit their grievances related to harassments/difficulties faced in courses and examinations.

5. **Departmental Information System:** A departmental Information System to collect and view department level data related to teaching and Research

To access University intranet facilities log on to campus network and access web page: <http://172.16.0.10>

Important Note

User Id and password to access University network can be obtained from Internet Centre by filling up an application form freely available from all libraries and department offices. The application form can be downloaded from University intranet. All students and staff of the University are hereby informed that use of Internet and Intranet from the University campus is allowed only for academic purpose and access of Information is governed under IT act of the country. Un-authorized access of information, use of ID and password of other users to gain access to campus network are criminal offenses and punishable.

All students and staff are hereby notified that access of information from Internet and intranet are recorded automatically by the Access server and Cyber Roam system and information is regularly monitored. Strict action including reporting to University and civil authorities and filing of cases will be taken against those who violate the IT act of the country.

For details facilities, training programs, software developments etc contact Prof. Shri Sanjeev Agarwal, Co-ordinator, Internet Centre, Vigyan Bhawan, Mohanlal Sukhadia University, Tel No. 0294-2471310.

Important e-mail Addresses of the University

User's Name	Email Address
Vice Chancellor	vcmlsu@mlsu.ac.in
Registrar	registrar@mlsu.ac.in
Comptroller	compt@mlsu.ac.in
Dean, College of Science	ucs@mlsu.ac.in
Dean, College of Commerce & Mgt. Studies	uccms@mlsu.ac.in
Dean, College of Law	uclaw@mlsu.ac.in
Dean, College of Social Sciences & Humanities	ucssh@mlsu.ac.in
Dean, PG Studies	dps@mlsu.ac.in
Dean, Students Welfare	dsw@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Science	chscience@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Commerce	chcommerce@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Education	cheducation@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Management Studies	chmanagement@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Law	chlaw@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Humanities	chhumanities@mlsu.ac.in
Chairman, Faculty of Social Sciences	chsocscience@mlsu.ac.in
Chairman, Sports Board	chsportsboard@mlsu.ac.in
Co-ordinator, NSS	conss@mlsu.ac.in
Chief Warden	chiefwarden@mlsu.ac.in
University Engineer	uniengineer@mlsu.ac.in
International Students Advisor	isa@mlsu.ac.in
Controller of Exam	coe@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (Exam)	drexam@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (GAD)	drgeneral@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (Affiliation)	draffiliation@mlsu.ac.in

Deputy Registrar	dyregistrar_gad@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (Meeting)	drmeeting@mlsu.ac.in
Deputy Registrar (Recruitment)	drrecruitment@mlsu.ac.in
Deputy Registrar SO, Establishment, UAO	drsoestt@mlsu.ac.in
Deputy Registrar RTI, UAO	drrti@mlsu.ac.in
Assistant Registrar (degree)	degreemlsu@mlsu.ac.in
Director, Faculty of Management Studies	fms@mlsu.ac.in
Director, University Computer Centre	ucc@mlsu.ac.in
Head, Department of Physics	physics@mlsu.ac.in
Head, Department of Botany	botany@mlsu.ac.in
Head, Department of Chemistry	chemistry@mlsu.ac.in
Head, Department of Zoology	zoology@mlsu.ac.in
Head, Department of Geology	geology@mlsu.ac.in
Head, Department of Maths & Statistics	mathstat@mlsu.ac.in
Head, Department of Environmental Science	envsc@mlsu.ac.in
Head, Department of Pharmacy	pharmacy@mlsu.ac.in
Head, Accountancy & Business Statistics	abst@mlsu.ac.in
Head, Banking and Business Economics	bbe@mlsu.ac.in
Head, Business Administration	busadm@mlsu.ac.in
Head, Department of Biotechnology	biotech@mlsu.ac.in
Head, Department of English	english@mlsu.ac.in
Head, Department of Hindi	hindi@mlsu.ac.in
Head, Department of History	history@mlsu.ac.in
Head, Department of Music	music@mlsu.ac.in
Head, Department of Philosophy	philosophy@mlsu.ac.in
Head, Department of Jainology & Prakrit	jprakrit@mlsu.ac.in
Head, Department of Rajasthani	rajasthani@mlsu.ac.in
Head, Department of Sanskrit	sanskrit@mlsu.ac.in
Head, Department of Urdu	urdu@mlsu.ac.in
Head, Department of Visual Arts	varts@mlsu.ac.in
Head, Department of Economics	economics@mlsu.ac.in
Head, Department of Geography	geography@mlsu.ac.in
Head, Department of Library Science	libsc@mlsu.ac.in
Head, Department of Political Science	polsc@mlsu.ac.in
Head, Department of Psychology	psychology@mlsu.ac.in
Head, Department of Public Administration	pubadm@mlsu.ac.in
Head, Department of Sociology	sociology@mlsu.ac.in
Course Director, MIB	mib@mlsu.ac.in
Course Director, MHRM	mhrm@mlsu.ac.in
Course Director, IT&CS	itcs@mlsu.ac.in
Course Director, MFC	mfc@mlsu.ac.in
Course Director, Microbiology	mbiology@mlsu.ac.in
Course Director, Industrial Chemistry	indchemistry@mlsu.ac.in
Incharge, Polymer Science	polymer@mlsu.ac.in
Incharge, Computer Science	compsc@mlsu.ac.in
Incharge, Department of Journalism	journalism@mlsu.ac.in
Incharge, Hotel Management	mtm@mlsu.ac.in
Course Director, Biotechnology	biotech@mlsu.ac.in
University Central Library	ucl@mlsu.ac.in



17. राष्ट्रीय सेवाएँ (National Services)

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवाओं के अन्तर्गत निम्न चार विकल्प उपलब्ध हैं -

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| (क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) | (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) |
| (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) | (घ) रोवरिंग (Rovering) |

विद्यार्थी इन चारों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। इन चारों राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रभारी हैं, जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(क) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन (N.S.O.) : इसके अन्तर्गत निम्नलिखित खेल वर्ग हैं -

- | | | | |
|------------|---------------|-------------|---------|
| 1. क्रिकेट | 2. फुटबॉल | 3. दौड़-कूद | 4. हॉकी |
| 5. वॉलीबाल | 6. बास्केटबॉल | 7. हैण्डबॉल | |

इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इन सात वर्गों में से एक को चुनना होगा। अपनी रुचि के खेल की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही इस संगठन में नामांकन होगा। इसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.) : इसमें सैनिक प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिविर, पर्वतारोहण के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में अनुशासन एवं सेवा की भावना के साथ-साथ शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में से एक शाखा को चुना जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती होने वाले छात्र के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वास्थ्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर की इच्छित शाखा में प्रवेश के आवेदकों में से चयन किया जाएगा। चयन तिथि एवं समय की सूचना कैडेट कोर अधिकारियों द्वारा यथासमय घोषित की जाएगी। जो छात्र एन.सी.सी. की इच्छित शाखा में चयनित नहीं होते हैं उन्हें अन्य निर्दिष्ट शाखा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा।

उपस्थिति (Attendance)

एन.सी.सी. कैडेटों के लिए 75 प्रतिशत परेडों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निर्दिष्ट शिविरों में भी उन्हें भाग लेना होगा। यूनिट द्वारा निर्धारित तिथि पर गणवेश एवं अन्य सामान दिया व लिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना गणवेश एवं सामान लौटाए सत्र के मध्य में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसका नाम आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस को प्रेषित कर दिया जाएगा।

शाखाओं (Wings) में अन्तर-परिवर्तन की अनुमति नहीं है। एन.सी.सी. के तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण कुछ चयनित छात्रों को ही दिया जाएगा।

प्रमाण पत्र परीक्षाएँ (Certificate Examinations)

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में वे प्रशिक्षणार्थी 'बी' प्रमाण पत्र के पात्र होंगे जिन्होंने एक शिविर में भाग लिया हो तथा प्रत्येक सत्र में जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो।

प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के अन्त में 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए वे ही कैडेट पात्र होंगे जिन्होंने 'बी' प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया हो, दो शिविरों में भाग लिया हो तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की हो।

एन.सी.सी. के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में कमीशन

सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिए आवेदन-पत्र, कैडेट अपने एन.सी.सी. यूनिट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर जिस सेवा के लिए उन्होंने आवेदन किया है उसकी चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। कमीशन के प्रत्याशियों की योग्यता का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -

थल सेना

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (थल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

जल सेना

1. भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय का स्नातक अथवा अभियांत्रिक उपाधि धारक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (जल सेना) का प्रमाण पत्र धारक

वायु सेना (सामान्य सेवाएँ)

1. वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक
2. 19 से 22 वर्ष की आयु
3. एन.सी.सी. का 'सी' परीक्षा (वायु शाखा) छोड़ने के एक वर्ष भीतर प्रस्तुत हो।

निस्सारण (Discharge)

छात्रों को एन.सी.सी. छोड़ने के एक वर्ष के भीतर अपने युनिट कमाण्डर से निस्सारण प्रमाण-पत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने एन.सी.सी. अफसर के माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) : इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय के युवा वर्ग की शक्ति को राष्ट्रीय सेवा प्रयोजनाओं में लगाना है। सामान्यतया इसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों का विकास करना एवं श्रम की गरिमा का पोषण करना है। कल्याणकारी गतिविधियों के तीन क्षेत्रों, यथा ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत की उन्नति के लिए यह योजना सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देती है।

इसके अतिरिक्त एन.एस.एस. द्वारा ग्रामीण विकास के लिए एक वर्ष में दो अनिवार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों में भी भेजे जाते हैं। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 65 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी।

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में एन.एस.एस. की इकाइयाँ इस प्रकार हैं:-

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय सा. वि. एवं मा. महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध महाविद्यालय	2 इकाइयाँ
विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय	1 इकाई
प्रबन्ध अध्ययन संकाय	1 इकाई

प्रबन्ध अध्ययन संकाय को छोड़कर प्रत्येक इकाई 100 विद्यार्थियों पर गठित की जाती है।

(घ) रोवरिंग (Rovering) : विश्वविद्यालय स्तर पर स्काउटिंग की गतिविधियों का संचालन रोवर्स के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक छात्र, जिसने विद्यालय स्तर पर स्काउटिंग का अपेक्षित अनुभव ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर के रूप में पंजीकृत हो सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोवर कार्यक्रमों में योग्यतानुसार भाग ले सकता है। निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं -

1. साक्षरता अभियान, सामाजिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा
2. औषधालय सेवा
3. गन्दी बस्तियों की सफाई
4. ग्रामीण विकास
5. जरूरतमंदों की सहायता
6. राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम
7. परिसर विकास
8. प्रकल्प निदेशकों द्वारा निर्धारित अन्य कार्य।



18. खेल-कूद (Games & Sports)

अध्यक्ष - प्रो. सी. आर. सुथार
प्रभारी - डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान

विश्वविद्यालय में खेलों के विकास हेतु एक क्रीड़ा मण्डल की स्थापना की गई है जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल रखा गया है। क्रीड़ा मण्डल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है।

विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है। विश्वविद्यालय की टीमों अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती है। विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को गणवेश (Uniform) के लिए निशुल्क एक ट्रेकसूट विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा तथा आर्थिक सहयोग (Subsidy) ₹1100/- प्रति किट दिया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के लक्ष्य और उद्देश्य शारीरिक शिक्षा व खेलों के द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल प्रतिवर्ष अन्तर महाविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिताएँ अन्तर महाविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रदत्त नियमों तथा निर्देशों के आधार पर आयोजित करता है। अन्तर विश्वविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल अपना दल भेजता है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर इन प्रतियोगिताओं में कई बार विजय व उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। बास्केटबॉल, टेबल-टेनिस, बेडमिण्टन, खो-खो, जिमनास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, हैण्डबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक, पॉवरलिफ्टिंग, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कुश्ती, तैराकी, बॉक्सिंग, जूडो, तीरंदाजी, सॉफ्टबॉल, शूटिंग, वॉलीबाल, ताइक्वाडो, स्केवश कयाकिंग-केनोडुंग एवं योगासन आदि खेल-कूदों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी क्रीड़ा मण्डल द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल योग केन्द्र के तत्वावधान में योग शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्षीय पूर्णकालीन) पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रवेश क्षमता 40 है।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल के तत्वावधान में शारीरिक शिक्षा M.P.Ed में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसमें छात्रावास सुविधा के साथ प्रवेश क्षमता 50 सीट हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से क्रीड़ा मण्डल द्वारा साहसिक खेल (Adventure Sports) वाटर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग आदि खेलों के आयोजन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यानचन्द जन्म दिवस) के अवसर पर अन्तर्महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ अन्तर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं तथा अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों तथा टीम अधिकारियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा सम्मानित किया जाता है।



19. शैक्षणिक सत्र 2017-2018

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

क्र.स.	विभिन्न प्रवृत्तियाँ	निर्धारित दिनांक
1.	शैक्षणिक सत्र का शुभारम्भ	1 जुलाई, 2017
2.	अध्यापन आरम्भ	1 जुलाई, 2017
3.	डॉ. डी.एस. कोठारी जयन्ती	06 जुलाई, 2017
4.	मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान	31 जुलाई, 2017
5.	सभी कक्षाओं में स्थानों की रिक्तता आदि के आधार पर प्रवेश की अंतिम तिथि	05 अगस्त, 2017
6.	छात्रसंघ चुनाव	राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार
7.	केरियर गाइडेन्स प्रोग्राम	15 अगस्त से 5 सितम्बर, 2017
8.	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय की घोषणा के अनुसार
9.	रक्तदान शिविरों का आयोजक	25 सितम्बर, 2017, पं. दीनदयाल जयंती
10.	रक्तदान शिविरों का आयोजक	23 जनवरी, 2018, सुभाष जयंती
11.	गांधी जयन्ती व्याख्यान	02 अक्टूबर, 2017
12.	दशहरा अवकाश	28 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2017
13.	दीपावली अवकाश	13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2017
14.	दीक्षांत समारोह	21/22 दिसम्बर, 2017
15.	शीतकालीन अवकाश	25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2017
16.	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती	12 जनवरी, 2018
17.	सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ	31 जनवरी, 2018 तक
18.	सह-छात्रसंघ शैक्षणिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम (केन्द्रीय एवं संघटक महाविद्यालय छात्रसंघ)	31 सितम्बर से 15 दिसम्बर, 2017 तक
19.	छात्रसंघ सांस्कृतिक कार्यक्रम	15 दिसम्बर, 2017
20.	शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक भ्रमण	31 जनवरी, 2018
21.	राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर रोवर स्काउट गार्ड के शिविरों का आयोजन	31 जनवरी, 2018 तक
22.	महाराणा भूपाल जयन्ती	22 फरवरी, 2018
23.	अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2018
24.	सत्र का अन्तिम कार्य दिवस	30 अप्रैल, 2018
25.	ग्रीष्म कालीन अवकाश	1 मई, 2018 से 30 जून, 2018
26.	महाराणा प्रताप जयन्ती	7 जून, 2018
27.	नवीन सत्रारम्भ	01 जुलाई, 2018

टिप्पणियाँ

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।
2. स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में दिनांक 1.7.2017 तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थायी प्रवेश दे दिया जाएगा तथा दिनांक 1.7.2017 से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जाएगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जाएगी।
3. सेमेस्टर : प्रारम्भ 15 जुलाई एवं 01 जनवरी



20. महत्वपूर्ण दूरभाष (Important Telephone No.)

			कार्यालय
1.	कुलपति	प्रो. जे. पी. शर्मा	2470597
2.	कुलसचिव	श्री हिम्मत सिंह भाटी	2470166
3.	वित्त नियंत्रक	श्री गिरीश कच्छारा	2470621
4.	परीक्षा नियंत्रक	डॉ. आर.सी. कुमावत	2471372
5.	उप-कुलसचिव (परीक्षा)	श्री हरकेश मीणा	2470749
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	डॉ. जी.एल. वसीटा	2470863
7.	विश्वविद्यालय अभियन्ता	श्री ए. एस. खान	2471900
8.	सहायक कुलसचिव	श्री मुकेश बारबर	2470707
1.	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन	प्रो. सीमा मलिक	2471794
2.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	प्रो. मदन सिंह राठौड़	2413120
3.	संकायाध्यक्ष, एवं अधिष्ठाता विज्ञान महाविद्यालय	प्रो. बी. एल. आहुजा	2413955
4.	संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय	प्रो. जी सोरल	2411408
5.	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय	प्रो. साधना कोठारी	2470143
6.	अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय एवं संकायाध्यक्ष	प्रो. आनन्द पालीवाल	2470958
7.	संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान	प्रो. मोनिका नागौरी	2470143
8.	संकायाध्यक्ष, मानविकी	प्रो. सीमा मलिक	2470143
9.	संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन संकाय	प्रो. अनिल कोठारी	2470208
10.	संकायाध्यक्ष, पृथ्वी विज्ञान	प्रो. हर्ष भू	2413955

11.	संकायाध्यक्ष, शिक्षा	प्रो. साधना कोठारी	2470143
12.	ऑफिसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रो. हनुमान प्रसाद	2471370
13.	ऑफिसर इंचार्ज वि.वि. अतिथि गृह	प्रो. अशोक सिंह	
14.	निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर	प्रो. बी. एम. व्यास	2471370
15.	मुख्य वार्डन, छात्रावास	प्रो. अनिल कोठारी	2470208
16.	अध्यक्ष, क्रीड़ा मंडल	प्रो. सी. आर. सुथार	2417308
17.	निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद्	प्रो. एम. एल. नागौरी	2413955
18.	निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र	प्रो. दिग्विजय भटनागर	2470143
19.	निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	प्रो. पी. एम. यादव	2470117
20.	विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग	प्रो. हर्ष भू	2413955
21.	विभागाध्यक्ष, फॉर्मैसी विभाग	प्रो. ललित सिंह चौहान	2470192
22.	समन्वयक, अनु. जाति व जनजाति प्रकोष्ठ	प्रो. हनुमान प्रसाद	2471949
23.	समन्वयक, प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	प्रो. प्रदीप त्रिखा	2470143
24.	समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्रो. सी. आर. सुथार	2470143
25.	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय	डॉ. रामकेश मीना	2470602
26.	प्रभारी, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल एवं समन्वयक योग केन्द्र	डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान	2417308
27.	अन्तर्राष्ट्रीय, विद्यार्थी परामर्शदाता	प्रो. संजय लोढ़ा	2470143
28.	पूछताछ - परीक्षा		2470749
29.	प्रशासनिक कार्यालय (ई.पी.ए.बी. एक्स)		2471035 2470918 2470509

**EPABX TELEPHONE FACILITY
NEW CAMPUS TELEPHONE NUMBER LIST**

EPABX LINE : 2471035, 2470918, 2471969

EPABX WILL BE OPERATED ONLY DURING OFFICER HOURS

I	University Adm Block	No.		Education Faculty(Exam)	3134
A	V-C Secretariat			Result Incharge	3285
	Vice-Chancellor	3100, 3102	F	Library	
	Retiring Room	3101		Dy. Librarian	3180
	PS to vice- Chancellor	3102		PS to Librarian	3184
	Meeting Hall	3103		Computer Room(Librarian)	3185
B	P.G Studies			Periodical	3186
	Dean, P.G Studies	3110		Book Issue Counter	3189
C	Registrar Office		G	MISCELLANEOUS	
	Registrar	3140		Pool Officer	3121
	PS to Registrar	3120		EPABX Operator	3299
	Asstt. Registrar(GAD)	3111		NTSA Officer(Central)	3191
	Asstt. Registrar(Estt.)	3126		NTSA Officer(Admin)	3192
	General Section	3124		Sahayak Karmachary Union	3195
	Meeting Section	3127	H	ESTATE OFFICE	
	Recruitment Section	3128		Univ Engineer	3390
	Computer Room	3122		Estate Office	3393
	SC/ST Cell	3126/3300	II	LAW COLLEGE	
D	Comptroller Office			Dean 3400	
	Comptroller	3141		PS To Dean	3400
	PS to Comptroller	3150		Head. Law Deptt	3410
	Dy. Comptroller	3151		Asstt. Registrar	3402
	Account Officer(Tender)	3175		Section Officer	3403
	Sr. Account Officer	3171		Library	3404
	Internal Audit	3152		A.D.S.W	3408
	Section Officer(Planning)	3153	III	UNIV COLLEGE OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES	
	Section Officer(PF)	3165	A	Office	
	Section Officer(Bill)	3166		Dean	3200
	Section Officer(Comp.)	3168		PS to Dean	3200
	Section Officer(Cash)	3178		Chairman(Social Science)	3272
	Cheque Section	3169		Chairman(Humanities)	3240
	Pension Cell	3173		Assoc. Dean	3365
	IQAC Cell	3123		Asstt. Registrar	3306
	Store 3177			Section Officer	3203
E	Examination			Exam. Control Romm	3374
	Controller of Examination	3144		Store 3305	
	Science & Comm. Faculty	3131		Student Sec.	3205
	Asstt. Registrar(Degree)	3137	B	Departments	
	Dy. Registrar(Exam)	3133		Head. Visual Arts	3370
	Accounts(Exam.)	3135		Head, Economics	3375
	Section Officer (Exam)	3136		Head, English	3220, 3237
	Asstt. Registrar(Secy.)	3143		Language Lab. English	3225
	Section Officer(Secy.)	3145		Head. Geography	3308
	UG/PG Arts Faculty(Secy.)	3146		Head. Hindi	3202
	Examination Store	3138		Head. History	3373
	Section Officer(Exam)	3132			

Head. Library Science	3260	Proctor	3260
Head. Music	3270	Warden(Shikshak Sadan)	3291
Head, Philosophy	3280	D. Population Research Centre	
Head. Political Science	3290	Director	3450
Head. Jainology & Prakrit	3310	P.R.C office	3453
Head, Psychology	3320	E. Competitive Examination Centre	
Head, Sanskrit	3342	Prof. Pradeep Trikha	3154
Head, Sociology	3372	Dr. I.M. Kayamkhani	3201
Head, Urdu	3106	F. Human Right Center	3301
Head, Pub. Admin	3198	G Diploma Journalism	3255
C. Miscellaneous		H. Vigyan Bhawan Campus	3281, 3282
Library	3204	Internet	3283
A.D.S.W		I. SC/ST Cell	
Physical Education	3380	Prof. Hanuman Prasad	3300/3253
Director, Women Studies	3385	J. Computer Application Center	
Adult Education	3386	Prof. I. M. Kayamkhani	3201/3271
Information Bureau	3398		

M.B. CAMPUS TELEPHONE NUMBER LIST

EPABX LINE : 2413955, 2412009, 2414366

IV University College of Science		Dr. Sudhish Kumar	2245
A. Office		Internet Center	2249
Dean	2200	Store	2155
PS to Dean	2200	F. Department of Zoology	
Astt. Registrar	2202	Head	2280
Office	2203, 2288	Office	2253
Library	2204	G. Department of Geology	
Examination Room	2206	Office	2413
B. Department of Botany		Library	2414
Head	2210	H. General Facilities	
Office	2213	NTSA	2209
Dr. K. Sharma	2214	Estate Office	2281
Dr. Sandhya Tyagi	2216	Games	2287
Dr. Jaya Arora	2217	Employment Office	2227
Dr. Harish	2211	Workshop	2111
C. Department of Chemistry		Office Computer Center	2273
Head	2220	Girls Hostel Warden	2113, 2110
Office	2223	V University college of Commerce & Management Studies	
Dr. Anita Mehta	2174	A. College Office	
Polymer Science	2229	Dean	2301
D. Department of Mathematics & Statistics		PS to Dean	2302
Head	2230	Section Officer	2303
Office	2233	Library (Astt. Lib)	2304, 2345
Dr. G.S. Rathore	2236	Office	2306
Dr. Atul Tyagi	2237	Cash section	2307
Dr. Rakeshwar Purohit	2235	Store	2308
Dr. S.K. Gandhi	2239	Examination Control Room	2309
E. Department of Physics		B. Department of Accountancy and Statistics	
Office	2243	Head	2321
Prof. B.L.Ahuja	2290	Office	2322
Prof. N. Laxmi	2129	Prof. G.Soral	2323
Prof. M. Roy	2101		

Prof. C.M. Jain	2326	E. Self-Finance Course	
Computer Lab	2305	BBA	2318
C. Department of Business Adm.		VI Guest House Office	
Head	2311	Manager	2175
Office	2312	Office	2178
Prof. Vijay Shrimali	2315	VII Girls Hostel	
Prof. Rajeshwari Narendran	2317	Warden	2110
Prof. Manju Baghmar	2319	Hostel Office	2113
Prof. B.L. Verma	2320	VIII Dean Student's Welfare	
D. Department of Banking & Business Economics		DSW Office	2285
Head	2331		
Office	2332		
Prof. Renu Jatana	2334		
Prof. P.K. Singh	2335		
Prof. Mukesh Mathur	2336		
Prof. Ashok Nagar	2337		





21. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय

BANSWARA

S.No.	CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
1	2	GOVIND GURU GOVT COLLEGE BANSWARA	GOVT	9414620141	govtcollegebsw@gmail.com
2	3	HARIDEV JOSHI GOVT. GIRLS COLLEGE, BANSWARA	GOVT	9413945736	hdjgirlscollege@yahoo.com
3	4	B.V.M. T.T. COLLEGE, BANSWARA	B.ED.	9983890471	bvmttc@yahoo.com
4	5	DR.N.S LAW COLLEGE BANSWARA	PRIVATE	9887214600	dnslawcollege@yahoo.in
5	15	M.B.D. GOVT. COLLEGE, KUSHALGARH, BANSWARA.	GOVT	9680397006	mbdcollege21@yahoo.in
6	78	P.S.P. P.G. COLLEGE, PARTAPUR	PRIVATE	9672975736	pspcollege@gmail.com
7	96	VIVEKANAND COLLEGE, GHATOL, BANSWARA	PRIVATE	9983430775	college.vivekanandghatol@rediffmail.com
8	99	SARVEPALJI DR. RADHAKRISHNAN COLLEGE, BAGIDORA, BANSWARA	PRIVATE	9610995828	sdrkcollege@gmail.com
9	102	VAGAD COLLEGE DAVELA-KOTADA, BANSWARA	PRIVATE	9587700556	vagadcollegekotda@yahoo.com
10	113	ARAVALI MAHAVIDHYALAY BANSWARA	PRIVATE	9413306661	aravaliabhi@gmail.com
11	119	MAHATMA GANDHI B.ED. COLLEGE, BANSWARA	B.ED.	9414290631	mgtt@rediffmail.com, prateekjain.pharma@gmail.com
12	133	TEJSWANI GIRLS COLLEGE, PARTAPUR, BANSWARA	PRIVATE	9571307102	tejaswinigirlscollege2007@gmail.com
13	140	NEW LOOK GIRLS' P.G. COLLEGE BANSWARA	PRIVATE	9461575472	newlookgirlscollege@yahoo.com
14	154	SHREE MAHAVEER B.E.D COLLEGE, BANSWARA	B.ED.	9414161134	vanitatrivedi07@gmail.com
15	155	MAHARANA PRATAP COLLEGE PALODA	PRIVATE	7023407002	maharanapratapcollege2007@gmail.com
16	156	VIVEKANAND COLLEGE ANJANA	PRIVATE	9571861233	vivekanandcollege2007@gmail.com
17	164	WAGARSHREE COLLEGE, BANSWARA	PRIVATE	9414709015	wagarshreecollege@yahoo.in
18	188	B.V.B. T.T. COLLEGE, BANSWARA	B.ED.	9413295838	bvbtbanswara@gmail.com
19	209	SHREE YOGESHWAR COLLEGE SAJJANGARH	PRIVATE	9828645434	shreeyogeshwareducate@gmail.com
20	211	GLOBAL INST.OF EDU.& RES BARODIYA	PRIVATE	9784420001	globalcollege211@yahoo.com
21	213	UTKARSH COLLEGE SAJJANGARH	PRIVATE	9414741526	uces123@gmail.com
22	217	SARVODAYA MAHAVIDYALAYA NAYA PADARIYA KALINJARA	PRIVATE	9001002725	sarvodaycollege@gmail.com
23	220	ADARSH COLLEGE, ANANDPURI, BANSWARA	PRIVATE	8107359200	adarshcollege2010@gmail.com
24	221	MAHARSHI VALMEEKI COLLEGE JOULANA	PRIVATE	9983260405	Mvcejoulana2009@gmail.com, mah.val2009@gmail.com
25	222	MAHI KALA MAHAVIDHYALAYA, CHOTI SARWAN, BANSWARA	PRIVATE	8875313420	mkmsarwan@yahoo.com
26	228	LEO COLLEGE, BANSWARA	PRIVATE	9414015344	leocollegebsw@gmail.com
27	230	SARVODAY MAHILA COLLEGE BAGIDORA	PRIVATE	9414104044	sarvodaygirlscollege@gmail.com
28	232	VEER EAKLAVYA COLLEGE, JOULANA	PRIVATE	8432707223	veer.aklavya232@rediffmail.com
29	233	L.B.S. COLLEGE, GANORA, BANSWARA	PRIVATE	9829468871	lbscollegeganora@gmail.com

S.No. CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
30	234 SARASWATI COLLEGE UDA JI KAGADA BANSWARA	PRIVATE	9828645635	saraswatigirlscollege@gmail.com, saredibadisarswati@gmail.com
31	235 SHREE NATH COLLEGE KUM JI KA PARDA	PRIVATE	9928168242	Shreenathcollegekkp@gmail.com
32	238 JAMBU KHAND MAHAVIDHYALAYA KALINJARA	PRIVATE	7297048750	jambukhandcollege@gmail.com
33	239 R N T COLLEGE ARTHUNA BANSWARA	PRIVATE	9783370900	rntcollege2012@gmail.com
34	242 ADARSH COLLEGE, GHATOL, BANSWARA	PRIVATE	9166784951	adarshcollegeghatol@gmail.com
35	243 MAA BHARTI COLLEGE, KUSHALGARH	PRIVATE	9461227634	mbcollege.kushalgarh@gmail.com
36	244 MAHATMA GANDHI COLLEGE, BANSWARA	PRIVATE	9414290631	mgacademic2014@gmail.com, prateekjain.pharma@gmail.com
37	245 MAA SHARDE COLLEGE, GANGRATALAI BANSWARA	PRIVATE	9414102210	mscollege2012@gmail.com
38	262 SHRI VIPUL COLLEGE, DUNGARA BADA, BANSWARA	PRIVATE	7733951515	262sve@gmail.com
39	264 MANSI MAHILA MAHAVIDYALAY, ANANDPURI, BANSWARA	PRIVATE	9660726345	mansigirlscollegea@gmail.com
40	268 SARASWATI COLLEGE, SAREDI BADI, BANSWARA	PRIVATE	7689030878	saredibadisaraswaticollege@gmail.com
41	274 SHIVANKARI COLLEGE KASARWADI SAJJANGARH	PRIVATE	9587700556	shivankaricollge@gmail.com
42	281 NEW LOOKS GIRLS COLLEGE ,PARTAPUR	PRIVATE	7665933176	newlookgirlscollge@yahoo.com
43	282 BAI SHABRI MAHILA MAHAVIDHYALAY ,CHANDARWARA, BANSWARA	PRIVATE	9602158130	baishabri@gmail.com
44	284 SUBASH CHANDRA BOSE COLLEGE, AMBAPURA, BANSWARA	PRIVATE	9983927928	rahul.dindor5@gmail.com
45	289 SHREE SHYAM B.V.COLLEGE ANANDPURI	PRIVATE	8107818224	gmcollegeghatol@gmail.com
46	295 GYAANMOORTI MAHAVIDHYALAY, GHATOL, BANSWARA	PRIVATE	9929333355	
47	303 SUKHAJ COLLEGE, SUNDRAV, ANANDPURI, BANSWARA	PRIVATE	9549216309	

CHITTORGARH

48	6 M.P.GOV.T. P.G. COLLEGE,CHITTORGARH	GOVT	9413641772	mppg_College@yahoo.co.in, acadmppg1962@gmail.com
49	7 GOVT. GIRLS COLLEGE, CHITTORGARH	GOVT	9413730253	girlscollegecor@gmail.com
50	16 SHRI SANWALIYAJI GOVT. COLLEGE, MANDPHIYA	GOVT	9414464010	ssgcm1997@gmail.com
51	20 DR.BHIMRAO AMBEDKER GOVT. P.G. COLLEGE,NIMBAHERA	GOVT	9414374345	college.nimbahera@gmail.com
52	54 R.N.T. P.G. COLLEGE KAPASAN	PRIVATE	9828058477	rntkapsan1@gmail.com
53	55 MAHARANA PRATAP COLLEGE, RAWATBHATA	PRIVATE	9414377185	maharanapratapcollge@gmail.com
54	56 S.R.K COLLEGE BEGUN	PRIVATE	9414342622	srkc.begun@gmail.com
55	61 R.N.T LAW COLLEGE CHITTORGARH	PRIVATE	9418485466	rntlawchittorgarh@gmail.com
56	70 S.P COLLEGE, BADI SADRI, CHITTORGARH	PRIVATE	9828427329	spcollegebsr70@gmail.com
57	80 VISION COLLEGE OF COMMERCE CHITTORGARH	PRIVATE	9414156609	vision_mgmt@yahoo.com
58	85 MEWAR GIRLS COLLEGE CHITTORGARH	PRIVATE	9414396303	mgimt04@yahoo.com
59	86 MEWAR GIRLS COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, CHITTORGARH	B.ED.	9414796788	mgimt04@yahoo.com
60	92 SHARDHALAYA JAN JATI B.ED. COLLEGE, RAWATBHATA	B.ED.	9521413942	drgrishsharma385@gmail.com
61	121 MEERA MAHILA B.ED. COLLEGE, CHITTORGARH	B.ED.	9660661106	meeracollege@gmail.com
62	124 SHRINATH T.T. COLLEGE, BARISADRI	B.ED.	9828427329	sntt.barisadri@gmail.com

S.No. CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
63	R.N.T.COLLEGE OF B.Ed., CHITTORGARH	B.ED.	9414181595	mtbedcollege@yahoo.in
64	VEDANT BHERAV COLLEGE BHADESAR	PRIVATE	9166357011	vcbhadesar@gmail.com, mukeshameta@gmail.com
65	RAJSTHAN DEGREE COLLEGE MANGALWAD	PRIVATE	9001789644	ompermesh@rediffmail.com
66	R.N.T.COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, KAPASAN	B.ED.	9828058477	mtkapsan1@gmail.com
67	BHAGAWATI MAHILA T.T. COLLEGE, BASSI, CHITTORGARH	B.ED.	9314121906	bmttcollegechittor@yahoo.com
68	SHARDHALAYA WOMEN T.T. COLLEGE, RAWATBHATA	B.ED.	9694227373	dgrinishharma385@gmail.com
69	MEWAR COLLEGE OF T.T., GANAGRAR, CHITTORGARH	B.ED.	9460179787	mctt.gangrar@gmail.com
70	BAHUBALI B.ED COLLEGE,BADWAI,CHITTORGARH	B.ED.	9413480165	bahubalgroupp@rediffmail.com, poonammihir123@gmail.com
71	ACHARYA SHREE NANESH SAMTA MAHAVIDYALAYA DANTA,	PRIVATE	9413372905	asnsvt@yahoo.in
72	AKC COLLEGE CHITTORGARH	PRIVATE	7023301058	collegakc@gmail.com
73	SUYASH COLLEGE, RASHMI, CHITTORGARH	PRIVATE	9414164608	college.suyash@gmail.com
74	GOVT. COLLEGE, KAPASAN, CHITTORGARH	GOVT	9829047377	govtcollegekapsan@gmail.com
75	Veer Bhomi Girls College Of Technical And Management Studies,begun	PRIVATE	9660275907	omparmesh@rediffmail.com
76	OM SHIV SANSTHAN COLLEGE MANGALWAD	PRIVATE	9001789644	ostwalhs1@gmail.com
77	U.S. OSTWAL SCIENCE & ARTS COLLEGE, TOLL PLAZA, MANGALWAD,	PRIVATE	7340010512	rawathatacollege2016@gmail.com
78	GOVT. COLLEGE, RAWATBHATA, CHITTORGARH	GOVT	9413127828	
DUNGARPUR				
79	S.B.P.GOVT. COLLEGE, DUNGARPUR	GOVT	9413118418	sbpgcd@gmail.com
80	V K B GIRLS COLLEGE, DUNGARPUR	GOVT	9460581487	vkbcollegedpr@gmail.com
81	M.S.R.D. T.T. COLLEGE, DUNGARPUR	B.ED.	9828264081	rmahent@yahoo.com
82	GOVT. COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	GOVT	9413750394	govtcollegesagwara@yahoo.in
83	S N CHOUBISA COLLEGE SIMALWARA, DUNGARPUR	PRIVATE	9001384880	snedpr@gmail.com
84	MAHILA MAHAVIDYALAYA SAGWARA	PRIVATE	9783797907	mmchitri@gmail.com
85	VAGVAR GIRLS'S COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	PRIVATE	8290289588	vagvargirlscollege@yahoo.in
86	GURU KUL ARTS COLLEGE DUNGARPUR	PRIVATE	9950723262	gurukulartscollege@gmail.com
87	GURUKUL DEGREE COLLEGE ASPUR	PRIVATE	9414326828	gurukarmaasp@gmail.com
88	PRAGATI COLLEGE DUNGARPUR	PRIVATE	9414352319	pragaticollegedpr@gmail.com
89	M.B MAHILA T.T COLLEGE, DUNGARPUR	B.ED.	9414419697	mbmttc@gmail.com
90	ARTS COLLEGE JASELA, CHITRI, DUNGARPUR	PRIVATE	9571806236	jaselacollege@gmail.com
91	GYAYAK COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	PRIVATE	9023073905	gyayaksagwara@gmail.com
92	SIDDHI COLLEGE SAGWARA DUNGARPUR	PRIVATE	9983766054	siddhicollege@yahoo.com
93	MAHI COLLEGE OF EDUCATION SABLEA	PRIVATE	9680417306	mahicollegesablea@gmail.com
94	MANAS MAHAVIDALYA CHITRI DUNGARPUR	PRIVATE	9783797907	mmchitri@gmail.com
95	VAGAD COLLEGE, BADGI, DUNGARPUR	PRIVATE	9468734314	vagadcollege9@gmail.com

S.No.	CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
96	247	M.B. MAHILA COLLEGE, DUNGARPUR	PRIVATE	8696908001	mmbmttc@gmail.com
97	254	RAJ NOBLES DEGREE COLLEGE DUNGARPUR	PRIVATE	9461576035	rajnoblesdpr@gmail.com, Rajnobles_dungarpur@yahoo.com
98	255	SWAMI VEVEKANAND COLLEGE, SAGWARA, DUNGARPUR	PRIVATE	9414567491	svc.saurabh@yahoo.co.in
99	263	GURUKUL COLLEGE SAGWARA DUNGARPUR	PRIVATE	9950723262	gurukulartscollege@gmail.com
100	269	SUNRISE COLLEGE ASPUR, DUNGARPUR	PRIVATE	9602509615	sunrisecollege2015@gmail.com
101	275	GURUKRIPA SHIKSHAN SANSTHAN COLLEGE, PEETH DUNGARPUR	PRIVATE	9610587077	Gurukripa.Peeth@gmail.com, jjiangid078@gmail.com
102	278	KAMAKSHA COLLEGE, SARODA, DUNGARPUR	PRIVATE	9001790123	vipinpandya333@gmail.com
103	280	MANAS COLLEGE, OBRJ, DUNGARPUR	PRIVATE	9783797907,	nmobri2015@gmail.com
104	283	K.M.GIRLS COLLEGE SAGWARA	PRIVATE	9414566595	kmgirlscollege@yahoo.com
105	285	SUNROSE COLLEGE SAGWARA	PRIVATE	9929882405	
107	286	SHREE MAA PITAMBER COLLEGE DUNGARPUR	PRIVATE	9982194244	smpcollege64@gmail.com
108	287	PUNJI LAL DAMOR CHORASIGARH COLLEGE,SIMALWARA, DUNGARPUR	PRIVATE	9462991101	9636624176
109	290	HIMALAYA MAHAVIDHYALAY DUNGARPUR	PRIVATE	7568042914	7742291452
110	291	SHREENATH COLLEGE, DUNGARPUR	PRIVATE	9414347930	9413118122
111	293	VIDHANAGAR COLLEGE, PANCHVATI, SAGWARA, DUNGARPUR	PRIVATE	9983004317	9414567898
112	296	SONAKSHI GIRLS COLLEGE, SIMALWARA, DUNGARPUR	PRIVATE	8094064441	sgceducations@gmail.com
113	300	GURUKUL DEGREE COLLEGE, PUNIPUR, DUNGARPUR	PRIVATE	9414326828	gurukarmaasp@gmail
PRATAPGARH					
114	21	GOVT PG COLLEGE PRATAPGARH	GOVT	9460003193	9414872044
115	23	MAHILA VIDHYA MANDIR T.T. COLLEGE, PRATAPGARH	B.ED.	9460827396	99690003797
116	95	SIDDHESHWAR VINAYAK ARTS COLLEGE DHARIYAWAD	PRIVATE	9799806998	9928633855
117	130	APC COLLEGE, PRATAPGARH	PRIVATE	9829747053	8764003308
118	176	S.V. COLLEGE T.T. DHARIYAWAD	B.ED.	9694746684	9414353154
119	181	MORDERN SAWALIYA T.T. COLLEGE, CHHOTI SADRI, PRATAPGARH	B.ED.	9001789644	9414857959
120	205	L.B.S. COLLEGE, PRATAPGARH	PRIVATE	9414419873	9352866773
121	212	SAMANT BHADRA GIRLS COLLEGE DHARIYAWAD	PRIVATE	8764341728	9413812511
122	237	HARISH ANJANA COLLEGE CHHOTI SADRI	PRIVATE	9460612262	9460712329
123	240	IDEALS INTERNATIONAL COLLEGE DHARIYAWAD	PRIVATE	9460251639	9785403403
124	248	J.R GIRLS COLLEGE PRATAPGARH	PRIVATE	9461725258	98294443371
125	258	GOVT.COLLEGE DHARIYAWAD	GOVT	9413945736	9001472472
126	265	TRINITY COLLEGE DALOT, TEHSIL- ARNOD, PRATAPGARH	PRIVATE	7726901588	9414104028
127	266	GAYATRI COLLEGE, PIPALKHUT, PRATAPGARH	PRIVATE	9549379326	9414101330
128	267	RAVINDRANATH TAGORE COLLEGE PIPLKHUT, PRATAPGARH	PRIVATE	9549373926	9460246578
129	294	GOVT. COLLEGE, CHHOTISADRI, PRATAPGARH	GOVT	9414731126	gcchhotisadri@gmail.com

S.No. CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
RAJSAMAND				
130	17 SETH MATHURA DAS BINANI PG COLLEGE NATHDWARA	GOVT	9784302505	govtcollegenathdwara@gmail.com
131	18 N.L.S.G.M. GOVT. GIRLS COLLEGE NATHDWARA	GOVT	9414283160	ggcnathdwara@gmail.com
132	24 S.R.K. GOVT. COLLEGE, RAJSAMAND	GOVT	9413024523	govtcollegerajsamand@gmail.com
133	47 S.H.D.GOV'T COLLEGE AMET	GOVT	9829268465	govtcolleageametrajasmamand@gmail.com
134	66 J.R. COLLEGE, RAILMAGRA	PRIVATE	9413830841	principajrc@gmail.com
135	110 MAHARSHI MAHILA T.T. COLLEGE, KANKROLI	B.ED.	9929826737	nmmtkankroli@gmail.com
136	111 MAHABALIDANI PANNADHYAY MAHILA T.T. COLLEGE,DELWADA	B.ED.	9413976313	mbpmittdelwara@gmail.com
137	117 ST. MEERA MAHILA T.T. COLLEGE , NATHDWARA	B.ED.	9783338383	saintmeerabedcollege@gmail.com
138	118 B N GIRLS COLLEGE KAKROLI RAJSAMAND	PRIVATE	9928579067	bngc.kankroli@gmail.com
139	132 SHRI DATTATREYA COLLEGE KANKROLI	PRIVATE	9413402518	sdcollegekkn@gmail.com
140	150 GOVT COLLEGE BHIM	GOVT	9413040741	prin.gobhim.@gmail.com
141	161 SHREE DWARKADHEESH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE	PRIVATE	8559906904	sdims.kank@gmail.com, sourabhsinghvi842@gmail.com
142	169 THE ANKUR B.ED.COLLEGE , NATHDWARA	B.ED.	9414385519	theankur1984@gmail.com
143	172 SHRI DWARKADHEESH T.T.COLLEGE, KANKROLI	B.ED.	9001010486	sdims.kank@gmail.com, sourabhsinghvi84@gmail.com
144	207 Nathdwara Institute Ofbiotechnologt & Managmanat, Oden, Nathdwara	PRIVATE	8107675969	principalmibm@gmail.com
145	208 SHRINATHJI INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT	PRIVATE	9829292624	sitemanagement2006@gmail.com
146	271 ST. MEERA LAW COLLEGE, NATHDWARA	PRIVATE	9413716774	saintmeerabedcollege@gmail.com
147	273 GOVT. COLLEGE, DEOGARH, RAJSAMAND	GOVT	9462131877	gcdevgarh@gmail.com
148	288 KAUTILYA COLLEGE,KUNWARIYA,RAJSAMAND	PRIVATE	8112276044	kautilyacollegeprempura@gmail.com
SIROHI				
149	1 S.M.C.C. GOVT.COLLEGE,ABU ROAD., SIROHI	GOVT	9983610324	smcc.govtcollege@gmail.com
150	27 GOVT P.G COLLEGE SIROHI	GOVT	9414214567	collegesirohi@gmail.com
151	28 GOVT GIRLS COLLEGE SIROHI	GOVT	9461630786	principalggesirohi@gmail.com
152	48 S.M.P.B.J. GOVT COLLEGE SHEOGANI, SIROHI	GOVT	9414222266	govt.collegesheoganj@gmail.com
153	77 J.R. COLLEGE, PINDWARA, SIROHI	PRIVATE	9461535469	jrcollegepindwara77@gmail.com
154	91 SHREE TEJENDRA PRASAD T. T. COLLEGE ABU ROAD	B.ED.	7597068695	bedtpbed@yahoo.in
155	109 SHRIMATI CHANDRAWAL GUPTA MAHILA T.T. COLLEGE, ABU ROAD	B.ED.	9413121952	segmc@rediffmail.com, bkguljar@gmail.com
156	120 GURUKUL MAHILA B.ED.COLLEGE, SIROHI	B.ED.	9166600613	gmttcsirohi@rediff.com
157	157 JR COLLEGE ABU PARVAT	PRIVATE	9460813104	jrcollegemountabu@gmail.com
158	159 SANSKAR T.T. COLLEGE, SHEOGANI, SIROHI	B.ED.	9829260168	drjpsharma2010@gmail.com
159	186 U.S.B COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, ABUROAD	B.ED.	9414323281	usbbed@gmail.com
160	187 SHRINATH B.Ed. COLLEGE,AMTHALA, ABU ROAD	B.ED.	9829246999	shreenatheducare@yahoo.com

S.No. CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
161	RAJENDRA MUNI B.ED. COLLEGE, MOUNT ABU	B.ED.	9998978383	drrnbedcollege@yahoo.in
162	S.P. COLLEGE SIROHI	PRIVATE	9694638641	info@sirohieducation.com, liondrvktrivedi@yahoo.co.in
163	ST PAUL,S COLLEGE OF SCIENCE AND MANGEMANT, ABU ROAD	PRIVATE	9829460854	narendra.abu23@gmail.com, jatsanwar23@gmail.com
164	GOVT. LAW COLLEGE, SIROHI	GOVT		glcsirohi@gmail.com
165	SANT MEERA COLLEGE, SHEOGANJ	PRIVATE	9214946386	santmeeracollege@rediffmail.com
166	Uttam Prakash Agarwal College Of Commerce & Economics, Abu Road	PRIVATE	9549818222	principal@upaca.edu.in
167	ADARSH COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES ABU ROAD	PRIVATE	9828166945	adarsh_adr1998@yahoo.com
168	SMT. CHANDRAWAL GUPTA COLLEGE REODAR SIROHI	PRIVATE	8769179662	shaitlendramaurya78@gmail.com
169	SHRI KAMAL COLLEGE OF EDUCATION,BAMANWADI	PRIVATE	9461452929	srkamalcollege@gmail.com

UDAIPUR

170	PT. UDAI JAIN COLLEGE, KANORE	PRIVATE	9414683080	pujc1976@gmail.com
171	S.B.S CHORDIA J.V.P. T.T. COLLEGE, KANORE	B.ED.	9414172464	jyptckmr@gmail.com
172	HADI RANI GOVT. COLLEGE, SALUMBER	GOVT	9460757572	h.r.g.college@gmail.com
173	B N .P.G COLLEGE UDAIPUR	PRIVATE	9828144005	bnpg1954@yahoo.in
174	B.N P.G.GIRLS COLLEGE UDAIPUR	PRIVATE	9829069839	bnpggcdtr@gmail.com
175	B N C.P.E UDAIPUR	PRIVATE	9314495356	bschouhan70@yahoo.COM
176	GURU NANAK GIRLS COLLEGE UDAIPUR	PRIVATE	9414164030	gurunanak37.college@gmail.com
177	GOVT. MEERA GIRLS COLLEGE, UDAIPUR	GOVT	9982336850	meeragirllscollege@gmail.com
178	NIMBARK T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9460558991	nimbarkprincipal@yahoo.com
179	PACIFIC COLLEGE UDAIPUR	PRIVATE	9680068006	pacificcollege42@gmail.com
180	R.M.T.T. COLLEGE,UDAIPUR	B.ED.	9414157007	rmttc11@gmail.com
181	V.B.R.I UDAIPUR	PRIVATE	8764270893	vbrindr@yahoo.com, mr.tpsharma@rediffmail.com
182	V.B.G.S.T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9414160276	vb_jase2@yahoo.in
183	J.R.SHARMA PG COLLEGE JHADOL	PRIVATE	9413262136	j.r.sharma.jhadol@gmail.com
184	GURU PUSHKAR JAIN COLLEGE GOGUNDA, UDAIPUR	PRIVATE	9414472914	gpjcgogunda@gmail.com
185	R.P. PHYSICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE, BHINDER	PRIVATE	9928070715	rpphysicalcollege@gmail.com
186	AISHWARYA COLLEGE OF EDUCATION SANSTHAN, UDAIPUR	PRIVATE	9414263979	info@aishwaryacollege.org, principal@aishwaryacollege.org
187	GOVT. COLLEGE,KHERWARA (B.ED.)	B.ED.	9929050417	kherwaragovtcollege@gmail.com, kherwaragovtcollege@yahoo.in
188	GOVT. COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	GOVT	9928050417	kherwaragovtcollege@yahoo.in
189	B.N LAW COLLEGE UDAIPUR	PRIVATE	9928400014	bnlawcollege2003@gmail.com
190	DR.ANUSHKA VIDHI MAHAVIDYALAYA UDAIPUR	PRIVATE	9414263458	info@anushkaacademy.com
191	R.P. GIRLS COLLEGE, BHINDER	PRIVATE	9460729936	rpgirlscollege@gmail.com
192	MHAVEER AMBESH GURU COLLEGE, FATEHNAGAR	PRIVATE	9887513550	mrcollegefmr@gmail.com

S.No.	CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
193	88	MAHARAJA COLLEGE OF ARTS & EDUCATION, UDAIPUR	B.ED.	9460801719	maharaja.bedcollege@gmail.com
194	90	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE VALLABHNAGAR	PRIVATE	9414832244	dr.mijanwa@gmail.com, Svcollege90@gmail.com
195	101	GOVT COLLEGE KOTRA	GOVT	9636454772	govtcollegekotra@gmail.com
196	103	AISHWARYA T.T. COLLEGE UDIPUR	B.ED.	9799118605	info@aishwaryacollege.org
197	107	ARIHANT MAHILA B.ED.COLLEGE, DEBARI	B.ED.	9252013009	arihant.mttc.udr@gmail.com
198	108	T.T. COLLEGE, JHADOL	B.ED.	9414621502	jhadolttcollege@gmail.com
199	122	CHANAKYA COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, UDAIPUR	B.ED.	9460253234	9602603234, 9829044300info@cettudaipur.org
200	123	THE NOBLES T.T. COLLEGE ,KHERWARA	B.ED.	9414785170	thenoblesbed@gmail.com
201	125	SHREENATH MAHILA T.T. COLLEGE, MAVLI	B.ED.	9460878793	girish6071@yahoo.com
202	126	J.R.SHARMA T.T. COLLEGE, JHADOL	B.ED.	7229932571	j.r.sharma.jhadol@gmail.com
203	128	VIVEKANAND COLLEGE OF B.ED, DABOK	B.ED.	9828058477	vivekanand_college_2006@yahoo.com
204	131	RANA PRATAP MAHILA T.T. COLLEGE BHINDER	B.ED.	7891190017	newarsss@gmail.com
205	135	ARAVALI T.T.COLLEGE,AIRPORT ROAD, DEBARI, UDAIPUR	B.ED.	9413093939	aravali2007@gmail.com
206	137	MAHAVEER T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9414168838	mahaveerjvsansthan@yahoo.com
207	138	SAGAR B.ED COLLEGE, KHERWARA	B.ED.	9413886567	sagarkherwara071@yahoo.com
208	141	KRISHNA COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION	PRIVATE	9413174921	rajfootball23@gmail.com
209	145	J.R. SHARMA COLLEGE RISHABHDEO	PRIVATE	9829443371	jrshrishbdeo@gmail.com
210	146	JYOTIBA PHULE T.T. COLLEGE, MANWAKHEDA, M.I.A. KE PASS. UDAIPUR	B.ED.	9214692569	jppcollege@yahoo.com
211	147	INDO AMERICAN INSTITUTE, VALICHA	B.ED.	9784948832	indoamericaninstitute@gmail.com
212	148	KALA ASHRAM COLLEGE OF TEACHERS TRAINING, BHUWANA, UDAIPUR	B.ED.	9414163656	nupurdk@yahoo.com
213	149	S.S COLLEGE OF EDUCATION B.ED,UMARDA, UDAIPUR	B.ED.	9460340708	sscollegeofeducation@gmail.com
214	152	MANTRAM T.T. COLLEGE,KAMLI NOHARA,NAI,UDAIPUR	B.ED.	9414830551	mttc.org@gmail.com
215	153	THE SCHOLAR ARENA GIRLS B.ED. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9829009390	dr.lokeshjain@gmail.com
216	162	Vidhya Bhawan Gandhian Institute Of Education Studies, Ramgiri, Badgaon,	B.ED.	9414157015	sugunsharma@gmail.com, vb_gies@yahoo.com
217	163	SANJIVANI T.T. COLLEGE, BALICHA BY PASS, KAYA, UDAIPUR	B.ED.	9460639227	dr.nareshkumarpalwal@yahoo.in, sanjeevanittcollege@yahoo.com
218	165	WISDOM T.T. COLLEGE, NAYA KHEDA, UDAIPUR	B.ED.	9413771616	siddiq4u18@yahoo.com
219	167	KRISHNA MAHILA T.T. COLLEGE, SISARAMA, UDAIPUR	B.ED.	9636482088	mail@kmttcollege.com
220	168	MAHARISHI INSTITUTE OF EDUCATION& RESEARCH, SUNDERWAS	B.ED.	9461384751	mier.udr@gmail.com
221	171	S.S. COLLEGE OF EDUCATION, UDAIPUR	B.ED.	7665928239	sscollegeofeducation041@gmail.com
222	173	MAHARANI GIRLS B.ED COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	B.ED.	9414934786	Maharajamgbc3@gmail.com
223	174	SHRI RAM COLLEGE OF TEACHERS & EDUCATION, UDAIPUR	B.ED.	9413480476	srcte174@gmail.com
224	175	MAA VAISHNO T.T. COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR	B.ED.	8003851626	vasuumar@yahoo.in.com
225	177	ASIAN COLLEGE OF EDUCATION , UDAIPUR	B.ED.	8875346256	ajmerase@gmail.com, sca_ca@yahoo.com
226	178	ARAVALI T.T.COLLEGE, EKLINGPURA, UDAIPUR	B.ED.	9414684138	chandrakant_khushi@ymail.com, aravalieducation16@gmail.com
227	179	RAJDEV T.T. COLLEGE, SISARMA ROAD, UDAIPUR	B.ED.	9460402280	rdttcudaipur@gmail.com, suranarajni@gmail.com

S.No. CCODE	COLLEGE NAME	TYPE	PRINCIPAL CONTACT	EMAIL ID
228	180 VIDHYA BHARTI T.T. COLLEGE, MAVLI	B.ED.	8426081120	balbirgaur1976@gmail.com
229	183 RAM KISHAN T.T. COLLEGE , VILLAGE- BUDHAL, UDAIPUR	B.ED.	9214960259	rktc_college@yahoo.com, ramkishant@gmail.com
230	184 MATHESHWARI T.T. COLLEGE, UMARDA, UDAIPUR	B.ED.	8302044424	mtccollegeudaipur@gmail.com
231	191 RAVINDRA NATH THAKUR B.ED. COLLEGE, DEBARI, UDAIPUR	B.ED.	9414730682	mtbedudr@gmail.com
232	192 HADI RANI T.T. COLLEGE, SHOBHAGPURA, UDAIPUR	B.ED.	8875705327	hrttcudaipur@gmail.com
233	193 CHUNDA MAHILA T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9887156772	cmttcudaipur@rediffmail.com
234	196 PREMSHANTI NIKETAN T.T. COLLEGE, UDAIPUR	B.ED.	9460253234	psnttc@gmail.com
235	201 SUN COLLEGE OF MANAGMANT & SCIENCE, KALADWAS, UDAIPUR	PRIVATE	9660658551	info@suneducation.org
236	203 R M V GIRLS COLLEGE UDAIPUR	PRIVATE	9413955007	princpalrmv2011@gmail.com
237	214 KAVYANJALI COLLEGE CHAWAND	PRIVATE	9983752537	rkssansthan@yahoo.com, kgcchawand881@gmail.com
238	216 ANEKANT SEWA SANSTHAN T.T. COLLEGE , SALUMBER	B.ED.	9783272800	anekantbed2008@gmail.com
239	226 BHUPAL NOBLES GIRLS COLLEGE SALUMBER	PRIVATE	9414609913	bngirlssalumber@gmail.com
240	229 J.R. SHARMA COLLEGE, PHALASIYA	PRIVATE	8826221559	rjannawat2010@gmail.com
241	249 INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING UDAIPUR	PRIVATE	9414245214	ihmudr@gmail.com
242	257 GOVT. GIRLS COLLEGE, KHERWARA, UDAIPUR	GOVT	9414158932	govtgirlscollege.kherwara@gmail.com
243	260 GOVT.COLLEGE SARADA	GOVT	94144472186	govtcollegesarada@gmail.com
244	270 DRONACHARYA COLLEGE BHINDER	PRIVATE	7568666868	dronacharyacollegebhindar@gmail.com
245	272 GOVT COLLEGE JHADOL	GOVT	9413752452	govtcollegejhadol@yahoo.in
246	297 GOVT. COLLEGE, GOGUNDA, UDAIPUR	GOVT	9680396672	
247	299 THE GURUKUL COLLEGE, BUDAL, UDAIPUR	PRIVATE	9829216766	thegurukulcollege2015@gmail.com
278	301 MAHAVEER COLLEGE, BADGAON, KEER KI CHOUKI, BHINDER, UDAIPUR	PRIVATE	9460372195	mahaveerjvsansthan@yahoo.com
249	302 AKME THE SCHOLARS ARENA GIRLS DEGREE COLLEGE, UDAIPUR	PRIVATE	9509558668	dr.lokeshjain@gmail.com
250	304 ARAVALI COLLEGE, BEHIND PATWAR TRAINING CENTER, DEBARI	PRIVATE	9610696870	2491789



22. समय सारणी परीक्षा - 2018

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

1. स्नातक कला में विषय गुप सहित प्रश्न पत्र क्रम संख्या या संक्षिप्त नाम दर्शाये गये हैं विषय गुप इस प्रकार है:-

- G-1 अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, संगीत एवं सिंधी
G-2 भूगोल, राजस्थानी साहित्य एवं दर्शनशास्त्र
G-3 राजनीति विज्ञान, उर्दू साहित्य, चित्रकला एवं जनसंख्या अध्ययन
G-4 मनोविज्ञान, प्राकृत साहित्य, इतिहास, वन संसाधन एवं उनके उपयोग
G-5 लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, गृह विज्ञान, ग्रामीण विकास एवं विस्तार, प्पारीरिक शिक्षा
G-6 समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, गणित, मानवाधिकार

2. (I) परीक्षार्थियों की अधिकता के कारण प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष कला के स्वयंपाठी छात्रों के लिए कतिपय विषयों की परीक्षा के लिए अलग से समय सारणी घोषित की गई है इन समय-सारणियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन विषयों की परीक्षा नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार होगी।

(ii) स्नातक द्वितीय वर्ष कला स्वयंपाठी छात्रों के प्रथम वर्ष के बकाया प्रश्न पत्र (हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र व सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन) की परीक्षा प्रथम वर्ष स्वयंपाठी छात्रों की समय-सारणी के अनुसार आयोजित होगी, शेष बकाया विषयों की परीक्षा प्रथम वर्ष नियमित छात्रों की समय-सारणी के अनुसार आयोजित होगी।

(iii) तृतीय वर्ष कला के वे स्वयंपाठी परीक्षार्थी जिनका हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, बकाया चल रहा है तो ऐसे छात्रों को इन विषयों की परीक्षा तृतीय वर्ष कला स्वयंपाठी छात्रों की समय सारणी के अनुसार परीक्षा देनी है, फीस बकाया विषयों की परीक्षा तृतीय वर्ष नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार देनी होगी साथ ही प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के सभी बकाया विषयों की परीक्षा प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के नियमित छात्रों की समय सारणी के अनुसार आयोजित होगी।

3. स्नातकोत्तर कला पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध की समय-सारणी में विषय गुप व प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या दर्शाई गयी है जो इस प्रकार है :-

पूर्वार्द्ध :-

- G-1 राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र
G-2 हिन्दी
G-3 संस्कृत, लोक प्रशासन
G-4 चित्रकला, अंग्रेजी, भूगोल, संगीत, दर्शनशास्त्र, प्राकृत, मनोविज्ञान, राजस्थानी, उर्दू, गृह विज्ञान
G-5 समाज प्प्रास्त्र
G-6 इतिहास

उत्तरार्द्ध:-

- G-1 राजनीति शास्त्र, अर्थप्प्रास्त्र
G-2 हिन्दी
G-3 संस्कृत, लोक प्रशासन
G-4 चित्रकला, अंग्रेजी, संगीत, दर्शनशास्त्र, प्राकृत साहित्य, मनोविज्ञान, राजस्थानी, उर्दू, गृह विज्ञान, भूगोल
G-5 समाज प्प्रास्त्र
G-6 इतिहास

4. स्नातक व स्नातकोत्तर वाणिज्य, विज्ञान, विधि, एवं बी.सी.ए. में विषयों या प्रश्न पत्रों की क्रम संख्या या उनके संक्षिप्त नाम दर्शाये गये हैं। विमृत समय सारणी परीक्षा प्रारम्भ से 1 माह पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
5. उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अलावा शेष पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से प्रारम्भ की जायेगी।
6. राज्य सरकार द्वारा किसी तिथि को अवकाश घोषित करने के अलावा अपरिहार्य कारणों से भी परीक्षा की इन तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

हरकेश मीना

उप कुलसचिव

UNDER GRADUATE & POST GRADUATE EXAMINATION PROGRAMME - 2018

FACULTY	U.G.ARTS (Regular/Ex)			U.G.ARTS (NON-COL)			P. G. ARTS	
	IYr	IIYr.	IIIIYr	I Yr	II Yr	III Yr	MA(P) (7)	MA(F) (8)
CLASS / YEAR	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
TIME	11AM-2PM	3PM-6PM	7AM-10AM	11AM-2PM	3PM-6PM	7AM-10AM	7AM-10AM	11AM-2PM
DATE	Sub. Group & Paper Nu.			Sub. Name & Paper Nu.			Sub. Group & Paper Nu./Code	
15-Feb-18	G-1 : ECONOMICS, SANS. LIT., MUSIC & SINDHI. G-2 : GEOGRAPHY, RAJASTHANI & PHIL.			HIST.-I		HIST.-I	G -1-Pol.Sc/ Eco -2-Hindi	G -1-Pol.Sc/ Eco G -2-Hindi
16-Feb-18	G-3 : POL.,SC., URDU, DRAW. & POPU. STUDIES G-4 : PSYCHOLOGY, PRAKRIT LIT., HISTORY, FRU.				HIST P-I		G -3 G -4-	G -3 G -4-
17-Feb-18	G-5 : PUB. ADM., HINDI, HOME SC., R.D., PHY. EDU. G-6 : SOCIO., ENGLISH, MATHS./ HUMAN RIGHTS			HIST.-II		HINDI-I	Sans/Pub.Ad. DP / Eng/ Music/ Phil/ Park/Psy/Raj/Urdu/Home	3Sans/Pub.Ad. DP/ Eng/ Music/ Phil/ Park/Psy/Raj/Urdu/Home
19-Feb-18				HINDI.-I		HIST.-II	Sc./Geog G -6- Hist.	Sc./Geog G -5-Sociology G -6- Hist.
20-Feb-18					HIST-II			G-6-P-I
21-Feb-18				HINDI.-II		HINDI.-II		G-4-P-I
22-Feb-18					HINDI - I			G-5-P-I
23-Feb-18				POL.- I				G-3-P-I
24-Feb-18					HINDI-II	POL.- I		G-2-P-I
26-Feb-18					POL.-I			G-1-P-I
27-Feb-18				SOCO-I				G-6-P-II
28-Feb-18					SANS-I			G-5-P-II
05-Mar-18								G-4-P-II
06-Mar-18	G-4-P-I			SANS.- I		SANS.- I		G-3-P-II

FACULTY	U.G.ARTS (Regular/Ex)						U.G.ARTS (NON-COL)			P. G. ARTS					
	CLASS / YEAR	IYr	(1)	IIYr.	(2)	IIIYr	(3)	I Yr	(4)	II Yr	(5)	III Yr	(6)	MA(P) (7)	MA(F) (8)
07-Mar-18		G-2-P-I				G-5-P-I				SANS.-II				G-2-P-II	G-5-P-I
08-Mar-18								SANS.- II				SANS.- II		G-1-P-II	G-6-P-I
09-Mar-18				G-2-P-I										G-6-P-III	G-1-P-II
10-Mar-18		G-3-P-I				G-4-P-I								G-5-P-III	G-2-P-II
12-Mar-18				G-6-P-I								SOCIO.-I		G-4-P-III	G-3--P-II
13-Mar-18								SOCIO.-II						G-3-P-III	G-4--P-II
14-Mar-18		G-4-P-I				G-3-P-I				SOC.-I				G-2-P-III	G-5--P-II
15-Mar-18				MATHS-III				POL.- II				POL.- II		G-1-P-III	G-6-P-II
16-Mar-18										POL.-II				G-6-P-IV	G-1-P-III
17-Mar-18				G-3-P-I								SOCIO.-II		G-5-P-IV	G-2-P-III
20-Mar-18		G-5-P-I				G-2-P-I				G.H.				G-4-P-IV	G-3-P-III
21-Mar-18										ECA				G-3-P-IV	
22-Mar-18				G-5-P-II										G-2-P-IV	G-4-P-III
23-Mar-18								EVS						G-1-P-IV	
24-Mar-18		G-1-P-II				G-6-P-II				SOC.-II				G-6-P-V	G-5-P-III
26-Mar-18				G-4-P-II										G-5-P-V	G-6-P-III
27-Mar-18		MATHS-III				MATHS-III								G-4-P-V	G-2-P-IV

FACULTY	U.G.ARTS (Regular/Ex)						U.G.ARTS (NON-COL)				P. G. ARTS			
	IYr	(1)	IIYr.	(2)	IIIYr	(3)	I Yr	(4)	II Yr	(5)	III Yr	(6)	MA(P) (7)	MA(F) (8)
28-Mar-18							G.E.						G-3-P-V	
31-Mar-18	G-2-P-II				G-5-P-II								G-2-P-V	G-1-P-IV
02-Apr-18			G-6-P-II										G-1-P-V	G-3-P-IV
03-Apr-18														G-4-P-IV
04-Apr-18	G-3-P-II			G-4-P-II										G-5-P-IV
05-Apr-18			G-2-P-II											G-6-P-IV
06-Apr-18														G-1-P-V
07-Apr-18	G-4-P-II			G-3-P-II										G-2-P-V
09-Apr-18			G-1-P-1											G-3-P-V
10-Apr-18	G-6-P-1			G-1-P-1										G-4-P-V
11-Apr-18														G-5-P-V
12-Apr-18			G-1-P-II											G-6-P-V
13-Apr-18	G-5-P-II			G-2-P-II										
16-Apr-18			G-3-P-II											
17-Apr-18														
18-Apr-18	G-6-P-II			G-1-P-II										
19-Apr-18			G-5-P-1											
20-Apr-18														
21-Apr-18	EVS			G-6-P-1										
23-Apr-18			ECA											
24-Apr-18	G.E.													
25-Apr-18														
26-Apr-18			GH											
27-Apr-18	G-1 P-1													

FACULTY	U. G. COMMERCE				P. G. COMMERCE			B. Sc.			
	Iyr (9)	IIYr (10)	IIIIYr (11)	MCom(P) (12)	Mcom(F) (13)	Iyr (14)	IIYr (15)	IIIIYr (16)	Sub. Name & Paper Nu.		
CLASS / YEAR	Iyr (9)	IIYr (10)	IIIIYr (11)	MCom(P) (12)	Mcom(F) (13)	Iyr (14)	IIYr (15)	IIIIYr (16)	Sub. Name & Paper Nu.		
TIME	11AM-2PM	3PM-6PM	7AM-10AM	7AM-10AM	3PM-6PM	11AM-2PM	3PM-6PM	7AM-10AM	Sub. Name & Paper Nu.		
DATE	Sub. Name & Paper Nu.			Sub. Name & Paper Nu.					Sub. Name & Paper Nu.		
15-Feb-18				Buss.Adm.-I					Sub. Name & Paper Nu.		
16-Feb-18									Sub. Name & Paper Nu.		
17-Feb-18									Sub. Name & Paper Nu.		
19-Feb-18				Buss.Adm.-II					Sub. Name & Paper Nu.		
20-Feb-18					Bus.Ad. 5822				Sub. Name & Paper Nu.		
21-Feb-18									Sub. Name & Paper Nu.		
22-Feb-18									Sub. Name & Paper Nu.		
23-Feb-18				Buss.Adm.-III					Sub. Name & Paper Nu.		
24-Feb-18					Bus.Ad. 5823				Sub. Name & Paper Nu.		
26-Feb-18				Buss.Adm.-IV					Sub. Name & Paper Nu.		
27-Feb-18									Sub. Name & Paper Nu.		
28-Feb-18	ACCTT.P-I				Bus.Ad. 5824				Phy/Bot-I	Sub. Name & Paper Nu.	
05-Mar-18		BANK P-I	Bus-P- I		BUS. AD. 5821	Bot/Phy-I				Sub. Name & Paper Nu.	
06-Mar-18				Buss.Adm.-V					Phy/Bot-I	Sub. Name & Paper Nu.	

U. G. COMMERCE				P. G. COMMERCE				B. Sc.					
Iyr	IIYr	IIIIYr	IIIYr	MCom(P)	Mcom(F)	Iyr	IIYr	IIIYr	IIIIYr	Iyr	IIYr	IIIYr	IIIIYr
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
07-Mar-18	BUS. P-I		ABST/BBE P-I	Bus.Ad. 5825	STAT-I				Evs/Stat/Geo-I				
08-Mar-18	BUS P-I						STAT-I						
09-Mar-18		Bank-P- I			Chem/Comp-I								
10-Mar-18	BUS P-II			ABST/BBE- P-I/ Bus.Ad. 5826		ECA							
12-Mar-18	BUS P-II		ABST/BBE P-II						Evs/Stat/Geo-II				
13-Mar-18		Acct-P-I			EVS/GEO-I								
14-Mar-18	BANK P-I			ABST/BBE- P-II / Bus.Ad. 5827		EVS /GEO-I							
15-Mar-18									Phy/Bot-II				
16-Mar-18		Bus-P-II											
17-Mar-18	BANK P-II	ACCTT P-I	ABST/BBE P-III			STAT-II							
20-Mar-18				ABST/BBE- P-III / Bus.Ad. 5828		EVS/GEO-II							
21-Mar-18	GE	Acct.-P-II			Bot/Phy-II								
22-Mar-18		ACCTTS P-II							Chem/Comp-I				
23-Mar-18			ABST/BBE P-IV			Chem/Comp P-I							
24-Mar-18				ABST/BBE- P-IV/ Bus.Ad. 5829	Fru/ Chem/ Comp- II								
26-Mar-18		Acct-P-III											
27-Mar-18	EVS	BANK P-II			STAT-II				Phy/Bot-III				

FACULTY	BCA			LLB		
	BCA I yr (17)	BCA II (18)	BCA III (19)	I Yr (21)	II Yr (22)	III yr (23)
	11AM-2PM	3PM-6PM	7AM-10AM	3PM-6PM	3PM-6PM	3PM-6PM
DATE	Paper Nu.			Paper Nu.		
15-Feb-18						
16-Feb-18						
17-Feb-18						
19-Feb-18						
20-Feb-18						
21-Feb-18						
22-Feb-18						
23-Feb-18						
24-Feb-18						
26-Feb-18						
27-Feb-18						
28-Feb-18						
05-Mar-18						
06-Mar-18				P-I		

	BCA			LLB		
	BCA I yr (17)	BCA II (18)	BCA III (19)	I Yr (21)	II Yr (22)	III yr (23)
07-Mar-18						P-I
08-Mar-18						
09-Mar-18					P-I	
10-Mar-18				P-II		
12-Mar-18						P-II
13-Mar-18					P-II	
14-Mar-18				P-III		
15-Mar-18						
16-Mar-18						P-III
17-Mar-18					P-III	
20-Mar-18		P-I		P-IV		
21-Mar-18						P-IV
22-Mar-18	P-I				P-IV	
23-Mar-18			P-I			
24-Mar-18		P-II		P-V		
26-Mar-18	P-II					P-V
27-Mar-18			P-II		P-V	

	BCA			LLB		
	BCA I yr (17)	BCA II (18)	BCA III (19)	I Yr (21)	II Yr (22)	III yr (23)
28-Mar-18		P-III				
31-Mar-18	P-III			P-VI		
02-Apr-18			P-III			P-VI
03-Apr-18		P-IV			P-VI	
04-Apr-18						
05-Apr-18	P-IV		P-IV	P-VII		
06-Apr-18		P-V			P-VII	
07-Apr-18						P-VII
09-Apr-18	P-V	P-VI		P-VIII		
10-Apr-18			P-V			P-VIII
11-Apr-18					P-VIII	
12-Apr-18						
13-Apr-18		P-VI		P-IX		
16-Apr-18	P-VI				P-IX	
17-Apr-18				GH		
18-Apr-18						
19-Apr-18						
20-Apr-18				GE		
21-Apr-18	EVS					
23-Apr-18		GH				
24-Apr-18	G.E.					
25-Apr-18						
26-Apr-18						
27-Apr-18						



महत्वपूर्ण निर्देश

इस विवरणिका में दिए गए नियम मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निर्मित एवं स्वीकृत हैं।

संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के अधिकृत निकायों एवं विश्वविद्यालयों के सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। ऐसा विश्वास है कि इस विवरणिका में जो भी निर्देश तथा सूचनाएँ दी गई हैं वे सभी प्रकाशन के समय तक संशोधित हैं। विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय इसमें प्रकाशित नियमों में आवश्यकता के अनुसार शुल्क तथा अन्य नियमों में परिवर्तन कर सकेगा तथा नए नियम जोड़ सकेगा। यदि इन नियमों में परिवर्तन व संशोधन के कारण किसी विद्यार्थी को अथवा किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है या अधिक व्यय करना पड़ता है, तो विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

1 जून, 2017

कुल सचिव

कुलगीत

वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शत वन्दन।
शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन।।
'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की प्रतिमा कल्याणी।
'विद्यया विन्दतेऽमृतम्' उपनिषदों की वाणी।।
यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चन्दन।
मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन।।
श्री एकलिंग जी श्री नाथ जी चारभुजा बेणेश्वर।
सूफी संतों की धरती ने माना एक ही ईश्वर।।
वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शत वन्दन।
यहाँ साधनारत प्रतिभाएँ ज्योतिर्मन्त बनें।
राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो, महिमावन्त बनें।।
मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे।
जन मानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे।।
ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनन्दन।
युवाशक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अन्तर्मन।।
वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सादर शत वन्दन।
शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन।।
कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन।

प्रकाशक :

कुलसचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर - 313001

फोन : 0294-2471035, 2470918, 2471969

www.mlsu.ac.in